# विषय सूची

बोर्ड के सदस्य ..... 2

बोर्ड के अधिकारी / बैंकर्स / लेखा–परीक्षक ..... 4

तेल उद्योग विकास बोर्ड के लक्ष्य एवं उद्देश्य ..... 5

**अध्याय 1**

संगठनात्मक व्यवस्था और कार्य ..... 6

**अध्याय 2**

वित्तीय सहायता – तेल कंपनियों को ऋण ..... 11

**अध्याय 3**

वित्तीय सहायता – नियमित अनुदान ग्राही संगठनों को अनुदान ..... 16

**अध्याय 4**

वित्तीय सहायता – अनुसंधान और विकास तथा अन्य अनुदान ..... 36

**अध्याय 5**

तेउविबो का ऊर्जा सुरक्षा में योगदान ..... 44

**अध्याय 6**

अन्य पहलें / गतिविधियां ..... 48

**अध्याय 7**

वार्षिक लेखे 2016–17 ..... 56

**अध्याय 8**

भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट ..... 82

**अध्याय 9**

परिशिष्ट ..... 93

# बोर्ड के सदस्य

(रिपोर्ट की अवधि के दौरान)

## अध्यक्ष

**श्री कपिल देव त्रिपाठी**
सचिव
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

## सदस्य

**श्री अनुज कुमार बिशनोई**
सचिव
रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग

**श्री ए.एन. झा**
विशेष सचिव (व्यय) वित्त मंत्रालय
(17.07.2016 तक)

**श्री प्रमोद कुमार दास**
अपर सचिव (व्यय) वित्त मंत्रालय
(18.7.2016 से आगे)

**श्री अनंत कुमार सिंह**
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

**श्री अतनु चकवर्ती**
महानिदेशक,
हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय
(01.06.2016 से आगे)

**श्री अमर नाथ**
संयुक्त सचिव (अंवेषण)
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
(01.06.2016 से आगे)

**श्री डी.के. सर्राफ**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
तेल एवं प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लिमिटेड

**श्री बी. अशोक**
अध्यक्ष
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड

**श्री बी.सी. त्रिपाठी**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
गेल (इंडिया) लिमिटेड

**श्री एस. वर्धाराजन**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
(30.09.2016 तक)

**श्री डी. राजकुमार**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
(01.10.2016 से आगे)

**श्री एम. के. सुरना**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

**श्री प्रवेन्द्र कुमार**
महा सचिव,
श्रमिक विकास परिषद,
आईओसीएल बरौनी रिफाईनरी

## सदस्य सचिव

**श्री संजीव मित्तल**
सचिव,
तेल उद्योग विकास बोर्ड
(8.12.2016 तक)

**श्री आशीष चटर्जी**
सचिव,
तेल उद्योग विकास बोर्ड
(14.12.2016 से आगे)

# बोर्ड के अधिकारी / बैंकर्स / लेखा–परीक्षक

## (रिपोर्ट की अवधि के दौरान)

| | |
|---|---|
| सचिव | श्री संजीव मित्तल<br>(08.12.2016 तक)<br>श्री आशीष चटर्जी<br>(14.12.2016 से आगे) |
| वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी | श्री अजय श्रीवास्तव |
| बैंकर्स | i) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया<br>ii) ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स<br>iii) कार्पोरेशन बैंक<br>iv) इंडियन ओवरसीज बैंक |
| लेखा–परीक्षक | प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा<br>एवं पदेन सदस्य, लेखा–परीक्षा बोर्ड–II, मुम्बई |
| बोर्ड का पंजीकृत कार्यालय | तेल उद्योग विकास बोर्ड,<br>301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,<br>बाबर रोड़, नई दिल्ली – 110 001 |
| सचिवालय | तेल उद्योग विकास बोर्ड,<br>ओआईडीबी भवन,<br>प्लॉट नं0–2, तीसरा तल,<br>सैक्टर–73, नोएडा–201 301, उत्तर प्रदेश |
| दूरभाष सं0 | +91-0120-2594602<br>+91-0120-2594603 |
| फैक्स | +91-0120-2594630 |
| ई–मेल | facao.oidb@nic.in |
| वेब साइट | www.oidb.gov.in |

# तेल उद्योग विकास बोर्ड के लक्ष्य एवं उद्देश्य

- तेल उद्योग विकास निधि का प्रबन्धन।
- तेल उद्योग के विकास के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता देना।
- निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए अनुदान एवं ऋण और इक्विटी निवेश में सहायता देना :–
  - भारत के भीतर अथवा बाहर खनिज तेल की संभावनाओं की खोज एवं अन्वेषण करने;
  - कच्चे तेल के उत्पादन,संचालन,भंडारण और परिवहन की सुविधाओं की स्थापना;
  - पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिषोधन एवं विपणन;
  - पेट्रोरसायन और उर्वरकों के निर्माण और विपणन;
  - वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधानों, जो तेल उद्योग के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपयोगी हों;
  - तेल उद्योग के किसी भी क्षेत्र में प्रयोगात्मक या प्रायोगिक अध्ययन;
  - तेल उद्योग में लगे या तेल उद्योग में लगने वाले किसी भी क्षेत्र के अन्य कामों में लगे कर्मियों को भारत में या विदेशों में प्रशिक्षण तथा अन्य विहित उपायों के लिए।

# अध्याय 1

## संगठनात्मक व्यवस्था और कार्य

## 1 प्रस्तावना

1.1 कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वर्ष 1973 की शुरूआत से हो रही निरंतर और तीव्र वृद्धि के पश्चात, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम आधारित औद्योगिक कच्चे माल की आवश्यकता से संबंधित प्रगामी आत्मनिर्भरता की आवश्यकता के बढ़ते महत्व को अनुभव करते हुए तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 को अधिनियमित किया गया था। तेल उद्योग (विकास) विधेयक, 1974 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में निम्नलिखित उद्देश्य शामिल किए गए थे :

(क) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम आधारित कच्चे माल से संबंधित आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के कार्यक्रमों में तीव्रता लाई जाए।

(ख) इस प्रकार के कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(ग) इन उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ तेल उद्योग (विकास) निधि के सृजन हेतु कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उपकर वसूल किया जाना चाहिए।

(घ) इस निधि का उपयोग विशिष्ट रूप से तेल उद्योग के विकास संबंधी कार्यक्रमों में संलग्न संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

1.2 इस अधिनियम का उद्देश्य तेल उद्योग के विकास के लिए एक बोर्ड की स्थापना करना और कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क लगाने और उनसे संबंधित मामलों से है।

## 2 संगठनात्मक व्यवस्था और बोर्ड के कार्य

2.1 तेल उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना दिनांक 13 जनवरी 1975 को की गई और यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहा है। बोर्ड का अध्यक्ष, केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसमें निम्नलिखित सदस्य हैं :–

(i) अधिकतम तीन सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय सरकार के पेट्रोलियम एवं रसायन से संबंधित मंत्रालय या मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जायेंगे:

(ii) दो सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय सरकार के वित्त से संबंधित मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जायेंगे:

(iii) अधिकतम पांच सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, उन निगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जायेंगे जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन ऐसे निगम है जो तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 में निर्दिष्ट क्रियाकलापों में लगे हुए हैं:

(iv) दो सदस्य, जिनमें से एक केन्द्रीय सरकार द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा जिन्हें, सरकार की राय में, तेल उद्योगों की विशेष जानकारी का अनुभव है और दूसरा सरकार द्वारा, तेल उद्योग में नियोजित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाएगा :

(v) बोर्ड का सचिव, पदेन सदस्य होगा।

2.2 तेल उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना, ऐसे सभी अध्युपायों के संप्रवर्तन के लिए, जो उसकी राय में तेल उद्योग के विकास में साधक हो, वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करने के लिए की गई। तेल उद्योग (विकास) अधिनियम के अनुसार, बोर्ड निम्न उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ सहायता प्रदान कर सकता है :

क) भारत के भीतर अथवा बाहर खनिज तेल की संभावनाओं की खोज एवं अन्वेषण करने;

ख) कच्चे तेल के उत्पादन, संचालन, भंडारण और परिवहन की सुविधाओं की स्थापना;

ग) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिशोधन एवं विपणन;

घ) पेट्रोरसायन और उर्वरकों के निर्माण और विपणन;

ड.) वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान, जो तेल उद्योग के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपयोगी हों;

च) तेल उद्योग के किसी भी क्षेत्र में प्रयोगात्मक या प्रायोगिक अध्ययन;

छ) भारत में या विदेश में तेल उद्योग कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए।

2.3 कोई भी तेल संबंधी औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा अन्य व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से देश के तेल उद्योग से संबद्ध किसी भी प्रकार की गतिविधि में संलग्न है, वह बोर्ड से वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करने का पात्र है।

2.4 तेल उद्योग विकास अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के लिए भी बोर्ड कर्तव्यबद्ध है।

## 3 तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था

3.1 तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 15 में स्वदेशी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क के रूप में उपकर की वसूली का प्रावधान किया गया हैं (परिशिष्ट–II)। सरकार द्वारा 'भारत में उत्पादित स्वदेशी कच्चे तेल' (तत्संबंधी महाद्वीपीय सीमा सहित) पर उत्पाद शुल्क के रूप में समय–समय पर लागू की गई/ संशोधित की गई। एनईएलपी ब्लॉकों से उत्पादित कच्चे तेल पर किसी प्रकार का उपकर प्रयोज्य नहीं है। उपकर की दरें निम्नानुसार हैं: –

| तिथि से प्रभावी | दर, प्रति टन |
|---|---|
| 23 जुलाई, 1974 | 60 रुपए |
| 13 जुलाई, 1981 | 100 रुपए |
| 15 फ़रवरी, 1983 | 300 रुपए |
| 1 मार्च, 1987 | 600 रुपए |
| 1 फ़रवरी, 1989 | 900 रुपए |
| 1 मार्च, 2002 | 1800 रुपए |
| 1 मार्च, 2006 | 2500 रुपए |
| 17 मार्च, 2012 | 4500 रुपए |
| 1 मार्च 2016 | 20% यथा मूल्य |

स्रोत: वित्त मंत्रालय

3.2 केन्द्रीय सरकार द्वारा जनहित में अप्रैल 2012 में उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के तहत अभिज्ञात 26 क्षेत्रों पर लागू 1800 रुपए प्रति टन उत्पाद शुल्क दर पर कच्चे तेल की उत्पाद शुल्क दर में 900 रुपए प्रति टन की छूट प्रदान की गई है।

3.3 तेल उद्योग (विकास) अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, उत्पाद–शुल्क की एकत्रित की गई आय को प्रथमतः भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। संसद द्वारा इस संदर्भ में किए गए समायोजनों के अनुसार यदि प्रावधान किए जाते हैं, तो केन्द्र सरकार इन प्राप्तियों में से संग्रहण कार्य पर हुए व्यय को घटाने के पश्चात, इस अधिनियम के

प्रयोजनार्थ उचित मानते हुए विशिष्ट रूप से उपयोग किए जाने के लिए उस धनराशि का समय समय पर बोर्ड को भुगतान कर सकती है।

3.4 अधिनियम की धारा 17 के तहत, केन्द्रीय सरकार, अनुदान अथवा ऋण के रूप में बोर्ड को ऐसी धनराशि का भुगतान भी कर सकती है, जिसका संसद द्वारा इस संदर्भ में यथोचित समायोजनों के अनुसार प्रावधान किया गया हो।

## 4 तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा प्राप्त निधियां

4.1 वर्ष1974–75 में उपकर के रूप में उगाही गई 30.82 करोड़ रुपए की राशि वर्ष 2016–17 तक बढ़कर 12,778.20 करोड़ रुपए हो गई। सरकार द्वारा कच्चे तेल पर एकत्रित उपकर का वर्ष 1974–75 से वर्षवार विवरण नीचे ग्राफ में दिया गया है।

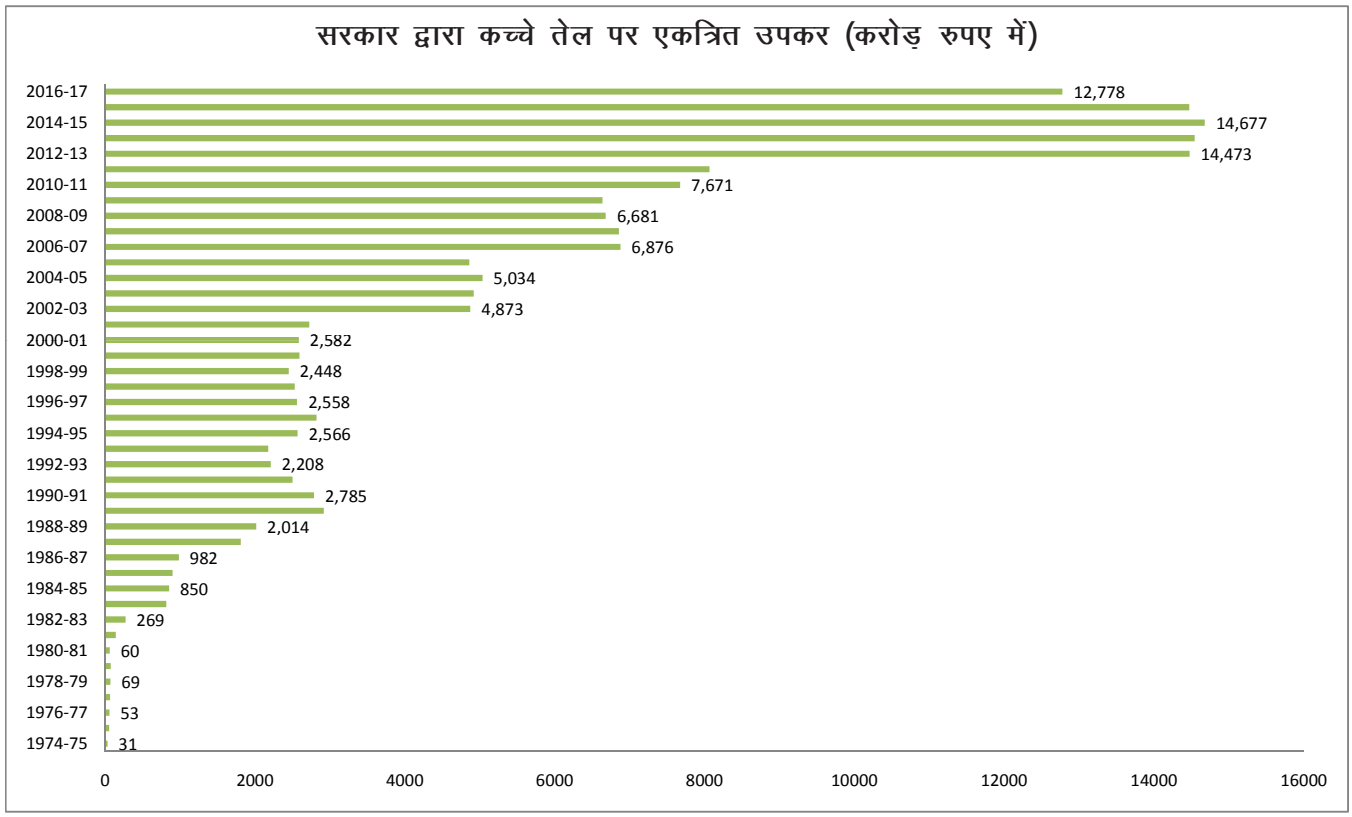


**स्रोतः ओएनजीसी, ओआईएल तथा डीजीएच**

4.2 केन्द्रीय सरकार ने इसकी स्थापना के पश्चात से उपकर के रूप में दिनांक 31 मार्च 2017 तक अनुमानतः 1,74,973.71 करोड़ रुपए की राशि एकत्र की है, तेउविबो को वर्ष 1991–92 तक 902.40 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। नीचे दिए गए ग्राफ में तेउविबो को दिए गए उपकर का वर्ष वार विवरण दिया गया है:

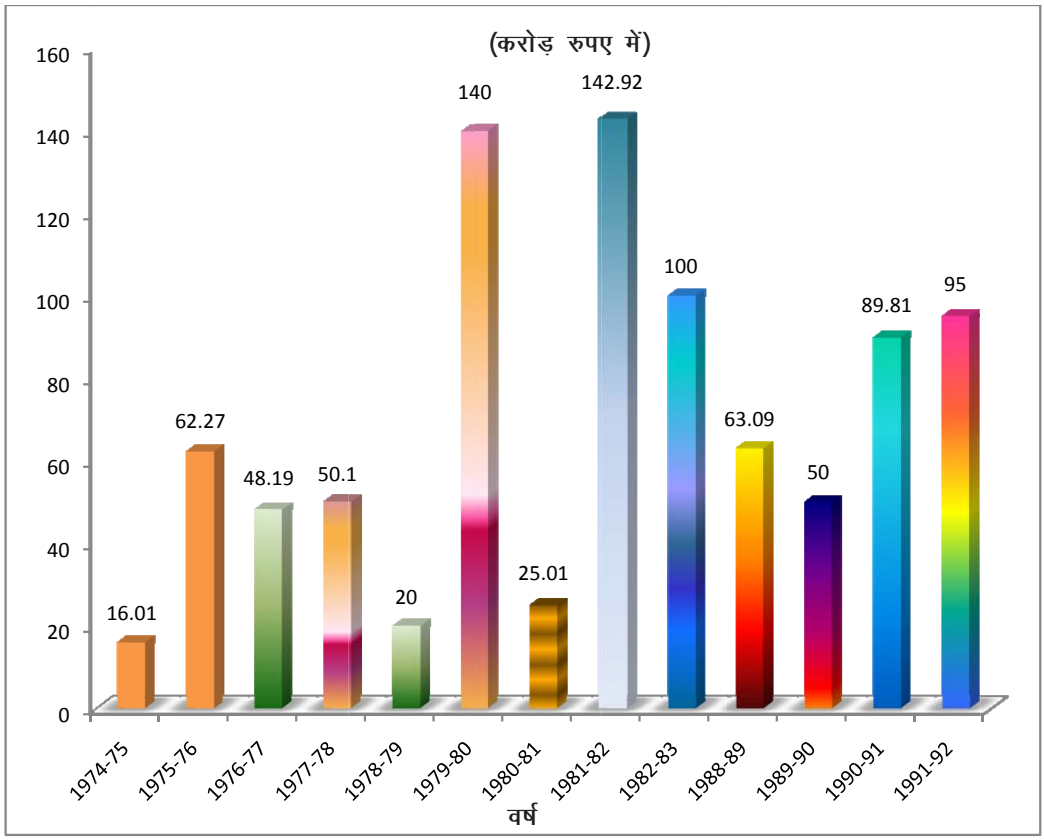


4.3 तेउविबो द्वारा विभिन्न तेल क्षेत्र की कंपनियों को दिए गए ऋण तथा अतिरेक निधियों का सावधि जमा आय के रूप में अल्पकालीन निवेश करते हुए अपने स्वयं के आंतरिक संसाधनों का सृजन भी किया जाता है। उपकर आय और तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा आंतरिक संसाधनों से उत्पन्न योगदान से दिनांक 31 मार्च 2017 तक तेल उद्योग विकास कोष में 11,458.04 करोड़ रुपए संचित हो गए हैं।

# अध्याय 2

## वित्तीय सहायता – तेल कंपनियों को ऋण

1. तेउविबो अपने गठन के वर्ष 1974–75 से ही तेल क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियों को ऋण प्रदान कर रहा है। तेउविबो द्वारा वितरित ऋण वर्ष 1974–75 में 16.01 करोड़ रुपए से वर्ष 2016–17 में 676.47 करोड़ रुपए हो गया। पिछले पांच वर्षों में वितरित ऋण औसतन 1769 करोड़ रूपये हो गया है। ऋण निधि का मुख्य उपयोग गैस और तेल पाइपलाइन परियोजनाओं, नई रिफाइनरियों के स्थापना, मौजूदा रिफाइनरियों के गुणवत्ता उन्नयन, सिंगल प्वांइट मूरिंग परियोजनाओं और शहरी गैस वितरण आदि परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है।

2. तेउविबो द्वारा वित्त वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक वितरित ऋण का विवरण नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है:–

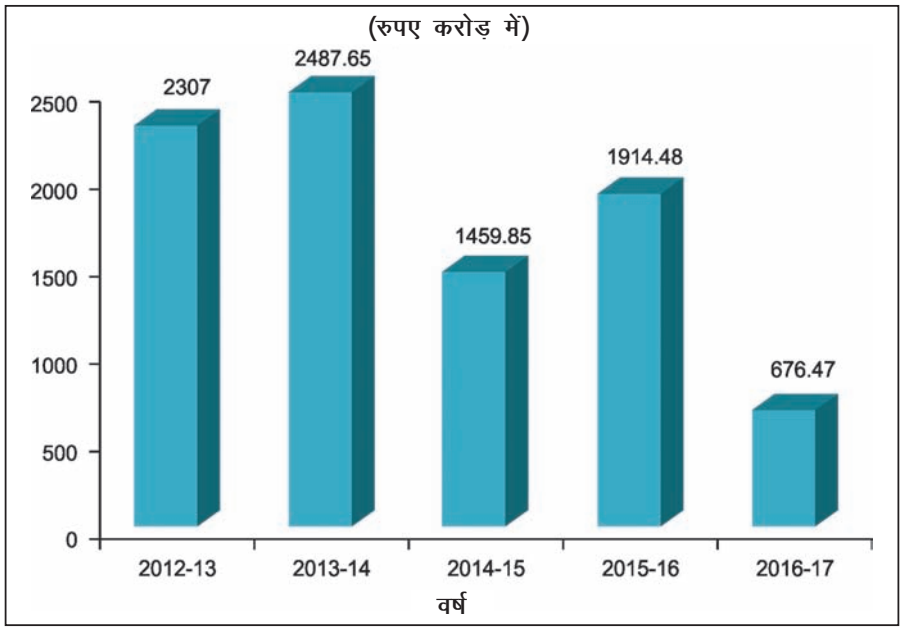


3. तेउविबो द्वारा वितरित ऋण से पिछले पांच वर्षों में तेल क्षेत्र की वित्तपोषित परियोजनाओं का कंपनी वार विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है।

(रुपए करोड़ में)

| क्र. सं. | तेल संस्थानों के नाम | वित्तीय वर्ष | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 | 2015–16 | 2016–17 | 5 वर्षों का कुल योग |
| 1 | आईओसीएल | 1050.00 | 572.00 | 420.00 | 711.25 | – | 2753.25 |
| 2 | बीपीसीएल | 97.00 | – | 907.50 | 744.25 | 346.00 | 2094.75 |
| 3 | गेल | 490.00 | 975.00 | – | – | – | 1465.00 |
| 4 | एचपीसीएल | – | 138.00 | 120.00 | 124.75 | – | 382.75 |
| 5 | बीसीपीएल | 250.00 | 435.00 | – | 298.00 | 243.12 | 1226.12 |
| 6 | एमआरपीएल | 400.00 | 300.00 | – | – | – | 700.00 |
| 7 | गेल गैस लिमिटेड | 20.00 | 25.65 | 12.35 | 24.23 | 87.35 | 169.58 |
| 8 | एनआरएल | – | 42.00 | – | – | – | 42.00 |
| 9. | बीको लॉरी लिमिटेड | – | – | – | 12.00 | – | 12.00 |
| | कुल | 2307.00 | 2487.65 | 1459.85 | 1914.48 | 676.47 | 8845.45 |

4. गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल), इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), ब्रह्मपुत्र क्रेकर पोलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल) और मंगलौर रिफाईनरी एंड पेट्रोकैमिकल लिमिटेड (एमआरपीएल) वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक की अवधि में तेउविबो से ऋण प्राप्त करने वाले मुख्य लाभार्थी हैं। नीचे ग्राफ में वर्ष 2012–13 से 2016–17 के दौरान वितरित ऋण का संगठनवार विवरण दिया गया है।

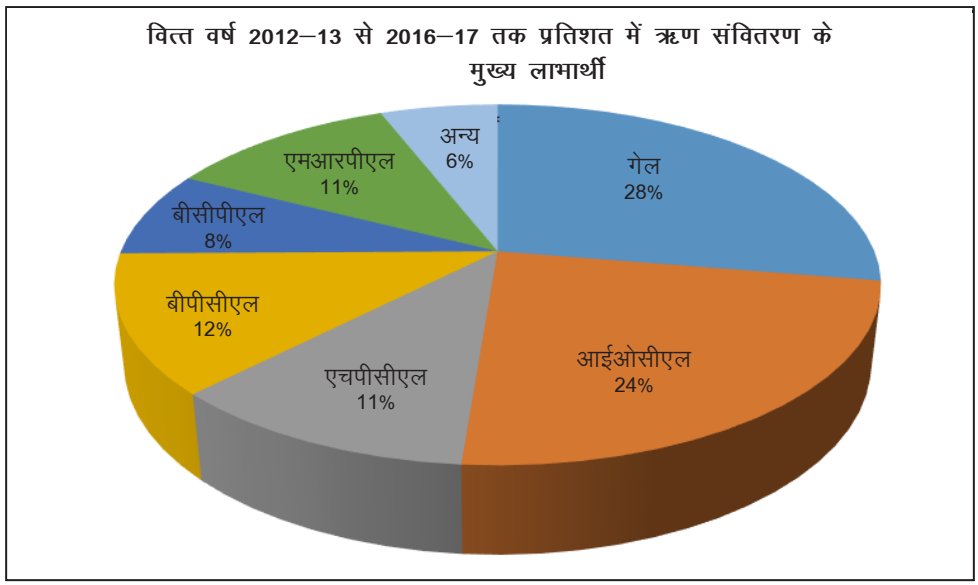


5. वर्ष 2016–17 के दौरान वितरित ऋण का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(करोड़ रुपए में)

| क्रम सं. | तेल संस्थानों के नाम | राशि |
|---|---|---|
| 1 | भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड | 346.00 |
| 2 | ब्रह्मपुत्र क्रेकर पोलिमर लिमिटेड | 243.12 |
| 3 | गेल गैस लिमिटेड | 87.35 |
| | **कुल** | **676.47** |

6. 31 मार्च 2017 तक, रूपये 5345.09 करोड़ रूपये का बकाया ऋण है। जिसका संगठन वार ब्यौरा निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रुपए में)

| क्रम स. | तेल संस्थानों के नाम | राशि |
|---|---|---|
| 1 | इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 1574.75 |
| 2 | भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड | 1795.13 |
| 3 | हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 283.75 |
| 4 | ब्रह्मपुत्र क्रेकर पोलिमर लिमिटेड | 1290.79 |
| 5 | मंगलौर रिफाईनरी एंड पेट्रोकैमिकल लिमिटेड | 250.00 |
| 6 | गेल गैस लिमिटेड | 138.67 |
| 7 | बीको लॉरी लिमिटेड | 12.00 |
| | **कुल** | **5345.09** |

## 7.0 वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा वित पोषित परियोजनाएँ

### 7.1 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक संगठित तेल कंपनी है जो कच्चे तेल के परिशोधन तथा पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन के कार्यो में लगी है।

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कोच्ची रिफाइनरी में एकीकृत रिफाइनरी विस्तार योजना के लिए तेउविबो से वित वर्ष 2016–17 में 346.00 करोड़ रूपए की ऋण सहायता प्राप्त की। एकीकृत रिफाइनरी विस्तार योजना (आईआरईपी) से कोच्ची रिफाइनरी की वर्तमान रिफाइनरी क्षमता 9.5 एमएमटीपीए से बढाकर 15.5 एमएमटीपीए हो जायेगी। रिफाइनरी सुविधाओं के आधुनिकीकरण द्वारा बीएस IV/यूरो–VI विनिर्देशों के साथ आटो–ईंधन और अवशेष धाराओं के उन्नयन से डिस्टिलेट्स और पेटकोक के उत्पादन की सुविधा प्राप्त होगी। परियोजना की स्वीकृत लागत 16,504 करोड़ रूपए है।

बीपीसीएल का सीडीयू/वीडीयू परियोजना

### 7.2 ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पोलिमर लिमिटेड (बीपीसीएल)

मैसर्स ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पोलिमर लिमिटेड (बीपीसीएल) ने असम गैस क्रेकर परियोजना के लिए वर्ष 2016–17 के दौरान 243.12 करोड़ रूपये की ऋण सहायता प्राप्त की। असम गैस क्रेकर परियोजना, ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल) की ऐतिहासिक असम समझौते का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस परियोजना में एक क्रेकर ईकाई, डाउन स्ट्रीम पॉलीमर ईकाई, एकीकृत ऑफ साइट और उपयोगिता संयत्र सम्मिलित हैं। परिसर में प्राकृतिक गैस और नाफ़था फीड स्टॉक के साथ 220,000 टन प्रतिवर्ष (टीपीए) पॉलीएथिलीन तथा 60,000 टन प्रति वर्ष (टीपीए) की पालीपरोपिलीन तथा अन्य उत्पादों की क्षमता है। पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह की पहली पेट्रो रसायन परिसर परियोजना है जिसमें भारत सरकार की पूंजीगत सहायता, गेल, ओआईएल, एनआरएल और असम सरकार की इक्विटी तथा तेउविबो और एसबीआई की ऋण सहायता शामिल है। परियोजना 2.1.2016 को पूरी हुई और माननीय प्रधान मंत्री ने दिनांक 5.2.2016 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया। वर्ष 2016–17 के दौरान, बीपीसीएल ने लगभग 1 लाख टन पॉलिमर का निर्माण किया और लगभग 726 करोड़ रूपये का राजस्व उत्पादन किया।

तेउविबो द्वारा 31.03.2017 तक बीपीसीएल को 1553.12 करोड रूपये जारी किए गए।

## 7.3 गेल गैस लिमिटेड

गेल गैस लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है, जिसका गठन देश भर की शहरी गैस वितरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया गया था।

पिछले कुछ वर्षो में कंपनी के संचालन के पैमाने और दायरे में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। उसने 1356.33 एमएमएससीएम गैस की बिक्री की मात्रा को छू कर साल–दर साल आधार पर 82.70% की अभूतपूर्व वृद्धि हासिल की है।

वित वर्ष 2016–17 के दौरान, कंपनी ने अपने मौजूदा स्टेशनों और सोनीपत, मेरठ और देवास, ताज ट्रैपीजियम क्षेत्र, के भौगोलिक क्षेत्र और बंगेंलुरू में 11 नए स्टेशनों और मौजूदा स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने के लिए अपने सीएनजी वितरण के बुनियादी ढांचे को बढाया है। कंपनी ने सीएनजी की खुदरा ऑउटलेट की स्थापना के लिए, सीएनजी की बढ़ती मांग और उपलब्धता को पूरा करने के लिए अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों (OMCs) के साथ समझौता भी किया है।

कंपनी ने मार्च 2017 तक 34,700 परिवारों को घरेलू पीएनजी से जोड़ा है। घरेलू लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए कंपनी ने अन्य सीजीडी कंपनियों के साथ मिलकर एक लचीली भुगतान विकल्प योजना को तैयार किया है। गेल गैस ने अपने संभावित विकास क्षेत्र में से एक पीएनजी औद्योगिक और वाणिज्यिक खंड पर अपना ध्यान केन्द्रित रखा है। वर्ष 2016–17 में अपने एकाग्र प्रयास से औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों की कुल संख्या में वित वर्ष 2015–16 में 513 से बढ़कर वित वर्ष 2016–17 में 580 हो गई है।

कंपनी ने डिजिटल प्लेटफार्म के विकास के माध्यम से ग्राहकों के साथ अपने विभिन्न समन्वयों अर्थात् घरेलू ग्राहकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण; ऑनलाइन भुगतान सुविधा; मोबाइल एप्लिकेशन; ऑनलाइन फीडबैक; ऑनलाइन औद्योगिक पीएनजी अनुरोध प्रणाली आदि को मजबूत किया है।

तेउविबो ने वर्ष 2016–17 में परियोजना के लिए 87.35 करोड़ रूपये का ऋण जारी किया।

# अध्याय 3

## वित्तीय सहायताः नियमित अनुदानग्राही संगठनों को अनुदान

1. अपने उद्देश्य के अनुसरण में तेल उद्योग विकास बोर्ड अनुदान के रूप में तेल क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है। इन अनुदानों में पांच नियमित अनुदानग्राही संस्थानों जैसे कि – हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच), तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी), उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी), पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) और पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) को अनुदान शामिल है।

2. नियमित अनुदानग्राही संस्थानों को अनुदान के अलावा तेउविबो तेल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए भी अनुदान देता है। साथ ही तेउविबो विश्व स्तरीय शिक्षा, प्रशिक्षण और पेट्रोलियम और ऊर्जा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने हेतु राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी) की सिवानगर, असम और जियास, रायबरेली में चल रही परियोजनाओं को अनुदान देता है।

3. वर्ष 1975–76 से 31.3.2017 तक तेल उद्योग विकास बोर्ड ने कुल 3184.14 करोड़ रूपए का समेकित अनुदान दिया। वर्ष 2016–17 के दौरान कुल 576.38 करोड़ रूपए का अनुदान जारी किया गया। जिसमें से 219.48 करोड़ रूपए नियमित अनुदानग्राही संस्थाओं को वितरित किया गया।

4. नियमित अनुदान ग्राही संस्थानों को पिछले पांच वर्षों में वितरित किए गए अनुदान का विवरण निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रुपए में)

| संस्थान | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 | 2015–16 | 2016–17 |
|---|---|---|---|---|---|
| डीजीएच | 62.09 | 39.62 | 137.95 | 121.51 | 121.53 |
| पीसीआरए | 46.96 | 41.54 | 40.86 | 41.13 | 41.25 |
| सीएचटी | 13.92 | 18.45 | 10.38 | 19.59 | 19.82 |
| पीपीएसी | 12.35 | 14.36 | 14.83 | 17.77 | 20.82 |
| ओआईएसडी | 10.88 | 13.74 | 16.25 | 15.05 | 16.06 |
| **कुल** | **146.20** | **127.71** | **220.27** | **215.05** | **219.48** |

5. वर्ष 2015–16 की तुलना में वर्ष 2016–17 में अनुदान की स्थिति निम्नलिखित ग्राफ में दर्शायी गयी है। 2015–16 के दौरान पांच नियमित अनुदानी संस्थाओं को दिए गए अनुदान की तुलना में वर्ष 2016–17 में गिरावट आई है

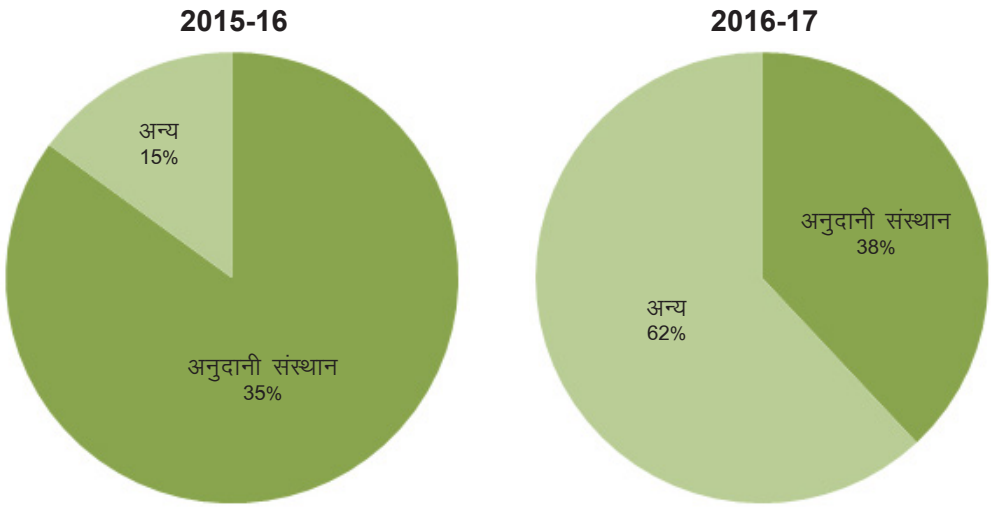

## 6.1 हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच)

हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) को 1993 में सरकारी संकल्प द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थापित किया गया था। डीजीएच की स्थापना का उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा और पेट्रोलियम कार्यकलापों के तकनीकी और आर्थिक पहलुओं के बीच संतुलन कायम रखते हुए तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों के सुदृढ़ प्रबंधन को बढ़ावा देना है। डीजीएच को प्रमुख क्षेत्रों के रिजर्वायर निष्पाादन की समीक्षा करने सहित खोजे गए क्षेत्रों व अन्वेषण ब्लॉकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं, अन्वेषण एवं उत्पादन संबंधी गतिविधियों में निवेश को प्रोत्सोहन देने, अन्वेषण एवं उत्पादन कार्यकलापों की निगरानी से संबंधित कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके अलावा, डीजीएच भावी खोज और अन्वेषण के लिए नए/गैर–अन्वेषित का कार्य प्रारंभ करने तथा गैर–पारंपरिक हाइड्रोकार्बन ऊर्जा स्रोतों का विकास करने के कार्य में भी संलग्न है।

डीजीएच पूरी तरह से तेल उद्योग विकास बोर्ड (तेउविबो) द्वारा वित्त–पोषित है। वर्ष 2016–17 के दौरान, तेउविबो ने डीजीएच को 12153 लाख रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया।

वर्ष 2016–17 के दौरान डीजीएच द्वारा निम्नीलिखित प्रमुख कार्यकलाप निष्पा्दित किए गए :

### 1) हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी)

डीजीएच हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंस नीति (हेल्प) के अंतर्गत खुला क्षेत्रफल लाइसेंस नीति का कार्यान्वयन कर रहा है। एचईएलपी के अंतर्गत लाइसेंस और लीज में पूर्ण कार्य चक्र पेट्रोलियम प्रचालन (अन्वेषण, मूल्यांकन, विकास और उत्पादन) को शामिल किया जाएगा, जिसे पेट्रोलियम प्रचालन संविदा कहा जाता है और यह केवल कार्यकलापों से संबंधित अन्वेषण का एक प्रकार है, जिसे सर्वेक्षण संविदा भी कहते हैं। एचईएलपी के अंतर्गत प्रक्रियाएं सरल हैं और इन्हें समझना आसान है तथा इसमें लागत के अनुमोदन की विस्तृत प्रक्रिया को हटा दिया गया है और इसके स्थान पर प्रबंधन समिति की भूमिका को तर्कसंगत बनाते हुए राजस्व भागीदारी प्रक्रिया को अपनाया गया है। हेल्प के अंतर्गत अन्वेषण कार्यकलापों के निष्पादन के अधिकार सहित हाइड्रोकार्बन के सभी रूपों के लिए वैध संविदा अवधि तक एक एकीकृत लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। इस नीति से भारत में कारोबार करना काफी आसान हो जाएगा।

### 2) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति का कार्यान्वयन (एनईएलपी)

भारत सरकार की नेल्प नीति के माध्यम से अन्वेषण एवं उत्पादन क्षेत्र के विकास को काफी बढ़ावा मिला है, जिसने इस क्षेत्र में व्यापक उदारीकरण को बढ़ावा दिया है, और इसे निजी और विदेशी निवेश के लिए खोल दिया है, इसमें 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) स्वीकृत है। नेल्प बिडिंग राउंड ने कई भारतीय निजी कंपनियों, विदेशी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आकर्षित किया है। वर्तमान में 6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, 15 निजी और 8 विदेशी कंपनियों के ऑपरेटरों और गैर ऑपरेटरों/सहकारी भागीदारों के रूप में नेल्प के अंतर्गत कार्य कर रहीं हैं। अब तक, नेल्प के नौ चरण सम्पन्न हो चुके हैं और अन्वेषण एवं उत्पादन के लिए 254 ब्लॉकों में काम सौंपा गया है। जिनमें से, तटीय (111), उथले जल (62) तथा गहरे जल (81) ब्लॉक हैं। 254 ब्लॉकों में से वर्तमान में 64 ब्लॉक चालू हैं, 7 अंवेषण ब्लॉकों में पीईएल (पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस) की प्रतीक्षा है। 129 ब्लॉकों को वापस ले लिया गया है और 54 ब्लॉकों को वापस लेने का प्रस्ताव किया गया है।

वर्ष 2016–17 में नेल्प के अंतर्गत 6 ब्लॉकों में 5 तेल और 2 गैस खोजें की गई। नेल्प के अंतर्गत 53 ब्लॉकों में कुल 159 तेल और गैस खोजें की गई। वर्तमान में, कुल 37 नेल्प खोजें, विकास की राह पर और 19 नेल्प खोजों पर उत्पादन हो रहा हैं।

### 3) उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं की निगरानीः

भारत सरकार ने खोजे गए क्षैत्रों, 33 सीबीएम ब्लॉकों, नेल्प–पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत 28 अन्वेषण ब्लॉकों तथा नेल्प व्यवस्था के अंतर्गत 254 ब्लॉकों के 28 संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। डीजीएच प्रत्येक ब्लॉक/क्षेत्र के लिए स्थापित प्रबंधन समितियों के माध्यम से भारत सरकार की ओर से इन उत्पादन भागीदारी संविदाओं के प्रबंधन के

निष्पादन की निगरानी करता है। इसमें वार्षिक कार्य कार्यक्रम, परियोजना निगरानी, भंडार और उत्पादन प्रोफाइल की बारीकी से समीक्षा और विकास योजना, बजट और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा और अनुमोदन भी शामिल है। वर्ष 2016–17 के दौरान, पीएससी व्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्रों/ब्लॉकों ने 10.53 एमएमटी तेल और 6.87 बीसीएम प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया है।

**4) क्षेत्र विकास, रिज़र्वायर और उत्पादन संबंधी निगरानी :**

उत्पादन भागीदारी संविदाओं (पीएससी) की व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के विकास संबंधी गतिविधियों की निगरानी की गई और रिजर्वायर निष्पादन निगरानी के संदर्भ में अन्वेषण ब्लॉकों में कार्यकलापों, खोज की समीक्षा, संभावित वाणिज्यिक हित, वाणिज्यत्व की घोषणा और क्षेत्र विकास योजना (एफडीपी) आदि संबंधी कार्यकलाप भी किए गए थे।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, पीएससी व्यवस्था के अंतर्गत 8 खोजों की 4 डीओसी तथा पीएससी व्यवस्था के अंतर्गत 9 खोजों की 3 एफडीपी को अनुमोदित किया गया।

**5) राष्ट्रीय आंकड़ा रिपॉजिटरी (एनडीआर) की स्थापना :**

(i) एनडीआर परियोजना का संचालन चरण 2016 में शुरू हुआ था, जिसमें कुओं के आंकड़े दर्ज किए जा रहे हैं और इन्हें साझा करने का कार्य प्रगति पर है।

(ii) एनडीआर वेब पोर्टल के माध्यम से दस (10) अन्वेषण एवं उत्पादन (ईएंडपी) ऑपरेटरों (अंतिम प्रयोक्ता) के कुल तेंतीस (33) प्रतिनिधियों को ऑनलाइन डाटा ऑर्डर/खरीद सहित विभिन्न एनडीआर एप्लीकेशनों के लिए प्रशिक्षित किया गया।

(iii) वीएपीटी (जोखिम आकलन और प्रवेश परीक्षण) और एनडीआर प्रणाली पर आंतरिक लेखा–परीक्षा का कार्य पूरा हो चुका है, और इस प्रक्रिया में आईएसओ 27001 अनुपालन का कार्य चल रहा है।

(iv) दिनांक 31.03.2017 को कुल 17,15,172 एलकेएम 2डी भूकंपीय आंकड़े और 6,14,805 एसकेएम 3डी भूकंपीय आंकड़े तथा 10,678 कुओं के आंकड़ों को एनडीआर में दर्ज किया गया है।

(v) निकट भविष्य में एसडीसी (सुरक्षित आंकड़ा केन्द्र) को भुवनेश्वर में स्थानांतरित करने की योजना है।

**6) राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी)**

राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है और तकनीकी रूप से हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) द्वारा समन्वित किया जाता है। एनजीएचपी राष्ट्रीय अन्वेषण एवं उत्पादन कंपनियां, अर्थात् ओएनजीसी, गेल, ओआईएल, आईओसी और एनआईओ, एनआईओटी तथा एनजीआरआई जैसे राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों का एक परिसंघ है।

भारत ने राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी) के गठन के साथ 1997 में यह यात्रा शुरू की थी। भारत ने वर्ष 2006 में एनजीएचपी अभियान–01 पूरा किया था तथा केजी, महानदी और अंडमान बेसिन में अपतटीय भारत के पूर्वी तट पर गैस हाइड्रेट की उपस्थिति दर्ज की थी।

एनजीएचपी अभियान–02 का निष्पादन किया गया जिसमें एलडब्लूडी/एमडब्लूडी (ड्रिलिंग करते समय लॉगिंग/मापन), पारंपरिक कोरिंग/दबाव कोरिंग, वायरलाइन लॉगिंग, केजी और महानदी गहरे अपतटीय क्षेत्रों में कार्यक्षेत्र भूकंपीय रूपरेखा (वीएसपी) और मॉड्यूलर गतिशील परीक्षण (एमडीटी) प्रचालन शामिल था, जिसका उद्देश्य गैस हाइड्रेट स्थिरता वाले क्षेत्र में रेत बहुल जमा प्रणालियों की पहचान करना था। एनजीएचपी अभियान–02 दिनांक 3 मार्च 2015 को शुरू हुआ और 28 जुलाई 2015 को संपन्न हुआ।

एनजीएचपी अभियान–02 की लागत ओआईडीबी (50%), ओएनजीसी (20%), ओआईएल (10%), गेल (10%) और आईओसीएल (10%) द्वारा साझा की जाती है। क्षेत्र और प्रयोगशाला अध्ययन और प्रायोगिक उत्पादन परीक्षण का एकीकरण एनजीएचपी अभियान–03 के दौरान किया जाएगा।

अमेरिका और कनाडा के वैज्ञानिक एनजीएचपी अभियान–01 में सक्रिय रूप से शामिल हुए, जबकि अमेरिका और जापान के वैज्ञानिक एनजीएचपी अभियान–02 में सक्रिय रूप से शामिल हुए। सरकार ने एनजीएचपी अभियान–03 का निष्पादन करने और योजना बनाने के लिए अमेरिका, जापान और जर्मनी के साथ समझौता–ज्ञापन के नवीकरण पर हस्ताक्षर किए हैं। एनजीएचपी अभियान–03 के अंतर्गत गैस हाइड्रेट से मीथेन निकालने के लिए प्रायोगिक जांच की योजना बनाई जा रही है।

एनजीएचपी अभियान–03 में एनजीएचपी अभियान–02 के दौरान खोजे गए केजी बेसिन के भावी स्थलों में से एक में प्रायोगिक उत्पादन की जांच करना शामिल होगा।

**7) कोल बेड मीथेन (सीबीएम):**

वर्तमान सीबीएम उत्पादन लगभग 1.77 एमएमएससीएमडी है जो देश के कुल प्राकृतिक गैस उत्पादन का लगभग 1.8% है। देश में सीबीएम उत्पादन को बढ़ाने के लिए, सीबीएम नीति के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए दिनांक 11.04.2017 को एक सीबीएम नीति अधिसूचित की गई है। इस नीति में सीबीएम ठेकेदारों को विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है ताकि देश में सीबीएम उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहन मिल सके। नीति का मूल उद्देश्य "व्यापार करने में आसानी" और "अधिकतम सुशासन और न्यूनतम सरकार" को बढ़ावा देना है ताकि कड़े अनुबंध प्रावधानों में छूट देकर सीबीएम के ईएंडपी में आगे निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान दिया जा सके। यह अनुमान लगाया गया है कि इस नीति के लागू होने के बाद सीबीएम उत्पादन लगभग 5.77 एमएमएससीएमडी तक बढ़ जाएगा।

**8) शेल तेल और शेल गैस:**

डीजीएच ने शेल तेल एवं शेल गैस के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने तथा कानूनी शुल्क सहित शेल तेल एवं शेल गैस की खोज के लिए और प्रथम शेल तेल एवं शेल गैस चरण शुरू करने के लिए नीति तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं। पिछले कई वर्षों के लिए देश में पारंपरिक तेल/गैस की खोज संबंधी प्राप्ति आंकड़ों के आधार पर, शेल गैस की संभावना वाले अवसादी बेसिनों में कैम खाड़ी बेसिन, गोंडवाना बेसिन, केजी बेसिन, कावेरी बेसिन, भारत गंगा बेसिन, असम अराकान बेसिन शामिल हैं।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसी) के लिए शेल गैस और शेल तेल नीति की घोषणा अक्टूबर, 2013 में की गई थी ताकि नामित भू–भागों में शेल तेल और गैस संसाधनों का पता लगाकर उनका दोहन किया जा सके। नीतिगत दिशा निर्देशों के अनुसार, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड को चरण 1 के अंतर्गत आकलन के लिए क्रमशः 50 और 50 ब्लॉकों में शेल गैस और तेल अन्वेषण करना है ओएनजीसी कैम्बे, कावेरी, कृष्णा– गोदावरी और असम तथा अराकान बेसिन में शेल गैस और तेल के खोज के कार्यकलाप कर रहा है। ऑल इंडिया लिमिटेड असम और राजस्थान बेसिनों में शेल गैस और तेल अन्वेषण संबंधी कार्यकलाप कर रहा है

**9) अनिवार्यता प्रमाण–पत्र:**

वर्ष 2016–17 के दौरान, डीजीएच ने कुल 11967 अनिवार्यता प्रमाण–पत्र जारी किए, जिनका भारतीय सीआईएफ मूल्य 4136.47 करोड़ रुपए है।

## 6.2 पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए)

पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में 1978 में स्थापित एक पंजीकृत संस्था है। पीसीआरए एक राष्ट्रीय सरकारी संस्था है जो लोगों के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण और

उत्सर्जन में कमी करने के महत्व, विधियों और लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य करती है। यह ईंधन कुशल यंत्रो/उपकरणों के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास के गतिविधियों को प्रायोजित करता है। इस कार्य में, पीसीआरए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों, सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थानों और प्रयोगशालाओं, शैक्षिक संस्थानों, उपभोक्ता संघों और अन्य संगठनों की मदद लेती है। यह पेट्रोलियम संरक्षण के लिए नीतियों और रणनीतियों का प्रस्ताव देने में भी सरकार की मदद करती है, जिसका उद्देश्य तेल और गैस के आवश्यकता के लिए देश की निर्भरता को कम करना है।

2016–17 के दौरान, इसके गतिविधियों के निष्पादन और प्रशासनिक व्यय के लिए ओआईडीबी द्वारा 41.25 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। वर्ष 2016–17 के दौरान, पीसीआरए द्वारा की गई विभिन्न प्रमुख गतिविधियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है:–

### i) क्षेत्रीय गतिविधियां

क्षेत्रीय क्रियाएँ पीसीआरए के संचालन के प्रमुख क्षेत्रों में से एक हैं। क्षेत्रीय क्रियाओं द्वारा पीसीआरए के अभियंता और इसके पैनल के विशेषज्ञ लक्षित समूह तक ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पहुँचते हैं। हमारे देश के सामाजिक व आर्थिक विस्तार के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात उद्योग, परिवहन, घरेलू, कृषि और वाणिज्यिक क्षेत्र तक पहुँचने के लिए इन गतिविधियों की बड़े स्तर पर रूपरेखा बनाई जाती है। वर्ष के दौरान, देश भर में कुल 16504 क्षेत्रीय गतिविधियों को आयोजित किया गया।

### ii) औद्योगिक क्षेत्र

देश में ईंधन की खपत का लगभग 14% हिस्सा औद्योगिक क्षेत्र में होता है। इस क्षेत्र में, पीसीआरए द्वारा किये गये कार्यक्रम लघु उद्योगों, ऊर्जा दक्षता अध्ययन के माध्यम से ईंधन प्रयोग में सुधार, संगोष्ठी, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि पर केंद्रित होते हैं।

#### ऊर्जा दक्षता अध्ययन, तकनीकी सेमिनार, संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम और औद्योगिक कार्यशलाएं

2016–17 के दौरान, पीसीआरए ने इस क्षेत्र में 671 ऊर्जा दक्षता अध्ययन किया, जिसमें ऊर्जा लेखा परीक्षा (278), ईंधन तेल नैदानिक अध्ययन (163) और लघु उद्योगों में वाकथ्रू ऑडिट (230) शामिल है। ऊर्जा दक्षता के लिए प्रौद्योगिकियों में किए गए प्रगति और परिचालन में अमल करने योग्य सुधार की जानकारी के प्रसार के लिए तकनीकी संगोष्ठी एक प्रभावी साधन हैं। इस दिशा में, पीसीआरए ने 2016–17 के दौरान, विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों के लाभ के लिए, देश के विभिन्न भागों में 215 संगोष्ठी/तकनीकी बैठकों का आयोजन किया। संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से, पीसीआरए अपने औद्योगिक ऊर्जा लेखापरीक्षा अनुभवों को साझा करता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य संरक्षण क्षमता के बारे में हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाना है, जो कि उनके संयंत्रों के ऊर्जा लेखापरीक्षा के माध्यम से साधित किया जा सकता है। 2016–17 में, पीसीआरए ने विभिन्न उद्योगों में 673 औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। ऊर्जा और ईंधन बचत के उपायों को शामिल करते हुए पीसीआरए ने 681 कार्यशालाओं का आयोजन किया। कार्यशालाओं के दौरान, उद्योगों में ईंधन और ऊर्जा बचत की युक्तियों पर फिल्मों की क्लिपिंग भी दिखायी गई।

#### पीएटी योजना के तहत ऊर्जा लेखापरीक्षा के माध्यम से उद्योगों के लिए ऊर्जा दक्षता पर कार्यक्रम

पैट (परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड), योजना चक्र–1 के तहत देश भर के सीमेंट उद्योग, ऊष्मा उर्जा संयंत्र, उर्वरक, एल्युमिनियम उद्योग, लौह एवं ईस्पात उद्योग, क्लोर–क्षार उद्योग, लुगदी व कागज उद्योग और वस्त्र उद्योग जैसे 8 क्षेत्रों में 478 औद्योगिक इकाइयों को अपने विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। पैट चक्र–1 के पूर्ण होने पर दिसम्बर 2015 में पैट चक्र–2 को 3 अतिरिक्त क्षेत्रों (रेलवे, रिफाइनरीज और विद्युत वितरण उद्योग) के साथ अधिसूचित किया गया जबकि पुराने 8 क्षेत्र नए लक्ष्य के साथ जारी रहे। इस प्रकार, पैट योजना 11 क्षेत्रों में 621 इकाइयों को शामिल करती हुई विस्तृत हो गयी।

पीसीआरए पैट योजना के तहत ऊर्जा दक्षता के अध्ययन के तहत इन उद्योगों में से कुछ की सहायता कर रहा है। वर्ष 2016–17 के दौरान, पीसीआरए ने ऊष्मा उर्जा संयंत्र, वस्त्र उद्योग, लौह एवं ईस्पात और क्लोर–क्षार उद्योगों में

पैट योजना के तहत 5 ऊर्जा लेखापरीक्षा पूरे किए। पीसीआरए देश में 13 नामित पेट्रोलियम रिफाइनरियों में से 12 में अनिवार्य ऊर्जा लेखापरीक्षा कर रहा है, जो लक्ष्य के अनुसार 2017–18 में पूरा होगा।

**आईएसओ 50001:2011 उर्जा प्रबंधन प्रणाली के लिए कार्यान्वयन सलाहकार (ईएनएमएस)।**

अलग–अलग क्षमताओं में औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता अध्ययन से जुड़े आईएसओ 50001 के लीड ऑडिटर के माध्यम से आईएसओ 50001 उर्जा प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वयन सलाहकार के रूप में भी पीसीआरए कार्य कर रहा है।

वर्ष 2016–17 के दौरान पीसीआरए ने आईएसओ 50001: 2011 उर्जा प्रबंधन प्रणाली के तहत 26 कार्यान्वयन पूरे किए जिनमें ल्यूब ऑयल संयंत्र, गैस टर्मिनल, भारी अभियांत्रिकी उद्योग, एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र, ऑयल टर्मिनल और डेयरी संयंत्र शामिल है।

**ऊर्जा लेखा परीक्षकों का पैनल**

वर्षों से, पीसीआरए गुणवत्ता वाले ऊर्जा लेखापरीक्षक विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिनकी सेवाएं देश में उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए उपलब्ध होती है। हमारी पैनल समिति में बीईई, एनपीसी, टेरी और पीसीआरए के सदस्य शामिल रही हैं। आज पीसीआरए सूचीबद्ध 83 उर्जा लेखापरीक्षकों का एक मजबूत समूह भारतीय उद्योग को सेवाएं प्रदान कर रहा है।

### iii) परिवहन क्षेत्र

पीसीआरए बेहतर रखरखाव प्रथाओं और बेहतर ड्राइविंग की आदतों के माध्यम से पेट्रोल, डीजल, स्नेहकों तथा ग्रीसों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू), निजी बड़े ऑपरेटरों, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के लिए ड्राईविंग प्रशिक्षण कार्यक्रम (डीटीपीयू), मॉडल डिपो परियोजनाओं आदि जैसे विविध कार्यक्रमों का आयोजन करता है। वर्ष 2016–17 के दौरान पीसीआरए ने 4098 चालक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर 55283 चालकों को प्रशिक्षित किया।

### iv) कृषि क्षेत्र

किसान समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, पीसीआरए वैन प्रचार, किसान मेला और कृषि महाविद्यालयों के छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों जैसी गतिविधियों का आयोजन करता हैं। इन गतिविधियों के दौरान, ईंधन संरक्षण पर लघु चित्र और फिल्मों को भी दिखाया गया है। वर्ष 2016–17 में पीसीआरए ने 196 किसान मेलों में भाग लिया और 1585 कृषि कार्यशालाओं का आयोजन किया।

### v) घरेलू क्षेत्र

**एलपीजी/कैरोसिन बचत पर कार्यशाला**

एलपीजी/पीएनजी और मिट्टी के तेल के संरक्षण को बढावा देने के लिए पीसीआरए ने गृहिणियों, कालेज की छात्राओं और रसोईयों को ईंधन संरक्षण के लिए खाना पकाने की बेहतर आदतों पर ईंधन कुशल स्टोव और प्रकाश उपकरणों का उपयोग करने और ऊर्जा वैकल्पिक स्रोतों जैसे सौर, बायो गैस आदि के उपयोग के लिए शिक्षित किया है। कार्यक्रम के दौरान एलपीजी/पीएनजी और मिट्टी के तेल की बचत टिप्स, वीडियो क्लिपिंग, फिल्मों आदि के माध्यम से जानकारी को प्रचारित किया जाता है। पीसीआरए द्वारा वर्ष 2016–17 में इस तरह के 1952 जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया है।

**युवा कार्यक्रम**

पीसीआरए का उद्देश्य युवा मन में उर्जा संरक्षण के महत्व और उन्हें अपने घरेलू और व्यावसायिक जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों में तेल संरक्षण के उपायों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना है। पीसीआरए इन समूहों जैसे– स्कूलों, कॉलेजों

और तकनीकी संस्थानों के समाधान के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। वर्ष 2016–17 के दौरान पूरे देश में कुल 2823 युवा कार्यक्रम आयोजित किये गये।

### vi) अनुसंधान और विकास

पीसीआरए द्वारा अनुसंधान एवं विकास संबंधित परियोजनायें, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा के अधिकतम उपयोग को लक्षित करने हेतु हैं, की पहल करता है और उन्हें प्रायोजित करता है। पीसीआरए नवीन अनुसंधान एवं विकास की पहल, बेहतर तकनीकियों का प्रदर्शन, चिन्हित क्षेत्रों में उन्नत तकनीकियों और प्रक्रियाओं जो तेल और गैस का संरक्षण करती हैं, को प्रोत्साहित और कार्यान्वित करता है। पीसीआरए पॉयलट परियोजना के रूप में डिवाइसों, उपकरणों, उपस्करों, फील्ड ट्रायल की सिफारिश करता है और उत्पादों के व्यवसायिकरण को प्रोत्साहित या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से फील्ड परीक्षणों के सफल समापन की क्रियाओं की सिफारिश करता है।

वर्ष 2016–17 के दौरान अनुसंधान और विकास पर एक नजर

| क्र. सं. | विवरण | परियोजना की संख्या | पीसीआरए की लागत (रूपये लाख में) | उद्योगों / संस्थानों का शेयर (रूपये लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | वर्ष 2016–17 के दौरान प्रदान की गई परियोजनाएं | 7 | 159.75 | 33.11 |
| 2 | वर्ष 2016–17 के दौरान पूरी की गई परियोजनाएं | 1 | 11.67 | 6 |
| 3 | वर्ष 31 मार्च, 17 को चल रही परियोजनाएं | 13 | 290.865+टैक्स | 176.11+टैक्स |
| 4 | वर्ष 2016–17 के दौरान स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुमोदित नई अनुसंधान और विकास परियोजनाएं | 3 | 81.06 | 10.4 |

**वर्ष 2016–17 को चल रही परियोजनाए**

(i) रसोई कचरे का उपयोग कर सॉलिड स्टेट फरमेंटेशन के लिए छत के उपर बायोमास संयंत्र का डिजाइन और विकास

(ii) बेहतर एलपीजी घरेलू रसोई बर्नर का विकास।

(iii) ईंधन तेल और गैस के पुनः प्राप्ति के लिए प्लास्टिक कमरे का थर्मल उपचार।

(iv) भारत में उपयोग में आ रहे दोपहिया वाहनों के ईंधन की मित्तव्यता और कार्बन डाई ऑक्साइड (Co2) उत्सर्जन के बीच लेनदेन के लिए एक सांख्यिकीय मॉडल का विकास।

(v) रिफाइनरी टैंक स्लज और एफसीसी स्पेंट केटेलिस्ट वेलोराइजेशन। घरेलू रसोई के एलपीजी स्टोव की तापीय दक्षता में सुधार करना।

(vi) भीकाजी कामा चौराहे पर वाहनों के खड़े रहने के दौरान ईंधन की खपत और उपयुक्त अल्पीकरण उपयों के बाद बचत का अनुमान लगाना।

(vii) उत्तर पूर्व भारत में तुंग बीज से बायोडीजल का उत्पादन–(चरण–1)

(viii) क्लिन कार ट्रॉलियों के लिए अल्ट्रा–लो डेंसिटी रिफ्रेक्ट्री गेन्यूल्स का विकास।

(ix) कार्यालय जाने वालों के लिए कारपूलिंग का अध्ययन और उसके लाभ।

(x) लिग्नीसेल्यूलोसिक बायोमास को जैव मेथनॉल और मूल्य वर्धित रसायनों के रूपातंरण के लिए स्वीकृत प्रक्रिया।

(xi) वाहनों में ईंधन की खपत पर सड़क की स्थिति पर प्रभाव।

(xii) एयर–स्ट्रीम गैसीकरण के माध्यम से हाइड्रोजन संवर्धन से पूरित डाउन–ड्राफ्ट बायोमास गैसीफायर सिस्टम का डिजाइन, विकास और परीक्षण।

## vii) शिक्षा अभियान

शिक्षा अभियान का उद्देश्य ऊर्जा संसाधनों के कुशल उपयोग पर जन जागरूकता फैलाना और ईंधन संरक्षण संदेशों के विभिन्न माध्यमों जैसे फेसबुक, ट्विटर, यू ट्यूब आदि सोशल मीडिया वेबसाइटों से प्रसार संचार करना, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लोगों की गतिविधियों जैसे आईआईटीएफ, पेट्रोटेक, व्हाइब्रेंट गुजरात इत्यादि जैसे देश में प्रमुख प्रदर्शनियों में भागीदारी करके, पत्रिकाओं में विज्ञापन, स्मृति चिन्ह, ईंधन संरक्षण पर मुद्रित साहित्य वितरण, राष्ट्रीय स्तर के निबंध/चित्रकारी/क्विज प्रतियोगिताएं आदि भी अभियान के प्रचार प्रसार में शामिल हैं।

## viii) प्रमुख अभियानों में भागीदारी

### आईआईटीएफ 2016

नवंबर 2016, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 2016 में पीसीआरए ने भाग लिया। इस वर्ष, व्यापार मेले के विषय के अनुसार पीसीआरए स्टाल पूरी तरह से डिजिटल था। ईंधन बचत प्रथाओं को दर्शाते हुए डिजिटल पैनलों को दर्शकों को व्यस्त रखने के लिए स्थापित किया गया था।

### पेट्रोटेक 2016

पीसीआरए ने डिजिटल विषय के साथ पेट्रोटेक –2016 में भाग लिया। मंडप का उद्घाटन श्री धर्मेन्द्र प्रधान, माननीय राज्य मंत्री (आईसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अन्य देशों के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया। इस अवसर पर श्री अजय प्रकाश साहनी, अपर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और उपाध्यक्ष पीसीआरए और श्री आलोक त्रिपाठी, कार्यकारी निदेशक, पीसीआरए उपस्थित थे। डिजिटल बोर्ड, डिजिटल गेम, डिजिटल ई–किताबें, कॉरपोरेट फिल्म्स के एलईडी पैनलों पर डिजिटल डिस्प्ले, पीसीआरए के अनुसंधान एवं विकास पर किए गए वृत्तचित्र गतिविधियों, स्टार लेबल कार्यक्रम, घरेलू एलपीजी ईंधन बचत फिल्म आदि ने आगंतुकों के बीच बहुत रुचि पैदा की। मोनो–सेट पंप और स्टार लेबल एलपीजी चूल्हों का मॉडल प्रदर्शन के लिए डिस्प्ले पर चल रहे थे।

### व्हाइब्रेंट गुजरात 2017

पीसीआरए ने 9–13 जनवरी, 2017 में गांधी नगर, गुजरात में आयोजित व्हाइब्रेंट गुजरात मेले में भाग लिया। डिजिटल सेटिंग में ई–किताबें, अनुवाद, प्रदर्शन, खेल, प्रश्नोत्तरी आदि चीजों की प्रदर्शनी हुई और इसने बड़ी भीड़ को आकर्षित किया।

### "सक्षम 2017" मेगा मीडिया अभियान

सक्षम –2017 के दौरान मेगा मीडिया अभियान का सफलतापूर्वक आयोजन प्रसार भारती, एफएम और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा किया गया। जिसके लिए एक डॉक्युमेंट्री, जिंगल और माननीय मंत्री (आईसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अपील को तैयार और इस्तेमाल किया गया। इस वर्ष, पीसीआरए सक्षम –2017 की पहुंच को अधिकतम करने के लिए अन्य माध्यमों के अलावा डिजिटल माध्यम पर भरोसा किया। इस अभियान के दौरान, डिजिटल मीडिया प्रबंधन टीम ने प्रवर्धन (ट्विटर, फेसबुक, जीडीएन आदि) के लिए, वन–वे–लाइव स्ट्रीम, माइक्रोसाइट निर्माण, गैमीफिकेशन, संरक्षण प्रतिज्ञा, पीसीआरए मोबाइल गेम ऐप डाउनलोड्स, अभी भी और जीआईएफ क्रिएशंस आदि जैसे उन्नत उपकरणों का इस्तेमाल किया।

इस अभियान का मुख्य आकर्षण इस प्रकार हैः–

| पैरामीटर | लक्ष्य | प्राप्त लक्ष्य |
|---|---|---|
| फेसबुक पर कुल पहुंच | 50 मिलियन | 52.2 मिलियन |
| ट्वीटर पर कुल पहुंच | 20 मिलियन | 29.32 मिलियन |
| जीडीएन पर कुल पहुंच | 10 मिलियन | 22.4 मिलियन |
| कुल पहुंच | 80 मिलियन | 103.9 मिलियन |

## 6.3 उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीएचटी)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीएचटी) की स्थापना वर्ष 1987 में एक विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी के रूप में की गई थी ताकि रिफाइनरी प्रक्रिया, पेट्रोलियम उत्पादों और योजकों का विकास करने और अपनाने हेतु भावी प्रौद्योगिकी आवश्यकता का पता लगाया जा सके।

सीएचटी, डाउन स्ट्रीम क्षेत्र में भारत सरकार के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय कार्यक्रमों के कार्यान्व्यन हेतु पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तकनीकी विंग के रूप में कार्य करता है। सीएचटी के मुख्य कार्यों में प्रौद्योगिकी आवश्यकता का आकलन तथा रिफाइनरियों का प्रचालनात्मक निष्पादन मूल्यांकन और सुधार करना शामिल है। सीएचटी केन्द्रीयकृत तकनीकी सहायता, ज्ञान के प्रचार–प्रसार, डॉटा, निष्पादन सूचना एवं अनुभव का आदान–प्रदान करने के लिए तेल उद्योग के केन्द्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। सीएचटी रिफाइनिंग और विपणन क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य के वित्तपोषण का भी समन्वय करता है तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की "हाइड्रोकार्बन की वैज्ञानिक सलाहकार समिति" के कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहित करता हैः

वर्ष 2016–17 के दौरान सीएचटी को ओआईडीबी से सहायता–अनुदान के रूप में रूपये 19.82 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी। इस निधि में से सीएचटी द्वारा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं और विशेष अध्ययनों के लिए क्रमश 9.17 करोड़ रूपये तथा 1.40 करोड़ रूपये जारी किए गए थे। सीएचटी द्वारा वर्ष के दौरान प्रमुख निष्पादित गतिविधियां निम्नलिखित हैंः

**i) ऑटो ईंधन विजन एवं नीति 2025 :**

सीएचटी ने तेल विपणन कंपनियों के साथ 1 अप्रैल, 2017 से पूरे देश में नियमित रूप से बीएस–IV ईंधन को सुचारू ढंग से लागू करने के लिए रिफाइनरी को बंद करने की अनुसूची और उत्पाद की उपलब्धता की समीक्षा की। भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 2020 से देश भर में बीएस–V ईंधन को छोड़ते हुए, बीएस–IV से सीधे यूरो–VI समकक्ष भारत चरण–VI मानदंडों (अधिकतम 10 पीपीएम सल्फर वाले पेट्रोल और डीजल) को अपनाने का निर्णय लिया है। सीएचटी

ने बीएस–VI गैसोलीन और डीजल ईंधन विशिष्टियों को ठोस रूप में अपनाने में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय/सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ समन्वय और सहायता की है। सीएचटी परीक्षण पद्धतियों सहित प्रासंगिक ईंधन विनिर्देशों को जारी करने के लिए बीआईएस के साथ भी संपर्क कर रहा है।

### ii) 20वीं रिफाइनरी प्रौद्योगिकी बैठक (आरटीएम)

उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीएचटी) द्वारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से 7–9 सितंबर, 2016 को महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात में 20वीं रिफाइनरी प्रौद्योगिकी बैठक (आरटीएम) का आयोजन किया गया। बैठक का विषय "अभिनव समाधान के माध्यम से मूल्य सृजन" था।

सीएचटी की 20वीं रिफाइनरी प्रौद्योगिकी बैठक

श्री अजय प्रकाश साहनी, अपर सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बैठक का उद्घाटन किया। आरटीएम में भारत और विदेशों से रिफाइनिंग के 680 से अधिक पेशेवरों ने भाग लिया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित निम्नलिखित पुरस्कार, गांधी नगर में सितंबर 2016 में 20वें आरटीएम के दौरान प्रस्तुत किए गए:

(क) रिफाइनरियों के ऊर्जा निष्पादन के लिए वर्ष 2015–16 का जवाहर लाल नेहरू शताब्दी पुरस्कार

(ख) जनवरी 2016 में ओजीसीएफ के दौरान "फर्नेस/बॉयलर इंसुलेशन प्रभावकता और फर्नेस/बॉयलर दक्षता" के क्षेत्र में तेल और गैस संरक्षण पुरस्कार

(ग) वर्ष 2014–15 के लिए रिफाइनरियों और अनुसंधान एवं विकास हेतु अभिनव पुरस्कार

(घ) सबसे कम कार्बन डाई–ऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाली रिफाइनरियों के लिए निष्पादन पुरस्कार

### iii) स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास

सीएचटी हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के लिए शोध परियोजनाओं की पहचान और वित्त–पोषण करने में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हाइड्रोकार्बन वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी) की गतिविधियों का समन्वय करता है। एसएसी राष्ट्रीय महत्व और रिफाइनिंग प्रचालनों की परियोजनाओं को मंजूरी देता है और उनका संचालन करता है। एसएसी द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान एक परियोजना की सिफारिश की गई। वर्ष 2015–16 में एसएसी द्वारा 3 परियोजनाओं की सिफारिश की गई थी, जिसे वर्ष 2016–17 में सीटीटी के ईसी/जीसी द्वारा अनुमोदित किया गया था। वर्तमान में, 138.20 करोड़ रुपये की कुल लागत से 11 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें सीएचटी ओआईडीबी का योगदान 79.61 करोड़ रुपए रहा है।

सीएचटी ने रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से शोध प्रस्ताव आमंत्रित करने की नई पद्धति शुरू की है ताकि शिक्षा जगत से अधिक भागीदारी को आकर्षित किया जा सके और अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान एवं उद्योग के बीच इंटरफेस को सुदृढ़ किया जा सके। सबसे पहले ईओआई जून 2016 और उसके बाद फरवरी 2017 में प्रकाशित हुई थी।

**iv) स्वदेशी प्रौद्योगिकी का व्यावसायीकरण**

सीएचटी ने देश में संबंधित तेल उद्योग और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के पास उपलब्ध विकसित प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने और इन प्रौद्योगिकियों की वाणिज्यिक और तकनीकी जानकारी का आदान–प्रदान करने के लिए 20–21 जून, 2016 को स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण पर एक दो–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

**v) अनुभव के आदान–प्रदान का सार–संग्रह**

सीएचटी ने सभी रिफाइनरियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक सार–संग्रह प्रकाशित किया है ताकि श्रेष्ठ प्रथाओं के बारे में हुए अनुभवों को दर्ज किया जा सके, परस्पर लाभ के लिए सफलता की प्रमुख कहानियों को साझा किया जा सके तथा आगे सुधार के लिए कार्य–योजना तैयार की जा सके।

**vi) गतिविधि समिति की बैठकें**

श्रेष्ठ प्रचालन प्रथाओं और सुधारों का आदान–प्रदान करने और नवीनतम विकास के बारे में जानकारी का प्रचार–प्रसार करने के उद्देश्य से, सीएचटी ने रिफाइनिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रों/प्रौद्योगिकियों में विभिन्न गतिविधि समिति की बैठकें आयोजित कीं।

**vi) पीएसयू रिफाइनरियों की प्रदर्शन बेंचमार्किंग**

सीएचटी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पीएसयू/जेवी रिफाइनरियों की ओर से, मैसर्स सोलोमन एसोसिएट्स को 2016 चक्र के लिए पीएसयू की 15 ईंधन रिफाइनरियों, 4 ल्यूब रिफाइनरियों और बीओआरएल का अध्ययन बेंचमार्क करने का कार्य सौंपा है। वर्ष 2010, 2012 और 2014 के पिछले तीन चक्रों की ही तरह, वर्ष 2016 के बेंचमार्किंग अध्ययन से रिफाइनरियों द्वारा व्यापक क्षमताएं प्राप्त करने, विश्वसनीयता बढ़ाने और बेहतर मार्जिन प्राप्त करने के लिए कमियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। अंतिम रिपोर्ट नवंबर 2017 तक प्राप्त होने की संभावना है।

**viii) रिफाइनरियों में निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना का कार्यान्वयन**

पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्षेत्र को पीएटी योजना में चक्र–2 में शामिल किया गया है, जो 1.4.2016 से शुरू हुआ है। देश में 23 रिफाइनरियों में से 18 रिफाइनरियों (4 छोटी रिफाइनरियों अर्थात् ततिपका, कावेरी बेसिन, गुवाहाटी और डिगबोई रिफाइनरी और नव स्थापित पारादीप रिफाइनरी) को विनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में दिनांक 30 दिसंबर, 2015 की राजपत्र अधिसूचना सं. 225 को अधिसूचित किया गया है। सीएचटी ने प्रत्येक रिफाइनरी और बेसलाइन डेटा की जटिलता को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट ऊर्जा खपत (एमबीएन) की गणना के लिए एक पद्धति उपलब्ध कराने के लिए बीईई के साथ मिलकर काम किया है।

**ix) पीसीआरए द्वारा अनिवार्य ऊर्जा लेखा परीक्षा (एमईए)**

सीएचटी द्वारा उद्योग की ओर से समझौते को अंतिम रूप दिया गया है, जिसमें 12 पीएसयू रिफाइनरियों (आईओसी गुवाहाटी और डिगबोई को छोड़कर, जो पीएटी का भाग नहीं हैं, आईओसी–पारादीप, जिसे हाल ही में चालू किया गया था, और बीपीसीएल–कोच्ची, जिन्होंने हाल ही में एमईए पूरा किया है) की ऊर्जा लेखा परीक्षा पीसीआरए द्वारा करने के कार्यक्षेत्र तथा भुगतान शर्तें शामिल हैं।

### x) रिफाइनरी निष्पाादन सुधार कार्यक्रम (आरपीआईपी)

आरपीआईपी चरण–।। को फरवरी 2011 में शुरू किया गया था और 3 पीएसयू रिफाइनरियों अर्थात् बीपीसीएल मुंबई, एचपीसीएल मुंबई और एमआरपीएल में इसका मैसर्स शैल ग्लोबल सॉल्यूशंस इंटरनेशनल (एसजीएसआई) के माध्यम से 36 महीने तक विस्तार किया गया था। यह कार्यक्रम बीपीसीएल मुंबई में संपन्न हुआ और कार्यान्वयन के लिए कुछ परियोजनाएं (पीएफआई) एचपीसीएल मुंबई और एमआरपीएल में चल रही हैं।

रिफाइनरियों के निष्पादन में सुधार के लिए वैश्विक निविदा के माध्यम से ताजा अध्ययन को चरणबद्ध तरीके से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

## 6.4 तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी)

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय(ओआईएसडी),पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन एक तकनीकी निदेशालय है और जिसे पेट्रोलियम उद्योग में मानक बनाने, सुरक्षा ऑडिटों के माध्यम से इसके कार्यान्वयन की निगरानी रखने का दायित्व सौंपा गया है ताकि सुरक्षा स्तर बढ़ाए जा सकें और इस उद्योग में निहित जोखिम को कम किया जा सके। ओआईएसडी मानक हाइड्रोकार्बन क्षेत्र से संबंधित समस्त गतिविधियों अर्थात अन्वेषण व उत्पादन, शोधन, गैस प्रोसेसिंग, भंडारण, वितरण, पर्यावरण आदि को शामिल करते हैं जिन्हें तेल एवं गैस कंपनियों द्वारा स्व–नियामक आधार पर कार्यान्वित किया जाता है। ओआईएसडी का उद्देश्य तेल उद्योग सदस्यों, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों, के समन्वय से तेल व गैस इंस्टालेशनों में सुरक्षा को बढ़ाना है।

वर्ष 2016–17 के दौरान ओआईएसडी को ओआईडीबी से सहायता–अनुदान के रूप में रूपये 16.06 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी। ओआईएसडी के अनुसार, ओआईएसडी द्वारा वर्ष के दौरान प्रमुख निष्पादित गतिविधियां निम्नलिखित हैं।

### i) ओआईएसडी द्वारा सुरक्षा ऑडिट : वित्त वर्ष 2016–17

ओआईएसडी, सभी प्रकार की तेल व गैस इंस्टालेशनों की उनके ओआईएसडी मानकों के मुताबिक अनुपालन करने की निगरानी करने के लिए आवधिक सुरक्षा ऑडिट करता है। वर्ष 2016–17 के लिए ओआईएसडी सुरक्षा ऑडिट निष्पादन नीचे निर्दिष्ट है:

| गतिविधियां | मद | योजना | वास्तविक |
|---|---|---|---|
| मूल ऑडिट | | | |
| रिफाइनरी एवं गैस संसाधन संयंत्र | संख्या | 14 | 17 |
| विपणन संस्थापनाएं | संख्या | 70 | 93 |
| अंवेषण व उत्पादन तटीय संस्थापनाएं | संख्या | 50 | 50 |
| अंवेषण व उत्पादन अपतटीय संस्थापनाएं | संख्या | 16 | 16 |
| क्रॉस–कंट्री पाइपलाइनें | कि.मी. | 7000 | 7974 |
| अतिरिक्त ऑडिट पाइपलाइनें इंस्टालेशनें | | | |
| हाइड्रोकार्बन परिवहन के लिए जेट्टी पाइपलाइनें | संख्या | 01 | |
| पाइपलाइंस क्रूड फार्म्स | संख्या | 01 | |

*पीसीएसए

### ii) पूर्व कमीशनिंग सुरक्षा ऑडिट (पीसीएसए)

सुरक्षित व उत्पादक पूंजीकरण सुनिश्चित करने और इसके द्वारा बड़े पैमाने पर जनता के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति करने के लिए ओआईएसडी तेल व गैस उद्योग में ग्रीनफील्ड परियोजनाओं का पूर्व कमीशनिंग सुरक्षा ऑडिट करता है। ये ऑडिट वहां आयोजित किए जाते हैं जहां ग्रीनफील्ड विस्तार और मौजूदा लोकेशनों पर मुख्य अतिरिक्त सुविधाएं भी स्थापित की जा रही हैं ताकि निर्माणावस्था पर ही ओआईएसडी मानकों के मुताबिक इन सुविधाओं का प्रारंभ से ही अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

2016–17 के दौरान उपयोक्ता उद्योग सदस्यों के अनुरोध पर इस प्रकार के 39 ऑडिट किए गए। इस संदर्भ में 18 पाइपलाइन इंस्टालेशनों को कवर करने वाली 1588 कि. मी. लंबी पाइपलाइन का भी ऑडिट किया गया।

| गतिविधियां | मद | वास्तविक |
|---|---|---|
| **पूर्व कमीशनिंग सुरक्षा ऑडिट (पीसीएसए) 2016–17** | | |
| रिफाइनरी एवं गैस संसाधन संयंत्र | संख्या | 17 |
| विपणन संस्थापनाएं | संख्या | 21 |
| क्रॉस–कंट्री पाइपलाइनें | संख्या | 1558 |

### iii) अपतटीय इंस्टालेशनों के लिए "प्रचालन की सहमति"

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस(अपतटीय प्रचालनों में सुरक्षा),नियमावली,2008 के कार्यान्वयन की निगरानी रखने के लिए सक्षम प्राधिकरण के तौर पर ओआईएसडी ड्रिलिंग रिगों सहित अपतटीय इंस्टालेशनों में "प्रचालन की सहमति" प्रदान करता है। वर्ष 2016–17 के दौरान 13 ड्रिलिंग प्लेटफार्मों और – 15 ड्रिलिंग रिगों में "प्रचालन की सहमति" प्रदान की गई है।

### iv) तकनीकी संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं

अद्यतन प्रौद्योगिकीय विकास पर चर्चा करने,घटना अनुभव साझा करने आदि के लिए तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय द्वारा तेल उद्योग के लिए तकनीकी संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

वर्ष 2016–17 के दौरान ओआईएसडी ने निम्नलिखित संगोष्ठियाँ/कार्यशालाएं आयोजित कीं :

(i) एचपीसीएल एलपीजी बॉलिंग प्लांट, लोनी, गाजियाबाद में 29 सितंबर, 2016 को ऑडिटरों के लिए "मांउडिड स्टोरेज वैसल और इनका सीपी सिस्टम विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला"।

(ii) ओआईएसडी, नोएडा में 28–29 दिसम्बर 2016 के दौरान "अंवेषण व उत्पादन प्रचालन में उभरते हुए जोखिमों तथा विगत में हुई दुर्घटनाओं से सीखें सबक" विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला।

(iii) ओआईएसडी, नोएडा में 3 मार्च 2017 को "पीओएल टर्मिनल ऑपरेशन" पर एक दिवसीय कार्यशाला।

(iv) ओआईएसडी, नोएडा और आईओसीएल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, मदनपुरखादर में 17 मार्च, 2017 को "ऑडिटरों के लिए मांउडिड स्टोरेज वैसल और इसका सीपी सिस्टम विषय पर दूसरी एक दिवसीय कार्यशाला"।

### v) 'तेल उद्योग सुरक्षा पुरस्कारों' के माध्यम से उद्योग में सुरक्षा निष्पादन को प्रोत्साहन

उद्योग सदस्यों के सुरक्षा निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन विशेष रूप से विकसित कार्यप्रणाली द्वारा किया जाता है जिसमें जुडे खतरों, वर्ष के दौरान दर्ज की गई घटनाओं और इंस्टालेशन की सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को संज्ञान में लिया जाता है। वर्ष के दौरान असाधारण सुरक्षा निष्पादन हासिल करने वाले संगठनों को तेल उद्योग सुरक्षा पुरस्कारों से नवाजा जाता है। इसके अलावा, संबंधित इंस्टालेशनों में सुरक्षा की दिशा में असाधारण योगदान करने वाले व्यक्तियों को भी

प्रोत्साहित किया जाता है और इस प्रकार के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2014–15 के लिए प्राप्तकर्ताओं को 'तेल उद्योग सुरक्षा पुरस्कार' 29 नवम्बर, 2016 को नई दिल्ली में हुए भव्य समारोह में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस द्वारा प्रदान किए गए।

### vi) सुरक्षा परिषद

भारत में तेल व गैस उद्योग में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के सही कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन शीर्षस्थ सुरक्षा परिषद स्थापित की। तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) सुरक्षा परिषद की सहायता करता है,जिसके प्रमुख सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते हैं और सदस्य, स्टोकहोल्डरों विस्तृत–सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निजी क्षेत्र और संयुक्त उद्यमों के साथ–साथ संबद्ध विशेषज्ञ निकाय प्रतिनिधित्व करते हैं। सुरक्षा निष्पादन की समीक्षा करने के लिए सुरक्षा परिषद वर्ष में एक बार बैठक करती है और 7 जून, 2016 को परिषद की 33वीं बैठक हुई थी।

### vii) सुरक्षा मानकों का विकास

- ओआईएसडी सहभागिता प्रक्रिया के माध्यम से तेल व गैस क्षेत्र के लिए मानक मार्ग/निर्देश/अनुशंसित सिफारिशें विकसित करता है जिसमें सभी स्टोकहोल्डरों(बड़े पैमाने पर जनता सहित) को शामिल किया जाता है, प्रतिनिधियों के अनुभवों का लाभ उठाते हुए अंतर राष्ट्रीय मानकों से जानकारी लेकर उन्हें भारतीय स्थितियों के मुताबिक रूपान्तरित किया जाता है। इन मानकों में इनबिल्ट डिजाइन सुरक्षा,परिसंपत्ति विश्वसनीयता और पेट्रोलियम के उत्पादन,प्रोसेसिंग,भंडारण व परिवहन के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रचालन पद्धतियां शामिल हैं। नए मानको को विकसित करने की आवश्यकता का पता लगाने, अद्यतन प्रौद्योगिकीय विकासों के साथ–साथ मौजूद वर्तमान अनुभवों को शामिल करने के लिए मौजूदा मानकों को अपडेट करने/संशोधित करने के लिए ओआईएसडी मानकों की समय–समय पर समीक्षा की जाती है। आज की तारीख तक तेल उद्योग के लिए ओआईएसडी ने 120 तकनीकी सुरक्षा मानक विकसित किए हैं। इनमें 11 मानकों को पेट्रोलियम नियमावली और गैस सिलेंडर नियमावली के सांविधिक प्रवधानों में भी शामिल किया गया है।

ओआईएसडी का तेल उद्योग सुरक्षा पुरस्कार समारोह

- वर्ष 2016–17 के दौरान ओआईएसडी ने 08 मौजूदा मानकों को संशोधित/परिवर्तित किया हैं। इन मानकों, उनके संशोधन की मौजूदा प्रक्रिया का पालन करने के बाद, 6 जनवरी, 2017 को सुरक्षा परिषद द्वारा 52 वीं संचालन समिति की बैठक में अंगीकार करने के लिए रखा जाएगा।

### viii) घटना जांच व विश्लेषण

ओआईएसडी दुर्घटना के मूल कारण का विश्लेषण करने के लिए मुख्य घटनाओं (गंभीरता/क्षति के आधार पर) की जांच के साथ–साथ जांच में भाग लेता है। तेल उद्योग की घटनाओं का एक डेटा बैंक बनाकर रखा जाता है और रुझानों,सरोकार के क्षेत्रों और सुधारात्मक कार्रवाई का मूल्यांकन करने के लिए विश्लेषण किया जाता है। इन्हें उसी समय सुरक्षा अलर्टों, परामर्शी नोटों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वैबसाइट लिंकों आदि के माध्यम से उद्योग को प्रसारित किया जाता है। 2016 –17 के दौरान ओआईएसडी द्वारा 4 बड़ी घटनाओं की जांच की गई।

### ix) अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलाप

#### क) संचालन समिति की 52 वीं बैठक।

ओआईएसडी, नोएडा में तेल एवं गैस उद्योग (प्रिंसिपल पैनलिस्ट्स) के प्रतिनिधियों के साथ 6 जनवरी, 2017 को आयोजित संचालन समिति की 52वीं बैठक हुई। बैठक के दौरान चर्चा किए गए कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

- नए/संशोधित/ओआईएसडी मानकों को अपनाना।
- सभी क्षेत्रों–ईएण्डपी, सन्दर्भ और जीपीपी, पाइपलाइन और मार्केटिंग समूह के वर्ष 2016–17 के लिए वास्तविक की तुलना में ओआईएसडी की ईएसए योजना।
- लम्बे समय से लम्बित महत्वपूर्ण ईएसए/एसएसए के कार्यान्वयन स्थिति की समीक्षा।
- पिछले तीन सालों के लिए घटना विश्लेषण और सिफारिशों के कार्यान्वयन स्थिति की समीक्षा।
- सामान्य रेलवे साइडिंग से संबंधित सुरक्षा मुद्दे।
- आईओसीएल हजीरा टर्मिनल फायर और टाटीपाका में गेल पाइपलाइन की प्रमुख घटनाओं की जांच समिति की रिपोर्टो की सिफारिशों की अनुपालन स्थिति।

#### ख) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस उद्योग के लिए सुरक्षा नियामक

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति और विभिन्न विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के अनुरूप ओआईएसडी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सेफ्टी बोर्ड बिल का मसौदा तैयार किया है। बिल का उद्देश्य देश में समस्त पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग में सुरक्षा संबंधी विनियमों को एक छत्र के नीचे लाने वाला संगठन बनाना है।

बिल के पास होने पर देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग में सुरक्षा संबंधी वैधानिक तंत्र के विखंडन से बचा जा सकेगा और इस उद्योग की सुरक्षा संबंधी मामलों को देखने के लिए तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओ आई एस डी) विधि द्वारा स्थापित एकमात्र एजेंसी होगी।

बिल सचिवों की समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा चुका है। वर्तमान में बिल सचिवों की समिति के विचाराधीन है।

#### ग) एमबी लाल समिति की सिफारिशों की निगरानी

समस्त तेल और गैस क्षेत्र में एम बी लाल समिति की सिफारिशों एवं ओआईएसडी–116 एवं 117 के अनुपालन की ओआईएसडी तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सघन निगरानी और समीक्षा की जा रही है। इस प्रकार की नियमित समीक्षा बैठकों के परिणाम–स्वरूप सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मदों को लागू करने की गति में महत्वपूर्ण तेजी आई है। उद्योग द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले 113 सिफारिशों में से, तेल विपणन कंपनियों ने पहले ही 112 को लागू कर दिया है और देश में इमरजैंसी रेस्पॉस सेंटर (ईआरसी) की स्थापना से संबंधित एक शेष सिफारिश कार्यान्वयन के अंतर्गत है।

**घ) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) बंकरिंग के लिए सुरक्षा दिशानिर्देशों का विकास**

ओआईएसडी को भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय द्वारा सलाह दी गई है कि बडे जहाजों, कोस्टल शिपिंग और अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) टर्मिनलों के लिए बंदरगाहों में एलएनजी बंकरिंग सुविधाओं के लिए सुरक्षा पर दिशानिर्देश तैयार किया जाए। इस संबंध में इन दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए ओआईएसडी ने कार्यात्मक विशेषज्ञों की एक समिति बनाई है।

**ङ) ओआईएसडी दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन**

ओआईएसडी के विभिन्न खंडों में दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन किया गया है। दस्तावेजों की प्रतिधारण नीति के अनुसार डिजिटाइजेशन के साथ–साथ दस्तावेजों की छटाई की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। डिजिटल दस्तावेज भारत सरकार के क्लाउड सर्वर (मेघदूत) पर उपलोड किए जा रहे हैं ताकि जानकारी की पहुंच, स्टोर और रिकवरी में आसानी हो सके।

## 6.5 पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) का गठन दिनांक 1 अप्रैल, 2002 को पेट्रोलियम क्षेत्र में निर्देशित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) के समापन के उपरांत, तेल समन्वय समिति को भंग कर, दिनांक 1 अप्रैल 2002 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रुप में सरकार को निम्न लिखित कार्यों के लिए सहायता प्रदान करने हेतु एक नए प्रकोष्ठ के रूप में किया गयाः

(क) पीडीएस केरोसीन एवं घरेलु एलपीजी पर सब्सिडी और दूर–दराज के क्षेत्रों के लिए भाड़ा सब्सिडी की प्रबंध व्यवस्था

(ख) आपातकालीन एवं अप्रत्याशित स्थितियों से मुकाबला करने के लिए सूचना डेटा बैंक और संचार प्रणाली का अनुरक्षण

(ग) अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार और घरेलु कीमतों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण

(घ) पेट्रोलियम आयातों और निर्यातों की प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन

(ड) क्षेत्र विशेष अधिभार योजनाओं का संचालन, यदि कोई हों।

**संरचना**

महानिदेशक की अध्यक्षता में वित्त, आपूर्ति, मांग, सूचना प्रोद्योगिकी, विपणन, गैस, और मानव संसाधन एवं समन्व्य प्रभागों के अधीन पीपीएसी के पास 43 अधिकारियों एवं स्टाफ की स्वीकृत संख्या है। महा निदेशक जो केन्द्रीय सरकार से प्रतिनियुक्ति पर हैं, को छोड़कर सभी अधिकारी एवं स्टाफ तेल कंपनियों से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए हैं।

वर्ष के दौरान, तेउविबो द्वारा पीपीएसी को 20.82 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया। पीपीएसी के अनुसार, वर्ष के दौरान के दौरान की गई मुख्यः गतिविधियां निम्नलिखित थी :

**i) तेल विपणन कंपनियों के सब्सिडी एवं डीबीटीएल दावों का निपटान**

(i) 1 अप्रैल 2015 से, पीडीएस केरोसीन एवं घरेलू एलपीजी सब्सिडी योजना, 2002 और दूर–दराज के क्षेत्रों के लिए भाड़ा सब्सिडी चालू वित्त वर्ष में अब उपलब्ध नहीं है तथापि, मुख्य सब्सिडी एवं भाड़ा सब्सिडी योजनाओं के अधीन वर्ष 2014–15 की देय बकाया राशि रुपये 3292 करोड़ और रुपये 0.59 करोड़ तेल विपणन कंपनियों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016–17 में जारी किया गया।

(ii) वर्ष 2016–17 के लिए रुपये 12133 करोड़ के एलपीएफ (डीबीटीएल) दावे के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण संसाधित किए गए हैं। इसमें से रुपये 7459 करोड़ तेल विपणन कंपनियों को वितरित कर दिए गए हैं। बकाया राशि बजटीय निधि के अभाव में, लंबित रखे गए।

(iii) प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना 01.04.2016 से प्रारंभ हुई। इस योजना के तहत भारत सरकार गरीब परिवारों की महिला लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर और 5 किलोग्राम सिलेंडर कनेक्शन सुरक्षा जमा मुक्त जारी

करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को क्रमशः रुपये 1600 और रुपये 1150 प्रति कनेक्शन अदायगी करेगा। योजना के तहत पीपीएसी ने वर्ष 2016–17 के दौरान 2999 करोड़ रुपये की राशि के दावे संसाधित किए थे। इसमें से 2500 करोड़ रुपये ओएमसी को वितरित किए गए हैं। शेष राशि बजटीय निधियों की कमी के कारण लंबित रखी गई है।

(iv) केरोसीन के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण 01.04.2016 से अधिसूचित किया गया था। यह योजना 01.10.2016 से झारखंड के चार जिलों में शुरू हुई थी। अवधि के दौरान पीपीएसी द्वारा रुपये 11 करोड़ के दावे संसाधित किए गए। इसमें से 1 लाख रुपये तेल विपणन कंपनियों को वितरित किए गए हैं।

### ii) पूर्वोत्तर गैस सब्सिडी दावों का निपटान

वर्ष 2016–17 के दौरान, पीपीएसी द्वारा संसाधित दावों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पर सब्सिडी के रुप में 745 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

### iii) तेल विपणन कंपनियों के अंडर रिकवरी के दावों का निपटान

वर्ष 2016–17 के दौरान, पीडीएस केरोसीन पर रुपये 7595 करोड़ के कुल अंडर रिकवरी दावों की छानबीन की गई और उसके मुआवजे की क्रियाविधि पीपीएसी द्वारा तैयार की गई। इसमें से तेल विपणन कंपनियों को रुपये 452 करोड़ वितरित किए गए। रुपये 7142 करोड़ की बकाया राशि को बजटीय निधियों की कमी के कारण लंबित रखा गया।

### iv) घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य अधिसूचना

प्राकृतिक गैस की कीमतों के समय–समय पर हुए संशोधन को अधिसूचित करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने महानिदेशक, पीपीएसी को अधिकृत किया है। तदनुसार, अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 और अप्रैल 2016 से सितंबर 2016 और अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 तक की अवधि के लिए पीपीएसी द्वारा प्राकृतिक गैस की कीमत अधिसूचित की गई थी।

### v) गैस मूल्य सीमा अधिसूचना

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मार्च, 2016 में गहरे पानी, अत्यधिक गहरे पानी और उच्च दवाब–उच्च तापमान क्षेत्रों में खोजों से उत्पादित गैस के लिए वैकल्पिक ईंधन लदान मूल्य के सीमा आधार पर मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता सहित विपणन स्वतंत्रता की अनुमति दी थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उक्त अधिसूचना के तहत, महानिदेशक, पीपीएसी को गैस की कीमतों की सीमा के सामयिक संशोधन को अधिसूचित करने के लिए अधिकृत किया है। तदनुसार, वर्ष 2015–16 के दौरान, अप्रैल 2016 से सितंबर 2016 और अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 तक की अवधि के लिए पीपीएसी द्वारा गैस की कीमत अधिसूचित की गई थी।

### vi) उर्वरक (यूरिया) क्षेत्र में गैस पूलिंग तंत्र के माध्यम से उत्पन्न दक्षता :

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पीपीएसी को सलाह दी थी कि जुलाई 2015 में पूल प्रबंधन समिति (ईपीएमसी) तंत्र की स्थापना के बाद से उर्वरक (यूरिया) क्षेत्र में गैस पूलिंग तंत्र के माध्यम से उत्पन्न दक्षता का पता लगाने के लिए एक विश्लेषण किया जाना चाहिए। तदनुसार, पीपीएसी ने गैस पूलिंग तंत्र के माध्यम से उत्पन्न दक्षता का अध्ययन किया और फरवरी 2017 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अध्ययन में 1 जुलाई 2015 से 31 मार्च, 2016 तक एवं गत वर्ष की परवर्ती अवधि को कवर किया गया था। अध्ययन से पता चला है कि गैस पूलिंग तंत्र के प्रारंभ होने के बाद 2015–16 के दौरान यूरिया उत्पादन अब तक का उच्चतम रिकॉर्ड रहा। पिछले साल की तुलना में यूरिया के कम आयात और साथ ही साथ आर–एलएनजी की आपूर्ति के लिए निविदाओं में पांच से छः बोलीकर्ताओं के प्रत्ये क बोली–प्रक्रिया चक्र में न्यूनतम आयात कीमतों के कारण वर्ष 2015–16 में विदेशी मुद्रा में बचत हुई थी और इस प्रकार पर्याप्त प्रतिस्पर्धा पैदा हो सकी, यूरिया संयंत्रों को गैस की आपूर्ति 3.33% अधिक हो सकी और घरेलू गैस की कीमतों में कमी और गैस

की कीमतों में कमी के चलते जुलाई, 2015 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान यूरिया इकाइयों के लिए जमा की गई गैस की कीमत करीब यूएस$ 9.7–7.2 एमएमबीटीयू यूरिया यूनिट्स में गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, ईपीएमसी ने गैस पूलिंग तंत्र के तहत एक पारदर्शी बोली–प्रक्रिया प्रणाली के कारण इकाइयों के लिए उचित आर–एलएनजी कीमतें भी प्राप्त की हैं। सरकार ने नई उर्वरक नीति–2015 भी शुरू की थी, जिसके कारण उत्पादन को अधिकतम करने के लिए पूर्व निर्धारित ऊर्जा खपत मानदंडों को कम किया गया और यूरिया इकाइयों को प्रोत्साहित भी किया गया। इन सभी कारकों ने घरेलू यूरिया के उत्पादन की कम लागत में योगदान दिया था, जिससे बदले में सरकार की सब्सिडी का बोझ कम हो गया था।

**vii) "पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के मॉडल मिश्रण (पाइपलाइन/रेल/सड़क/तटीय)" पर अध्ययन।**

"पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के मॉडल मिश्रण" पर रिपोर्ट तैयार कर 30.08.2016 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रस्तुत की जा चुकी है।

रिपोर्ट में मुख्य रूप से 2010–11 से 2014–15 की पांच साल की अवधि के दौरान कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के साधन–वार परिवहन की जांच की गई और प्रत्येक साधन द्वारा परिवहन की लागत की तुलना की गई है। इष्टतम उत्पाद मिश्रण को प्राप्त करने के लिए जिस तरह से आगे भी सुझाव दिया गया था, उस पर विचार करने का सुझाव दिया गया था कि ओएमसी के स्तर पर प्रयासों के अलावा, मैक्रो स्तर पर नीतिगत कार्रवाइयां भविष्य के मॉडल विकल्पों पर प्रभाव डाल सकती हैं।

**viii) एलपीजी के आयात में तेल विपणन कंपनियों को होने वाले विलंब शुल्क के गैर–नियंत्रणीय हिस्से को सब्सिडी में शामिल करने के उद्देश्य से एलपीजी के आयात में नियंत्रणीय और गैर नियंत्रणीय कारको का पता लगाने के लिए अध्ययन।**

"एलपीजी के आयात में तेल विपणन कंपनियों द्वारा विलंब शुल्क" पर अध्ययन पूरा हो चुका है और इसकी रिपोर्ट दिनांक 12.07.2016 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सौंप दी गई थी।

रिपोर्ट मुख्य रूप से उन कारकों की पहचान करने के उद्देश्य से थी, जिनसे एलपीजी आयात में विलंब शुल्क लगता है ताकि उन्हें नियंत्रणीय और गैर नियंत्रणीय वर्गों में विभाजित किया जा सके और गैर नियंत्रणीय भाग को ओएमसीज के सब्सिडी दावे में शामिल किया जा सके।

अध्ययन के दौरान, देश भर में 15 एलपीजी आयात टर्मिनलों पर मौजूदा बाधाओं के साथ एलपीजी आयात की बुनियादी सुविधाओं का अध्ययन किया गया जहां एलपीजी प्राप्त की जा रही है। विलंब शुल्क को कम करने के लिए, सिफारिशें दी गईं, जो बड़े पैमाने पर विलंब शुल्क को कम कर सकती हैं। कुछ सिफारिशें दीर्घकालिक किस्म की हैं और इनमें काफी निवेश की आवश्यकता होगी।

**ix) ओएमसीज द्वारा कच्चे तेल के आयात में उन विभिन्न कारकों को चिह्नित करने का अध्ययन जिनसे बार बार विलंब शुल्क लगता है तथा ओएमसीज को कच्चे तेल के आयात पर होने वाले विलम्ब शुल्क को कम करने के लिए कार्य योजना बनाने हेतु इनपुट देना।**

"कच्चे तेल के आयात में तेल विपणन कंपनियों को लगने वाले विलंब शुल्क" पर अध्ययन पूरा हो चुका है और इसकी रिपोर्ट दिनांक 10.01.2017 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सौंप दी थी।

इस रिपोर्ट में ऐसे विभिन्न कारकों की पहचान की गई और उनका परीक्षण किया गया जिनसे तेल विपणन कंपनियों द्वारा कच्चे तेल के आयात पर विलंब शुल्क लगता है तथा इसे न्यूनतम करने के लिए कार्य योजना बनाई गई। अध्ययन के दौरान भारत में कच्चे तेल आयात को संभालने वाले ऐसे 7 बंदरगाह समूहों की संरचना और बाधाओं का अध्ययन किया गया जहां कच्चा तेल प्राप्त किया जाता है। कारणों के आंकलन के आधार पर रिपोर्ट में सिफारिशें दी गईं जिनसे पीएसयू तेल विपणन कंपनियों को वर्तमान में कच्चे् तेल के आयात पर लगने वाले विलंब शुल्क को कम करने में सहायता मिल सकती है।

# अध्याय–4

## वित्तीय सहायता : अनुसंधान और विकास तथा अन्य अनुदान

1. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 6 में अन्य बातों के साथ – साथ यह प्रावधान किया गया है कि तेल उद्योग के लिए उपयोगी वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बोर्ड द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। हाइड्रोकार्बन विज़न 2025 में भी परिकल्पना की गई है कि तेल उद्योग विकास बोर्ड उपकर व अन्य नवीन संसाधन जुटाने के दृष्टिकोण के माध्यम से गैर–अन्वेषित/आंशिक रूप से अन्वेषित रकबों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त संसाधनों को उपलब्ध कराया जा सकता है।

## 2. अपस्ट्रीम क्षेत्र

अपस्ट्रीम क्षेत्र को तेउविबो द्वारा सहायता अनुदान के संबंध में तेउवि बोर्ड ने दिनांक 27.03.2014 को आयोजित अपनी 76वीं बैठक में निर्णय लिया कि ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित अनुसंधान एवं विकास परियोजना/परियोजनाओं की पहचान करने और जांच करने और तेउविबो द्वारा उनके कार्यान्वयन हेतु अनुदान के रूप में निधियां प्रदान करने के लिए के लिए महानिदेशक, डीजीएच की अध्यक्षता में तथा तेउविबो के अध्यक्ष द्वारा नामित किए गए अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए एक समिति गठित की जा सकती है। तद्नुसार, तेउविबो के अनुदानों की उपयोगिता के संदर्भ में एक समिति का गठन किया गया। जिसमें महानिदेशक, डीजीएच, अध्यक्ष और सचिव, तेउविबो, निदेशक (अन्वेषण) – ओएनजीसी, निदेशक – आईआईपी, देहरादून, निदेशक (अनुसंधान और विकास) – आईओसीएल, निदेशक (तकनीकी) – ईआईएल तथा महानिदेशक – पेट्रोफेड अथवा उनके नामांकित व्यक्ति और सदस्य हैं। समिति द्वारा प्रथम अवलोकन के अंतर्गत इन परियोजनाओं का निरीक्षण करती है और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है।

समिति की सिफारिशें तेउवि बोर्ड को निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। वे परियोजनाएं जिन्हें तेउवि बोर्ड द्वारा 25 लाख रुपए से अधिक परिव्यय के साथ अनुमोदित किया जाता है उन्हें तेल उद्योग (विकास) नियम 1975, के नियम 24 (i)(ii) की शर्तों पर अनुदान जारी करने से पूर्व केंद्रीय सरकार को प्रेषित किया जाता है। स्थापना के समय से, तेउवि बोर्ड/केंद्रीय सरकार द्वारा अब तक 120 से अधिक परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। इनमें से अधिकांश परियोजनाओं के कार्य संपन्न हो चुके हैं और उन्होंने तेल उत्पादन, प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा अन्वेषण के नए क्षेत्रों की पहचान के रूप में तेल उद्योग के लिए अत्याधिक लाभ अर्जित किए हैं।

### 2.1 परियोजनाओं की पुनरीक्षा

तेउवि बोर्ड द्वारा महानिदेशक, डीजीएच की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें सचिव, तेउविबो, निदेशक (अन्वेषण) – ओएनजीसी, निदेशक – आईआईपी, देहरादून, निदेशक (अनुसंधान और विकास) – आईओसीएल, निदेशक (तकनीकी) – ईआईएल तथा महानिदेशक – पेट्रोफेड अथवा उनके नामांकित व्यक्ति शामिल हैं, समय–समय अपस्ट्रीम क्षेत्र में तेउवि बोर्ड द्वारा पोषित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती है। उपसमिति द्वारा दी गई सिफारिशें तेउविबो के समक्ष विचारार्थ तथा जहां आवश्यक हो परियोजनाओं का कार्यान्वयन अधिक कुशलतापूर्वक किए जाने हेतु उचित दिशा–निर्देश देने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं।

### 2.2 अपस्ट्रीम क्षेत्र के अंतर्गत अनुसंधान और विकास परियोजनाएं : राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम

राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संचालित तथा हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) द्वारा तकनीकी रूप से संचालित, राष्ट्रीय अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों नामतः ओएनजीसी, गेल इंडिया लिमिटेड तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड, तथा राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान नामतः नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (एनआईओ), नेशनल ज्योफिज़िकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनजीआरआई) तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (एनआईओटी) का एक परिसंघ है।

राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम अभियान – 01 ने सफलतापूर्वक कृष्णा गोदावरी, महानदी और अंडमान बेसिनों में गैस हाइड्रेट की उपस्थिति को सुनिश्चित किया है। इसने भारतीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम को वैश्विक स्तर पर स्थान दिलाया है। इन खोजों ने देश के साथ–साथ विदेशों में भी गैस हाइड्रेट के व्यापक और गहन अनुसंधान को प्रेरणा प्रदान की है। अध्ययनों के परिणामस्वरूप बडी संख्या में प्रकाशन तथा वैज्ञानिक डेटा भी सामने आए हैं। जैसा कि गैस हाइड्रेट

अभी भी वैश्विक अनुसंधान स्तर पर है और किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक उत्पादन समुद्रीय गैस हाइड्रेट्स से सिद्ध नहीं किया गया है, इन आंकडों तथा प्रकाशनों का गैस हाइड्रेट के क्षेत्र के आगामी अनुसंधानों में अत्याधिक महत्व है।

वैज्ञानिक अनुसंधान संस्करण परियोजना की परिकल्पना में, सभी अनुसंधानों तथा वैज्ञानिक जांचों को एक एकल मॉड्यूल में सम्मेलित करने की अभिच्छा है जिससे अनुसंधानकर्ता देश में गैस हाइड्रेट के क्षेत्र में किए जा रहे वैज्ञानिक अध्ययनों की प्रगति को पूर्ण रूप से समझने में सक्षम हो सकें। वैज्ञानिक अनुसंधान संस्करण का विचार, भावी वैज्ञानिकों के आगामी शोध तथा अध्ययन को बढावा देने का है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ऐजेंसियों के माध्यम से एनजीएचपी अभियान–01 के दौरान बडी मात्रा में उत्पन्न डेटा एनजीएचपी के भावी कार्यक्रमों के लिए भी आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे।

## 3. डाउनस्ट्रीम क्षेत्र की अनुसंधान एवं विकास परियोजनांए

मंत्रालय द्वारा हाइड्रोकार्बन पर गठित वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी), डाउनस्ट्रीम सैक्टर से संबंधित परियोजनाओं पर विचार कर अपनी संस्तुतियां प्रदान करती है। ये परियोजनाएं मुख्यतः सीएचटी के माध्यम से वित्त पोषित की जाती हैं। वैज्ञानिक सलाहकार समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य तेल उद्योग क्षेत्रों से संबंद्ध महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इस समिति का कार्यकाल दो वर्षों का होता है जिसके पश्चात इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पुनर्गठित किया जाता है। हाइड्रोकार्बन के लिए गठित वैज्ञानिक सलाहकार समिति अपनी बैठकों में डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा करती है।

सीएचटी हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के लिए अनुसंधान परियोजनाओं को अभिज्ञात करने और वित्त पोषण करने में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाइड्रोकार्बन संबंधी वैज्ञानिक सलाहकार समिति के कार्यकलापों का समन्वय करता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हाइड्रोकार्बन संबंधी वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी) की 73वीं बैठक हैदराबाद में 7 अक्टूबर 2013 को आयोजित की गई थी। सीएचटी/ओआईडीबी द्वारा निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास परियोजना प्रस्तावों की संशोधन उपरांत समीक्षा की गई और उन्हें अनुमोदित किया गया :

(i) बिट्स पिलानी, गोवा कैम्पस, गोवा की पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रणालियों में कोक उपशमन पर प्रायोगिक और उत्प्रेरण अध्ययन।

(ii) बीपीसीएल – अनुसंधान एवं विकास द्वारा तापीय द्रव्यों तथा अन्य अनुप्रयोगों के लिए बाईफिनाइल के स्वदेशी उत्पादन हेतु प्रक्रियात्मक जानकारी का विकास।

इसके अलावा, वित्त पोषण हेतु निम्नलिखित नये परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा की गई और उन्हें अनुमोदित किया गया :

(i) बीपीसीएल– अनुसंधान एवं विकास तथा ईआईएल– अनुसंधान एवं विकास का ''डीसाल्टर डिजाइन हेतु पैरामीटिक अध्ययन और प्रौद्योगिकी विकास''।

(ii) आईआईसीटी, हैदराबाद के ''3 बीआरडी, चंडीगढ़ में भारतीय वायु सेना द्वारा टीवी 2 एरो इंजन पर स्वदेशी रूप से जमीनी व उड़ान के दौरान विकसित एसएएल तथा जांच सहित सिंथेटिक विमानन लूब्रिकेट्स–चरण–।।''

एसएसी ने हाइड्रोजन कॉर्पस निधि (एचसीएफ) के अन्तर्गत निम्नलिखित वित्त–पोषित हाइड्रोजन परियोजनाओं को पूर्ण करने के पश्चात इसके परिणामों पर भी विचार विमर्ष किया।

(i) एचपीसीएल तथा आईआईटी, दिल्ली द्वारा ''कैटेलेटिक अपघटन द्वारा प्राकृतिक गैस (मिथेन) से हाइड्रोजन का उत्पादन''।

(ii) एचपीसीएल तथा गितम विश्वविद्यालय, विज़ाख के ''हाइड्रोजन के भण्डारण के लिए धातु–आर्गेनिक ढांचागत सामग्रियों का डिजाइन और निर्माण''।

## 4. तकनीकी संस्थानों/सीएसआईआर प्रयोगशालाओं को सहायता

तेल उद्योग विकास बोर्ड, शैक्षणिक संस्थाओं के साथ–साथ प्रशिक्षण एवं अनुसंधानों को मूलभूत सुविधाओं को स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करता है। ये संस्थान जिसमें, यथा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मुंबई, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी) इत्यादि शामिल हैं, ये संस्थान तेल उद्योग के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम करते हैं।

वर्ष 2016–17 के दौरान भारत सरकार/तेउविबो द्वारा प्रायोजित अनुदान/योजनाओं पर निम्नलिखित व्यय किया है:–

(करोड़ रूपये में)

| क्र. सं. | संस्थानों के नाम | राशि |
|---|---|---|
| 1 | राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम – 2 | 321.02 |
| 2 | इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (अनुसंधान एवं विकास), INDA deptG | 35.88 |

### 4.1 राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी)

राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम– अभियान 2 परियोजना के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड ने वर्ष 2016–17 में रूपये 321.02 करोड़ का अनुदान दिया। (एनजीएचपी) राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी) का संचालन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा और समन्वयन हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) द्वारा किया जा रहा है। एनजीएचपी राष्ट्रीय ई एंड पी कंपनियां नामतः ओएनजीसी, गेल, आयॅल इंडिया लिमिटेड, आईओसी और राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों जैसे एनआईओ एनआईओटी और एनजीआरआई का एक संघ है। ओएनजीसी द्वारा 1988 से 2003 की अवधि के दौरान कृष्णा गोदावरी बेसिन (अपतट) काबेरी बेसिन (अपतट) मन्नार की खाडी और पश्चिमी अपतट के डाटा का अध्ययन गैस हाइड्रेट संभाव्यता के आकलन हेतु किया गया था। इन अध्ययनों ने एनजीएचपी–0। के कार्यक्रम के निरूपण में तकनीकी सहायता मुहैया करवायी, जिसमें 21 स्थलों पर वर्ष 2006 में शिप जोइडेस रेजोल्यूशन का उपयोग करके भारतीय अपतट में ड्रिल/कोर किया गया था। भविष्य में गैस हाइड्रेट एक उर्जा स्रोत के रूप में काफी वैश्विक रूचि उत्पन्न कर रहा है। अमेरिका जापान, कोरिया, चीन जैसे देशों ने इस दिशा में काफी प्रगति की है। भारत ने यह यात्रा वर्ष 1997 में राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी) के गठन से आरंभ की थी। भारत ने वर्ष 2006 में एनजीएचपी अभियान–0। पूरा किया और भारत के पूर्वी तट में केजी, महानदी और अण्डमान बेसिनों में गैस हाइड्रेट की मौजूदगी सुनिश्चित की।

एनजीएचपी की संचालन समिति ने 7 अक्टूबर, 2013 को हुई 15वीं बैठक में एनजीएचपी अभियान–02 के निष्पादन को अनुमोदित किया था। एनजीएचपी अभियान–02 वर्तमान में निष्पादन के अधीन है और इसमें एलडब्ल्यूडी/एमडब्ल्यूडी (ड्रिलिंग के दौरान लॉगिंग/ड्रिलिंग के दौरान मापन) परम्परागत कोरिंग/दबाव कोरिंग, वायरलाइन लॉगिंग, उर्ध्वाधर भूकंपीय प्रोफाइलिंग (वीएसपी) और मॉड्यूलर डायनामिक परीक्षण (एमडीटी) प्रचालनों को केजी और महानदी गहरे अपतटीय क्षेत्रों में गैस हाइड्रेट स्थिरता क्षेत्र के भीतर रेत बहुलता वाले निक्षेपण तंत्रों की पहचान के उद्देश्य से किया जाना शामिल है। एनजीएचपी अभियान–02 की लागत को ओआईडीबी(50 प्रतिशत) ओएनजीसी(20 प्रतिशत), ओआईएल(10 प्रतिशत) गेल (10 प्रतिशत) आईओसीएल (10 प्रतिशत) द्वारा साझा किया जाएगा। फील्ड और प्रयोगशाला अध्ययनों का एकीकरण और पायलट उत्पादन परीक्षण एनजीएचपी अभियान–03 के दौरान किया जायेगा।

एनजीएचपी के सदस्य संगठनों ने कृष्णा गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन में कुल 87 स्थलों का प्रस्ताव किया था। इनकी समीक्षा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषेशज्ञों के एक दल द्वारा की गई थी। समीक्षा के आधार पर लगभग 34 प्राथमिक ओर वैकल्पिक लक्ष्यों को चिन्हित किया गया था। ये लक्ष्य पूर्वी तट के साथ–साथ उत्तर से दक्षिण की ओर सभी चार भौगोलिक क्षेत्रों नामतः महानदी बेसिन में 'ए', कृष्णा–गोदावरी बेसिन में 'बी', 'सी' और 'इ' में आते हैं।

ओआईडीबी द्वारा सीधे वित्त–पोषण के अधीन होने वाली दो एनजीएचपी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है और निष्पादक संगठनों को निधियां जारी किए जाने हेतु औपचारिकताएं अग्रिम चरण में हैं।

**एचजीएचपी के अंतर्गत अनुसंधान परियोजनाएं:**

ऊष्मा हस्तांतरण पर सैद्धांतिक पृष्ठभूमि को सुदृढ़ करने के लिए ओएनजीसी–आईआईटी खडगपुर द्वारा एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना की गई। परियोजना के परिणाम काफी महत्वपूर्ण थे जैसाकि यह पता चला कि उष्मा हस्तांतरण दरें काफी कम थी और इसलिए तापीय स्टीमूलेशन द्वारा अंतिम उत्पादन दर काफी कम होगी। परिणाम की उपलब्धि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डीप्रेशराइजिंग (अदबावीय) तथा सीक्वेसट्रेशन (प्रच्छादन) जैसी अन्य तकनीकों के महत्व को दर्शाती है।

एनजीआरआई ने एनजीएचपी के अंतर्गत एक अनुसंधान परियोजना में प्रयोगशाला में गैस हाइड्रेट के संश्लेषण और रमन माइक्रोफोन का उपयोग करते हुए आधारभूत विशेषताओं का अध्ययन करने संबंधी प्रयोगात्मक अध्ययनों को सफलतापूर्वक पूरा कर कोर दक्षता विकास को प्रदर्शित किया है।

## 4.2 इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (अनुसंधान एवं विकास)

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन ( इंडियन ऑयल) भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक उद्यम है। वर्तमान में इसके कार्मिक 33,000 हैं। यह आधी सदी से अधिक अवधि से भारत ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा कर रहा है। इसका नैगम दर्शन 'देश की ऊर्जा' और 'दुनिया की एक सराहनीय कंपनी बनना' है। हाइड्रोजन के पूरे वैल्यू चेन में इंडियन ऑयल के कारोबार हैं– पेट्रोलियम उत्पादन की रिफाईनिंग पाइपलाइन, परिवहन और मार्किटिंग से लेकर कच्चे तेल एवं गैस की खोज एवं उत्पादन प्राकृतिक गैस और पेट्रो रसायनों की मार्केटिंग के अलावा वैकल्पिक ऊर्जा और डाउनस्ट्रीम ऑपरेशंस के भूमंडलीकरण जैसे नए क्षेत्रों में कदम रखना।

इंडियन ऑयल का भारत के लगभग आधे पेट्रोलियम उत्पादन बाजार पर अधिकार है, देश की रिफाइनिंग क्षमता का 35% (इसकी सहायक कंपनी चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड या सीपीसीएल के साथ) और क्षमता के हिसाब से 71% डाउनस्ट्रीम सेक्टर पाइपलाइन पर इसका अधिकार है। इंडियन ऑयल ग्रुप के पास भारत की 23 रिफाइनरियों में से 11 का स्वामित्व और परिचालन है, जिनकी कुल रिफाइनिंग क्षमता 80.7 एमएमटीपीए (मिलियन मीट्रिक टन सालाना) है। कार्पोरेशन का पूरे देश में पाइपलाइन का विशाल नेटवर्क है। कच्चे तेल को रिफाइनरी ले जाने और तैयार उत्पादन को अधिक मांग वाले केंद्रों तक पहुंचाने के लिए लगभग 11,750 किमी. का विशाल पाइपलाइन नेटवर्क है। कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए इसकी थ्रपुट कैपेसिटी 85.5 एमएमटीपीए है। गैस के लिए यह क्षमता 9.5 एमएमएस सीएमडी है। कार्पोरेशन इस नेटवर्क के माध्यम से ग्राहकों की उर्जा संबंधी जरूरतों को सफलतापूर्वक पूरा करता है और इसमें किफायत और पर्यावरण सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता है।

कार्पोरेशन के लिए एक पोर्टफोलियों में कई जाने–माने एनर्जी ब्राण्ड शामिल हैं, जैसे कि इंडेन, एलपीजी कुकिंग गैस, सर्वो ल्यूब्रिकेंट्स, एक्स्ट्रापीमियम पेट्रोल, एक्स्ट्रामाइल डीजल, प्रॉपेल पेट्रोकैमिकल्स आदि। इंडियन ऑयल के साथ–साथ इसके खास ब्राण्ड सर्वो और इंडेन भी सुपर ब्राण्ड का स्थान प्राप्त कर चुके हैं।

इंडियन ऑयल आर एंड डी ने कई स्वदेशी तकनीकियों का विकास किया है, जिसकी खास पहचान इनका उपसर्ग "इंड" है। इंडियन ऑयल आर एंड डी द्वारा विकसित प्रमुख तकनीक इंडमैक्स का पारादीप रिफाइनरी में दिसंबर 2015 में सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया। इसकी स्थापित क्षमता 4.17 एमएमटीपीए है।

इंडियन ऑयल अनुसंधान एवं विकास केन्द्र ने यूरो–IV सल्फर विनिर्देशों को पूरा करने के लिए क्रेक्ड गैसोलाइन से सल्फर कम करने के उद्देश्य से इंडएड्प्टजी (INDApeptG) प्रक्रिया और प्रोपराइट्री ऐड्सॉर्बेट का विकास किया है। इस तकनीक में अधिशोषण और उत्थान के स्विंग मोड में संचालित दो स्थायी बेड रिएक्टर्स शामिल हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य अनुकूलित ऑपरेटिंग स्थितियों में गैसोलीन का गहरा डिसल्फराइजेशन करना है।

इस प्रक्रिया में, रिएक्टिव ऐड्सॉर्प्शन मैकेनिज्म के जरिए गैसोलीन में सल्फर हटाया जाता है और सल्फर–ब्रेकथ्रू प्वाइंट तक पहुंचने के बाद, नाइट्रोजन– हाइड्रोजन के सक्रिय मिश्रण से अधिशोषित सल्फर और कोक के ऑक्सीकरण द्वारा ऐड्सॉर्बेट का नियंत्रित स्थितियों में हल्की हवा (नाइट्रोजन–2 में 1% ऑक्सीजन–2) के साथ उत्थान होता है।

इंडएड्प्ट तकनीक आईओसीएल अनुसंधान एवं विकास केंद्र के पिछले 10 सालों के व्यापक शोध कार्यों का नतीजा है। आईओसीएल अब इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) के साथ मिलकर इस प्रौद्योगिकी का लाइसेंस प्रदान कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.) और भारत में प्रक्रिया और एड्सॉर्बेट संरचना पर दो पेटेंट प्रदान किए गए हैं।

आईओसीएल गुवाहाटी रिफाइनरी आसाम में इंडएड्प्ट इकाई

35000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता की एक प्रदर्शन इकाई 126.6 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के साथ गुवाहाटी रिफाइनरी में जनवरी 2017 में सफलतापूर्वक चालू की गई, जिसमें से 88.5 करोड़ रुपए अनुदान के तौर पर तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओईआईडीबी) द्वारा दिया जा रहा है और शेष धनराशि आईओसीएल उपलब्ध करा रहा है। फिलहाल यह इकाई बी.ए.–IV गैसोलाइन के उत्पादन के लिए 50 पीपीएम से कम के सल्फर उत्पाद के साथ भारी गैसोलीन अपग्रेड कर रही है।

इंडएड्प्टजी तकनीकी परियोजना के लिए वर्ष 2016–17 के दौरान तेल उद्योग विकास बोर्ड ने 35.88 करोड़ रूपये का अनुदान दिया।

## 4.2 राजीव गाँधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआइपीटी)

राजीव गाँधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआइपीटी) की स्थापना संसद के अधिनियम (2007 का अधिनियम 54) के अंतर्गत की गई। यह संस्थान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा है और इस संस्थान के परिसर का निर्माण कार्य भारत सरकार द्वारा बजटीय सहायता से तथा तेउविबो के अनुदान द्व ारा किया जा रहा है। इस संस्थान के आवर्ती व्ययों की पूर्ति छात्रों से मिलने वाली फीस के संग्रहण के अलावा मुख्य तेल कंपनियों (ओएनजीसी, आईओसीएल, ओआईएल. गेल, बीपीसीएल तथा एचपीसीएल) के योगदान द्वारा संचित निधि से प्राप्त ब्याज की आय द्वारा की जाती है।

आरजीआईपीटी के उद्देश्य पेट्रोलियम क्षेत्र में तकनीकी तथा प्रबंधकीय प्रतिभा की कमी को पूरा करने के लिए एक शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना है। संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियां वर्ष 2008 से रायबरेली तथा नोएडा के अस्थाई परिसरों में आयोजित की जा रही हैं। वर्तमान में आरजीआईपीटी द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं:–

(क) कैमिकल इंजीनियरिंग में बी टैक

(ख) पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में एम टैक

(ग) पेट्रोलियम एवं उर्जा प्रबंधन में एम बी ए

(घ) पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में पीएचडी (2012 से आरंभ)

(ड़) प्रबंधन में पीएचडी (2016 से आरंभ)

(च) फिलहाल 7 एमबीए के बैच, 5 बीटैक और एम टैक बैच के छात्रों ने आरजीआईपीटी से स्नातक उपाधि प्राप्त की है।

### मुख्य शैक्षिक केन्द्र : जयास, जिला अमेठी

जयास परिसर का उद्घाटन 22 अक्टूबर 2016 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा किया गया। परिसर का निर्माण जयास, जिला अमेठी (उत्तरप्रदेश) में 47 एकड जमीन पर किया गया। परिसर की परियोजना लागत 519.10 करोड़ रुपए है परिसर का निर्माण क्षेत्र 9 लाख वर्ग फुट है और ग्रीन रेटिंग फार इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेंसमेंट (गृह) की आवश्यकताओं को देखते हुए अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सुसज्जित किया गया है।

जयास, रायबरेली, उत्तरप्रदेश में आरजीआईपीटी कैम्पस

प्रथम चरण में संकाय/स्टाफ आवास, छात्रों के लिए छात्रावास, डाइनिंग हाल, व्यायामशाला, दुकानें, बैठक कक्ष, कैफेटेरिया, इंडोर खेल, पुस्तकालय, कम्प्यूटर केन्द्र में 1000 से अधिक छात्रों को समायोजित करने जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक प्रशासनिक ब्लॉक (अध्यक्ष, निदेशक और उपनिदेशक का कक्ष, बोर्ड रूम, रजिस्ट्रार डीन और अन्य कर्मचारियों के लिए केबिन) कक्षाओं के लिए दो शैक्षणिक ब्लॉक, प्रयोगशालाएं, सम्मेलन कक्ष, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कमरे हैं। व्याख्यान कक्ष (विवेकानंद सभागर) में 450 छात्रों के बैठने की क्षमता है। उपरोक्त के अतिरिक्त अतिथि छात्रावास, एक सम्मेलन कक्ष, स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र और घर की दुकानों के लिए वाणिज्यिक परिसर, डाकघर, बैंक और उपयोगिता भवन (सबस्टेशन और संयंत्र रूम) की सुविधाएं हैं।

वर्ष के दौरान ओआईडीबी ने आरजीआईपीटी को जयास मे स्थित उनके नए परिसर में स्थानांतरण के लिए उनकी तत्काल धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपये दिए। जिसे आरजीआईपीटी द्वारा सरकारी बजटीय सहायता से निधियां प्राप्त होने पर ओआईडीबी को प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी।

### असम केन्द्र – जिला सिवासागर (असम)

आरजीआईपीटी के असम केन्द्र की स्थापना का उद्देश्य पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए कुशल मैनपावर की कमी को पूरा करना था। इस शैक्षणिक केन्द्र में कुशल तकनीकी मैनपावर डिप्लोमा और उन्नत डिप्लोमा स्तर का प्रशिक्षण दिलाया

जायेगा। केन्द्र की आधारशिला 18 फरवरी 2011 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा रखी गई थी। निर्माण की पूंजीगत व्यय रूपये 143 करोड को ओएनजीसी, ओआईएल, गेल, आईओसीएल, एनआरएल, ईआईएल तथा तेउविबो द्वारा साझा किया जाएगा। आवर्ती खर्चे तेल क्षेत्र की उपरोक्त सार्वजनिक कंपनियों की अन्य निधियों के योगदान द्वारा पूरे किये गये।

परियोजना कार्य क्षेत्र संबंधित विभिन्न मामले जैसे भूमि की भराई और पाइलिंग काम के कारण परियोजना के निष्पादन में देरी के कारण परियोजना की लागत 143 करोड रूपये से बढ़कर 235 करोड रूपये हो गई। तेउविबो और तेल क्षेत्र की कंपनियों ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सिवासागर परियोजना के लिए अतिरिक्त पूंजी कोष देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दी है। पूरा प्रस्ताव संशोधन हेतु पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास है और निधियां देने के स्वरूप का पुनर्निमाण किया जा रहा है।

**अग्नि सुरक्षा इंजीनियरिंग और बंगलौर में आरजीआईपीटी के पर्यावरण अनुसंधान केन्द्र (एफएसईईआरसी)**

वर्ष 2011 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आरजीआईपीटी को भारत के दक्षिण भाग में आरजीआईपीटी केन्द्र की स्थापना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने की सलाह दी। आरजीआईपीटी ने पूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अक्टूबर 2014 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को प्रस्तुत की। कर्नाटक सरकार ने केआईएडीबी को कम्बालीपुरा इंडिस्ट्रियल एरिया, होसकोटे तालुक, बेंगलूर ग्राम जिले में मुफ्त जमीन आबंटन का निर्देश दिया। 5 मार्च 2014 को माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने आधारशिला रखी। कर्नाटक सरकार ने 150 एकड़ भूमि मुफ्त में आबंटित करने के अनुरोध को अपनी सहमति प्रदान की। इस सबंध में केआईएडीबी ने तहसीलदार, होसकोटे तालुक को हितधारकों की बैठक बुलाने और आरजीआईपीटी को बाधा रहित जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी। परियोजना की कुल लागत 478 करोड़ है, जिसमें पूंजीगत व्यय (358 करोड़ रूपये) तथा आवर्ती व्यय (120 करोड़ रूपये) शामिल है। केन्द्र स्थापित करने हेतु ईएफसी और अन्य अनुमोदन प्रक्रिया में है।

## 4.5 हाइड्रोजन कॉर्पस फंड (एचसीएफ)

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक ऑटो ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के उपयोग पर एक हाइड्रोजन कॉर्पस फंड की स्थापना की है। भारतीय तेल उद्योग को इस सीमांत क्षेत्र में प्रगति करने के लिए प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के साथ सहक्रियात्मक रूप से और घनिष्ठ समन्वय में कार्य करना होगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/तेउविबो द्वारा निम्नानुसार योगदान के साथ 100 करोड़ रुपए का एक हाइड्रोजन कॉर्पस फंड की स्थापना की है:

| | | |
|---|---|---|
| (i) | तेउविबो | 40 करोड़ रुपए |
| (ii) | ओएनजीसी, आईओसी, गेल | 16 करोड़ रुपए प्रत्येक |
| (iii) | एचपीसीएल, बीपीसीएल | 6 करोड़ रुपए प्रत्येक |

तेउविबो द्वारा एचसीएफ के खातों का रखरखाव किया जाता है। तेउविबो द्वारा अब तक 40 करोड़ रुपए की राशि का योगदान इस कोष में दिया गया है। मेसर्स आईओसीएल और ओएनजीसी ने पहले से ही ऊर्जा के स्रोत के रूप में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियां आरंभ कर दी हैं।

# अध्याय 5

## तेल उद्योग विकास बोर्ड का ऊर्जा सुरक्षा में योगदान

ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने विशेष प्रयोजन व्यवस्था (एस पी वी) के द्वारा 5 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कच्चे तेल का एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने का निर्णय लिया है। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) नामक यह विशेष प्रयोजन व्यवस्था प्रारंभ में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी थी। बाद में 09.05.2006 से यह तेल उद्योग विकास बोर्ड (तेउविबो) की पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी बन गई। कैवर्न का निर्माण विशाखापट्टनम (1.33 एमएमटी), मंगलौर (1.5 एमएमटी) और पादुर (2.5 एमएमटी) स्थानों पर किया जा रहा है। एक बार कैवर्न पूरी होने पर इन भंडारों में भारत की 13 दिनों शुद्ध आयात की आवश्यकताओं के बराबर कच्चे तेल को भंडारित किया जा सकता है।

इस सामरिक भंडारण सुविधाओं के निर्माण की पूँजीगत लागत का मूलतः सितम्बर, 2005 में 2397 करोड़ रूपये आँका गया जो अब संशोधन के बाद 4098.35 करोड़ हो गया। कंपनी की प्राधिकृत एवं प्रदत्त पूँजी 31.03.2017 को क्रमशः 3832.56 करोड़ रूपये एवं 3574.37 करोड़ रूपये है। तेउविबो की आईएसपीआरएल में इक्विटी प्रतिभागिता 31.03.2017 तक 3574.37 करोड़ रूपये की है। आईएसपीआरएल ने तेउविबो को 31 मार्च 2017 तक 3540.01 करोड़ के शेयर आबंटित किए हैं।

31.3.2017 को उपरोक्त तीनों स्थलों पर परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :

### 1. विशाखापट्टनम (भंडारण क्षमता 1.33 एमएमटी)

विशाखापट्टनम केवर्न को चालू कर लिया गया है। भूमिगत सिविल कार्य हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एचसीसी) द्वारा और प्रक्रिया सुविधाएं आईओटी इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड एनर्जी सर्विसिस लिमिटेड (आईओटीआईईएसएल) द्वारा निष्पादित किया गया था। इस सुविधा में दो कंपार्टमेंट हैं केवर्न ए (1.03 एमएमटी) और केवर्न बी (0.3 एमएमटी)। केवर्न ए सामरिक खनिज तेल हेतु है और इसे भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई निधियों से भरा गया है। एचपीसीएल विशाखापट्टनम में अपने रिफाइनरी प्रचालनों हेतु नियमित रूप से केवर्न बी का उपयोग कर रहा है।

विशाखापट्टनम में सुविधाएं

### 2. मंगलौर (भण्डारण क्षमता : 1.5 एमएमटी)

मंगलौर केवर्न सुविधा मंगलौर एसईजेड क्षेत्र में आती है। परियोजना हेतु मंगलौर स्पेशल इकोनोमिक जोन लिमिटेड (एमएसईजेडएल) से 104.73 एकड़ भूमि प्राप्त की गई थी। भूमिगत सिविल कार्यो को मैसर्स एसके इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन और करम चन्द थापर (एसकेईसी–केसीटी जेवी) के संयुक्त उद्यम द्वारा और प्रक्रिया सुविधाओं को मैसर्स पुंज लायड द्वारा निष्पादित किया गया था। भूमिगत सिविल कार्यो को पूरा कर लिया गया है और प्रक्रिया सुविधाएं

भी पूर्ण कर ली गई हैं। मंगलौर कैवर्न परियोजना में 0.75 एमएमटी के प्रत्येक के 2 भूमिगत भंडारण कंपार्टमेंट हैं। परियोजना की पूंजीगत लागत 1227 करोड रूपये है।

परियोजना को ईरान से खनिज तेल के तीन पार्सल के साथ अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया था। मंगलौर में एक कंपार्टमेंट हेतु खनिज तेल की कुल लागत 1754 करोड़ रूपये है। 25 जनवरी, 2017 में एडीएनओसी तथा आईएसपीआरएल के मध्य मंगलौर स्थित कैवर्न ए को भरने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एडीएनओसी के कुछ कर क्षतिपूर्ति मुद्दे हैं। जिनकी सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

मंगलौर में शाफ्ट क्षेत्र

### 3. पादुर (भंडारण क्षमता : 2.5 मिलियन मीट्रिक टन) :

पादुर परियोजना हेतु उडूपी जिले के पादुर/हेरूरू गांवों में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के माध्यम से 179.21 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। यह आईएसपीआरएल द्वारा निष्पादित सबसे बड़ी परियोजना है। भूमिगत सिविल कार्यों को दो भागों में बांटा गया था अर्थात भाग क तथा भाग ख। भाग–क कार्य को मैसर्स एचसीसी और भाग–ख कार्य को मैसर्स एसकेईसी–केसीटी संयुक्त उद्यम को दिया गया था। भूमिगत कार्य 2014 में पूर्ण हुए थे और केवर्न स्वीकृति परीक्षण भी पूर्ण हो गए हैं। सुविधा में 0.625 एमएमटी के प्रत्येक 4 कंपार्टमेंट हैं। केवर्नों का इनर्टाइजेशन पूर्ण हो गया है। परियोजना की अंतिम पूर्णता 10 किलोमीटर लम्बी 110 केवीए की ओवरहेड विद्युत ट्रांसमीशन लाइन और साथ ही साथ मध्यवर्ती वाल्व स्टेशन पादुर तक एक 42 इंच व्यास वाली 36 किलोमीटर पाइपलाइन को बिछाए जाने पर निर्भर करेगी। इलैक्ट्रिकल ट्रांसमीशन लाइन और पाइपलाइन के बिछाने का कार्य आरओयू मुद्दों से भी प्रभावित हुए हैं। 110 केवी एचटी लाइन हेतु लगाए जाने वाले 56 टावरों में से 54 को खड़ा कर दिया गया है तथा 36.5 किलोमीटर में से 35.71 मिलोमीटर के कार्य को पूरा किया जा चुका है। परियोजना 110 केवी एचटी लाइन तथा 42 इंच व्यास वाली खनिज तेल पाइपलाइन को पूरा होने के बाद चालू किया जाएगा। पाइपलाइन प्रगति सहित परियोजना की कुल प्रगति 99.10% है।

पादुर में सुविधाएं

## 4. सामरिक भंडारण कार्यक्रम का चरण–2

दिसम्बर, 2008 में मंत्रीमंडल द्वारा अनुमोदित एकीकृत ऊर्जा नीति (आईईपी) सिफारिश करती है कि सामरिक सह सुरक्षित भंडार के प्रयोजनों हेतु 90 दिवस के तेल आयात के समतुल्य एक भडारण को बनाया रखा जाए। दिसम्बर, 2009 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तैयार एक एप्रोच पेपर में वर्ष 2019–20 तक खनिज तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के 44.14 मिलियन मीट्रिक टन की कुल भण्डारण आवश्यकता को दर्शाया गया था।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से निर्देश के आधार पर, आईएसपीआरएल को चार राज्यों में चरण–2 में कच्चे तेल के 12.5 एमएमटी के सामरिक भंडारण हेतु विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर) को तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। चुने गए स्थल राजस्थान में बीकानेर, उड़ीसा में चांदीखोल, गुजरात में राजकोट और कर्नाटक में पादुर है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) को डीएफआर तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। ईआईएल द्वारा डीएफआर तैयार की जा चुकी है। जिसमें संशोधित क्षमताएं निम्नानुसार हैं :

i. पादुर 2.5 एमएमटी,

ii. चांदीखोल 3.75 एमएमटी,

iii. राजकोट 2.5 एमएमटी और

iv. बीकानेर 3.75एमएमटी

बाद में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ–साथ एसबीआई कैप्स को चरण–2 कार्यक्रम के क्रियान्वयन के तरीके की सिफारिश करने हेतु नियोजित करने का आईएसपीआरएल को परामर्श दिया था। निवेशकों के साथ बैठक 8–9 जून, 2015 को हुई थी जिसमें विभिन्न तेल तथा आधारभूत ढांचागत कंपनियों ने भाग लिया था। एसबीआई कैप्स की सिफारिशें प्राप्त हुई और उन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को संप्रेषित कर दिया गया था।

वित्त व्यय समिति (ईएफसी) ने 29 जुलाई, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में चरण–2 के अंतर्गत 9116 करोड़ रूपये की कुल लागत पर दो स्थलों ओडीशा में चांदीखोल (4.4 एमएमटी) और राजस्थान के बीकानेर में (5.6 एमएमटी) सामरिक भंडारणों के निर्माण की सिफारिश की थी। ईएफसी ने इन दो स्थलों हेतु 103 करोड़ रूपये के ओ एंड एम बजट को भी अनुमोदित किया है।

# अध्याय 6

## अन्य पहल/गतिविधियां

## 1. तेउविबो राहत ट्रस्ट (तेउविबो आर टी)

अप्रैल से जून 2000 तक की अवधि के दौरान कुछ राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में अभूतपूर्व सूखा पड़ा था। तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री, द्वारा की गई अपील की प्रतिक्रिया के रूप में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मई 2000 के दौरान इन राज्यों में सूखा प्रभावित ग्रामों को पेय जल के परिवहन हेतु डीज़ल की लागत वापिस करने का निर्णय लिया गया था। इस प्रयोजन के लिए, तत्कालीन माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के अनुमोदन से एक ट्रस्ट नामतः तेउविबो सूखा राहत ट्रस्ट का एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में 01.06.2000 को गठन किया गया था। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष पदेन सचिव (पीएनजी), ट्रस्ट के प्रबंधन ट्रस्टी पदेन, अपर सचिव (पीएनजी) और ट्रस्ट के सचिव के रूप में सचिव (ओआईडीबी) तथा तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अन्य प्रतिनिधि ट्रस्टियों के रूप में इस ट्रस्ट में है। मंत्रालय द्वारा दिए गए निदेशों के रूप में, तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने इस कोष में 20.60 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न राज्यों/प्रधानमंत्री राहत कोष और अन्य कल्याण संगठनों के लिए लगभग 21.40 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार, 15.49 करोड़ रुपए की शेष निधियों (ब्याज सहित) तेउविबो राहत ट्रस्ट में थी। इस ट्रस्ट को इसके समापन तक आंकलन वर्ष 2011–12 के पश्चात से आयकर अधिनियम की धारा 80 (जी) के तहत छूट प्रदान गई है। चूंकि इस ट्रस्ट के लक्ष्य व उद्देश्य के आधार व्यापक हैं और अन्य कल्याणकारी उपायों के लिए भी वित्तीय सहायता को अनुमत कर रहे हैं, इसलिए इस ट्रस्ट के नाम को दिनांक 09.07.2010 से परिवर्तित करते हुए तेउविबो सूखा राहत ट्रस्ट से तेउविबो राहत ट्रस्ट कर दिया गया था।

## 2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक रूप से विकलांगों का कल्याण।

तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए तत्संबंधी दिशा–निर्देशों का पालन करती है। आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए तेउविबो में एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पदों के प्रत्येक वर्ग के लिए रोस्टरों का रखरखाव किया जा रहा है और इन्हें संपर्क अधिकारी द्वारा जांचा जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग/अन्य पिछड़ा वर्ग की सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए रोस्टरों के निरीक्षण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता था और इनमें किसी प्रकार की विसंगति नहीं पाई गई थी।

इसके अलावा अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग जन के आरक्षित कोटे के स्थान पर उनके रोजगार में किसी प्रकार का बैक लॉग अथवा कमी नहीं है। वर्ष के दौरान, अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के विरूद्ध किसी प्रकार की उत्पीड़न अथवा भेदभाव संबंधी शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

## 3. महिलाओं का कल्याण और सशक्तिकरण :

तेल उद्योग विकास बोर्ड (तेउविबो) लैंगिक मुद्दों से निपटने तथा महिला सशक्तिकरण के कार्य को बढ़ावा देने में सक्रिय है। ''कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न'' की शिकायतों का निवारण करने हेतु इसकी सुनवाई के लिए तेउविबो द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार, तेउविबो में कुल 22 कर्मचारियों में 5 महिलाकर्मी हैं।

## 5. सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

तेउविबो ने राजभाषा अधिनियम और इसके अन्तर्गत बने नियमों को अपने सचिवीय कार्यालय में कार्यान्वित किया है। तेउवि बोर्ड सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। तेउविबो, आधिकारिक कार्य में राजभाषा कार्यान्वयन को सवंर्धित करने में सदा प्रयासरत रहता है। तेउविबो के सभी नियम/समझौता ज्ञापन/ करार द्विभाषी हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के क्रम में, तेउविबो में सचिव (तेउविबो) महोदय की अध्यक्षता में एक आधिकारिक राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यरत है। यह समिति तेउविबो में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समग्र प्रगति तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति व कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। तेउविबो पहले ही राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के अन्तर्गत अधिसूचित है।

वर्ष 2016–17 के दौरान, हिन्दी के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाये गए थे, जैसे कि:

- हिन्दी दिवस के अवसर पर तेउविबो में 14.09.2016 से 28.09.2016 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान दिनांक 23.09.2016 को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- बोर्ड के कर्मचारियों को उनके कार्यों को हिन्दी में करने हेतु प्रोत्साहित करने के प्रयोजनार्थ विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं थीं। इनमें टिप्पण आलेखन, टाइपिंग, भाषा ज्ञान राजभाषा की जानकारी से संबंधित प्रतिस्पर्धा, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी स्पर्धा आदि शामिल किया गया। पखवाड़े के दौरान एक पुस्तक प्रदर्षनी का भी आयोजन किया गया।
- हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही, अद्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, राजभाषा विभाग को नियमित रूप से भेजी गईं।
- तेउविबो में हिन्दी के प्रयोग के प्रभावी प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न विकास संबंधी विषयों पर त्रैमासिक आधार पर नियमित रूप से इन विषयों पर "हिन्दी में टिप्पण और मसौदा लेखन", "हिन्दी और आई टी अनुप्रयोग", 'कौमी एकता और कमजोर वर्ग', "कम्प्यूटर पर हिन्दी में काम कैसे करें" हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- तेउविबो ने अपनी आंतरिक वार्षिक पत्रिका "अनुभूति" का प्रकाशन जारी रखा। इस पत्रिका में साहित्य, कविता, धार्मिक विषय एवं सामाजिक संस्मरणों से संबंधित विषयों का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका का उद्देश्य आधिकारिक भाषा में लेखन कार्य के अलावा इसके प्रति रूचि उत्पन्न करना है।

## राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

तेल उद्योग विकास बोर्ड (तेउविबो) को वर्ष 2015–16 के लिए ''क'' क्षेत्र में स्थित बोर्ड और स्वायत संगठनों आदि के बीच उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रथम ''राजभाषा कीर्ति पुरस्कार'' प्रदान किया गया।

पुरस्कार भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितम्बर को 2016 को प्रदान किया गया।

तेल उद्योग विकास बोर्ड (तेउविबो) की ओर से भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी से "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" प्राप्त करते हुए श्री संजीव मित्तल, सचिव, तेउविबो

**अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोहः**— तेल उद्योग विकास बोर्ड में 21 जून 2016 को ''अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस'' का आयोजन, तेउबवेा, भवन, नोएडा में किया गया। तेउविबो भवन नोएडा में स्थित अनुदानी संस्थाओं के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने ''अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस'' भाग लिया।

शिवानंद योग वेदांत नट्राज केन्द्र द्वारा योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। केन्द्र द्वारा ध्यान पर अभ्यास एवं वार्ता भी आयोजित की।

6. तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा दिनांक 19 से 26 नवम्बर 2016 तक संविधान दिवस और कौमी एकता सप्ताह का आयोजन किया। सप्ताह के दौरान निम्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।

| | | |
|---|---|---|
| 19.11.2016 | राष्ट्रीय एकता दिवस | वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा तेउविबो के कार्मिकों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलवाई। |
| 20.11.2016 | अल्पसंख्यक कल्याण दिवस | अल्पसंख्यकों के हितों के लिए उठाए गए कदम पर वार्ता। |
| 21.11.2016 | भाषाई सदभावना दिवस | भाषाई सदभावना बढाने के लिए सुप्रसिद्ध पंजाबी कवि श्री मनजीत सिंह द्वारा पंजाबी भाषा में और डा. एजाज पापुलर मेरठी ने उर्दू में कविता पाठ किया गया। |
| 22.11.2016 | कमजोर वर्ग दिवस | कमजोर वर्ग पर डा. अली जाविद, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा व्याख्यान दिया गया। |
| 23.11.2016 | सांस्कृतिक एकता दिवस | गीत और नाट्य प्रभाग, भारत सरकार के 14 कलाकारों के ग्रुप द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। |
| 24.11.2016 | महिला दिवस | महिलाओं के कल्याण के लिए तेउविबो की महिला कार्मिकों के मध्य विचार विमर्श का आयोजन किया गया। |
| 25.11.2016 | संरक्षण दिवस | इस अवसर पर तेउविबो के सभी कार्मिकों द्वारा पौधारोपण किया गया। |
| 26.11.2016 | संविधान दिवस | संविधान दिवस पर तेउविबो कर्मिकों को शपथ दिलवाई गई। |

19 नवम्बर 2016 को राष्ट्रीय एकता दिवस

22 नवम्बर 2016 को कमजोर वर्ग दिवस

23 नवम्बर 2016 को संस्कृतिक एकता दिवस

25 नवम्बर 2016 को संरक्षण दिवस

## 7. 42वां स्थापना दिवस समारोह

तेल उद्योग विकास बोर्ड में 13 जनवरी 2017 को अपना स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस समारोह में सचिव, तेउविबो मुख्य अतिथि थे। इस समारोह में तेउविबो के सभी अधिकारी, कर्मचारी, पेंशनधारी और तेउविबो भवन, नोएडा में स्थित अनुदानी संस्थाओं के कार्मिक भी उपस्थित थे। स्थापना दिवस पर वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा तेउविबो की स्थापना से लेकर अब तक का प्रस्तुतीकरण किया गया जिसके पश्चात, सचिव, तेउविबो द्वारा सम्बोधन दिया गया। इस अवसर पर एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया।

द्वीप प्रज्जवलन

सचिव, तेल उद्योग विकास वोर्ड द्वारा संबोधन भाषण

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा प्रेजेन्टशन

सचिव, तेउडिवोर्ड और अन्य अनुदानी संस्थाओ के वरिष्ठ अधिकारी

श्री महेन्द्र अजनबी, कवि द्वारा कविता पाठ

उप मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव

## 8. सूचना का अधिकार अधिनियम

भारत सरकार की दिनांक 15 जून, 2005 की राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 को तेउविबो में लागू किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम की रूपरेखा, अन्य बातों के साथ–साथ, सार्वजनिक प्राधिकरणों की कार्य–प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है।

सूचना का अधिकार, 2005 की धारा 5 तथा 19 के उपबन्धों के अनुसार तथा जारी किए गए सभी पूर्व आदेशों के अधिक्रमण में, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, उप मुख्य वित एवं लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी तथा अनुभाग अधिकारी क्रमशः पारदर्षिता अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी तथा जन सूचना अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए हैं।

वर्ष 2016–17 के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 30 अभ्यावेदन/प्राप्तियां प्राप्त की गई हैं। प्राप्त हुए इन सभी 30 अभ्यावेदनों/प्राप्तियों के प्रत्युत्तर प्रेषित कर दिए गए हैं।

## केन्द्रीय सरकार द्वारा एकत्रित उपकर एवं ते.उ.वि.बोर्ड को आबंटित की गयी धन राशि से संबंधित विवरण –

(₹ करोड़ में)

| क्रम | वर्ष | सरकार द्वारा कच्चे तेल पर संग्रह किया गया उपकर | सरकार द्वारा ते.उ.वि.बो. को किया गया भुगतान |
|---|---|---|---|
| 1 | 1974–75 | 30.82 | 16.01 |
| 2 | 1975–76 | 50.05 | 62.27 |
| 3 | 1976–77 | 52.88 | 48.19 |
| 4 | 1977–78 | 63.72 | 50.10 |
| 5 | 1978–79 | 68.89 | 20.00 |
| 6 | 1979–80 | 69.70 | 140.00 |
| 7 | 1980–81 | 60.40 | 25.01 |
| 8 | 1981–82 | 138.97 | 142.92 |
| 9 | 1982–83 | 268.83 | 100.00 |
| 10 | 1983–84 | 812.80 | – |
| 11 | 1984–85 | 850.12 | – |
| 12 | 1985–86 | 897.66 | – |
| 13 | 1986–87 | 981.50 | – |
| 14 | 1987–88 | 1806.60 | – |
| 15 | 1988–89 | 2013.64 | 63.09 |
| 16 | 1989–90 | 2914.57 | 50.00 |
| 17 | 1990–91 | 2785.15 | 89.81 |
| 18 | 1991–92 | 2500.64 | 95.00 |
| 19 | 1992–93 | 2207.61 | – |
| 20 | 1993–94 | 2175.46 | – |
| 21 | 1994–95 | 2566.16 | – |
| 22 | 1995–96 | 2819.52 | – |
| 23 | 1996–97 | 2558.03 | – |
| 24 | 1997–98 | 2528.74 | – |
| 25 | 1998–99 | 2448.18 | – |
| 26 | 1999–00 | 2589.44 | – |
| 27 | 2000–01 | 2582.21 | – |
| 28 | 2001–02 | 2722.79 | – |
| 29 | 2002–03 | 4873.17 | – |
| 30 | 2003–04 | 4919.49 | – |
| 31 | 2004–05 | 5033.97 | – |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32 | 2005–06 | 4857.58 | – |
| 33 | 2006–07 | 6875.53 | – |
| 34 | 2007–08 | 6854.00 | – |
| 35 | 2008–09 | 6680.94 | – |
| 36 | 2009–10 | 6637.13 | – |
| 37 | 2010–11 | 7671.44 | – |
| 38 | 2011–12 | 8065.46 | |
| 39 | 2012–13 | 14,473.16 | |
| 40 | 2013–14 | 14,542.38 | |
| 41 | 2014–15 | 14,677.24 | |
| 42 | 2015–16 | 14,468.94 | |
| 43 | 2016–17 | 12,778.20 | |
| | **कुल** | **1,74,973.71** | **902.40** |

**नोटः** ते.उ.वि.बोर्ड में प्राप्त उपकर से संबंधित आंकडे ओएनजीसी, ओआईएल एवं डीजीएच द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं।

# अध्याय 7

## वार्षिक लेखे 2016–17

## तेल उद्योग विकास बोर्ड

### 31.3.2017 की यथास्थिति को तुलन पत्र

(₹ लाख में)

| कॉपर्स पूंजीगत निधि एवं देयताएं | अनुसूची | चालू वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|---|
| कॉपर्स / पूंजीगत निधि | 1 | 90240 | 90240 |
| आरक्षित एवं अधिशेष निधियॉ | 2 | 1055564 | 1055059 |
| चिन्हित / अक्षय निधि | 3 | 0 | 0 |
| जमानती ऋण एवं उधार | 4 | 0 | 0 |
| गैर जमानती ऋण एवं उधार | 5 | 0 | 0 |
| आस्थगित जमा देनदारियॉ | 6 | 0 | 0 |
| चालू देयताएं एवं प्रावधान | 7 | 1129 | 23536 |
| **योग** | | **1146933** | **1168835** |
| **परिसम्पतियॉ** | | | |
| अचल परिसम्पतियॉ (निवल ब्लॉक) | 8 | 11191 | 10611 |
| प्रगतित कार्य | 8 | 49 | 19 |
| निवेश – चिन्हित / अक्षय निधि | 9 | 0 | 0 |
| निवेश – अन्य | 10 | 359035 | 334716 |
| चालू परिसम्पतियॉ, ऋण, अग्रिम आदि | 11 | 776658 | 823489 |
| विविध खर्चे | | | |
| (जिन्हें बट्टे खाते में डाला या समायोजित नहीं किया गया है) | | | |
| **योग** | | **1146933** | **1168835** |
| लेखा संबंधी विशेष नितियॉ | 25 | | |
| फुटकर देयताएं एवं लेखो पर टिप्पणियॉ | 26 | | |

तेउविबो के लिए और तेउविबो की ओर से

ह/–
अजय श्रीवास्तव
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह/–
आशीष चटर्जी
सचिव

दिनांकः

स्थान नई दिल्ली

## तेल उद्योग विकास बोर्ड

### 31.3.2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

(₹ लाख में)

| आय | अनुसूची | चालू वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|---|
| बिक्री / सेवाओं से आय | 12 | 0 | 0 |
| अनुदान/ सब्सिडी | 13 | 0 | 0 |
| फीस/अभिदान | 14 | 0 | 0 |
| निवेश से आय | 15 | 0 | 0 |
| रायल्टी, प्रकाशन, डीजीएच द्वारा डेटा बिक्री से आय | 16 | 514 | 207 |
| अर्जित ब्याज | 17 | 58974 | 65700 |
| अन्य आय | 18 | 1292 | 1025 |
| तैयार माल एवं प्रगति पर कार्य के स्टॉक में बढोत्तरी/(कमी) | 19 | 0 | 0 |
| **योग (क)** | | **60780** | **66932** |
| **व्यय** | | | |
| संस्थापन खर्च | 20 | 284 | 272 |
| अन्य प्रशासनिक खर्चे आदि | 21 | 941 | 1285 |
| अनुदान, सब्सिडी आदि पर खर्च | 22 | 57638 | 27523 |
| भुगतान किया गया ब्याज | 23 | 0 | 0 |
| राज्य सरकारों को रायल्टी | 24 | 0 | 0 |
| संदिग्ध ऋणो के लिए प्रावधान | | 0 | 0 |
| मूल्यह्रास (वर्ष के अन्त मे अनुसूचि 8 के अनुसार निवल योग) | 8 | 623 | 1165 |
| **योग – ख** | | **59487** | **30245** |
| खर्च पर आय के आधिक्य का शेष (क–ख) | | 1293 | 36687 |
| आयकर के लिए प्रावधान | | 438 | 12471 |
| विशेष आरक्षित निधि में स्थानान्तरण (प्रत्येक का उल्लेख करे) | | – | – |
| सामान्य आरक्षित निधि में स्थानान्तरण | | – | – |
| **आधिक्य के शेष को कॉपर्स/ पूंजीगत निधि में स्थानान्तरित** | | **855** | **24216** |
| विशेष लेखा नीतियॉ | 25 | | |
| फुटकर देयताएं एवं लेखा पर टिप्पणियॉ | 26 | | |

तेउविबो के लिए और तेउविबो की ओर से

ह/–
**(अजय श्रीवास्तव)**
**वित्त सलाहकार एवं लेखा अधिकारी**

ह/–
**(आशीष चटर्जी)**
**सचिव**

दिनांकः
स्थान : नई दिल्ली

## तेल उद्योग विकास बोर्ड

### 31.3.2017 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(₹ लाख में)

| | चालू वर्ष | | गत वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 1 – कॉपर्स / पूँजीगत निधि** | | | | |
| वर्ष के प्रारंभ में शेष | | 90240 | | 90240 |
| जोडेः कॉपर्स / पूंजीगत निधि में योगदान | – | | – | |
| जोडें / (घटाएं): आय एवं व्यय खाते से निवल आय (खर्च) के शेष की स्थानान्तरित राशि | – | | – | |
| **वर्ष के अन्त में शेष** | | **90240** | | **90240** |

लाख रूपये में

| | चालू वर्ष | | गत वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 2 – आरक्षित एवं अधिशेष निधियॉ** | | | | |
| 1. पूंजीगत आरक्षित निधि | | | | |
| गत लेखो के अनुसार | – | | – | |
| वर्ष के दौरान जमा | – | | – | |
| घटाएंः वर्ष के दौरान कमी | ( – ) | – | ( – ) | |
| 2. पुर्नःमूल्यांकन आरक्षित निधि | | | | |
| गत लेखो के अनुसार | – | | – | |
| वर्ष के दौरान जमा | – | | – | |
| घटाएं वर्ष के दौरान कमी | ( – ) | – | ( – ) | |
| 3. विशेष आरक्षित निधि | | | | |
| गत लेखो के अनुसार | – | | – | |
| वर्ष के दौरान जमा | – | | – | |
| घटाएंः वर्ष के दौरान कमी | ( – ) | – | ( – ) | |
| 4. सामान्य आरक्षित निधि | | | | |
| विगत लेखो के अनुसार | | 1055059 | | 1030840 |
| वर्ष के दौरान जमा/घटा | | | | |
| (i) व्यय पर आय से अधिक्य | 855 | | 24216 | |
| कम : कर प्रावधान का समायोजन | 350 | 505 | 3 | 24219 |
| **कुल योग** | | **1055564** | | **1055059** |

## तेल उद्योग विकास बोर्ड

### 31.3.2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(₹ लाख में)

| अनुसूची 3 – चिन्हित / अक्षय निधि | विविध निधियों का विवरण | | | | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | निधि | निधि | निधि | निधि | निधि | चालू वर्ष | गत वर्ष |
| (क) निधि का प्रारंभिक शेष | | | | | | | |
| (ख) निधि में परिवर्धन | | | | | | | |
| (i) दान / अनुदान | | | शून्य | | | | |
| (ii) निधि के निवेश से आय | | | | | | | |
| (iii) अन्य परिवर्धन (प्रकार का उल्लेख करें) | | | | | | | |
| **योग (क + ख)** | | | | | | | |
| (ग) निधि के उद्देश्य के प्रति उपयोग / खर्च | | | | | | | |
| **(i) पूँजीगत खर्चे** | | | | | | | |
| – अचल परिसम्पत्तियॉ | | | | | | | |
| – अन्य | | | शून्य | | | | |
| योग : | | | | | | | |
| **(ii) राजस्व खर्चे** | | | | | | | |
| – वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि | | | | | | | |
| – किराया | | | | | | | |
| – अन्य प्रशासनिक खर्चे | | | | | | | |
| योग : | | | | | | | |
| **योग(ग)** | – | – | – | – | – | – | – |
| वर्ष के अन्त में निवल शेष (क + ख – ग) | – | – | – | – | – | – | – |

## तेल उद्योग विकास बोर्ड

### 31.3.2017 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियॉं

(₹ लाख में)

| | चालू वर्ष | | गत वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 4 – आरक्षित ऋण एवं उधार** | | | | |
| 1. केन्द्रीय सरकार | | | | |
| 2. राज्य सरकार (उल्लेख करें) | | | | |
| 3. वित्तीय संस्थान | | | | |
| क) आवधिक ऋण | | | | |
| ख) अर्जित एवं प्राप्य ब्याज | | | | |
| 4. बैंक | | | | |
| क) आवधिक ऋण | | | | |
| – अर्जित एवं प्राप्य ब्याज | | | | |
| ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें) | | | | |
| – अर्जित एवं प्राप्य ब्याज | | | | |
| 5. अन्य संस्थान एवं एजेन्सी | | | | |
| 6. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र | | | | |
| अन्य (उल्लेख करें) | | | | |
| **योग :** | | | | |
| टिप्पणी :– एक वर्ष के अन्दर प्राप्य राशि | | | | |

शून्य

| तेल उद्योग विकास बोर्ड | | |
|---|---|---|
| **31.3.2017 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियॉं** | | |
| | | (₹ लाख में) |
| | चालू वर्ष | गत वर्ष |
| **अनुसूची 5 – अनारक्षित ऋण एवं उधार** | | |
| 1. केन्द्रीय सरकार | शून्य | |
| 2. राज्य सरकार (उल्लेख करें) | | |
| 3. वित्तीय संस्थान | | |
| 4. बैंक : | | |
| (क) आवधिक ऋण | | |
| (ख) अन्य ऋण (उल्लेख करे) | | |
| 5. अन्य संस्थान एवं एजेन्सी | | |
| 6. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र | | |
| 7. सावधि जमा | | |
| 8. अन्य (उल्लेख करें) | | |
| **योग :** | | |
| टिप्पणी :– एक वर्ष के अन्दर प्राप्य राशि | | |

| तेल उद्योग विकास बोर्ड | | |
|---|---|---|
| **31.3.2017 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियॉं** | | |
| | | (₹ लाख में) |
| | चालू वर्ष | गत वर्ष |
| **अनुसूची 6 – अस्थगित जमा देनदारियॉं** | | |
| (क) पूंजीगत उपकरण एवं अन्य परिसम्पत्तियों के बंधक रखने पर प्राप्त स्वीकृतियॉं | शून्य | |
| (ख) अन्य | | |
| योग : | | |
| टिप्पणी :– एक वर्ष के अन्दर प्राप्य राशि | | |

## तेल उद्योग विकास बोर्ड

### 31.03.2017 को यथास्थिति का तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियॉ

(₹ लाख में)

| | चालू वर्ष | | गत वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 7 – चालू देयताएं एवं प्रावधान** | | | | |
| **(क) चालू देयताएं** | | | | |
| 1. स्वीकृतियॉ | | – | | – |
| 2. विविध लेनदार | | | | |
| (क) माल के लिए | – | | – | |
| (ख) अन्य | – | – | – | – |
| 3. प्राप्त अग्रिम | | – | | – |
| 4. उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं | – | | – | |
| (क) जमानती ऋण / उधार | – | | – | |
| (ख) गैरजमानती ऋण / उधार | | | | |
| 5. सांविधिक देयताएं | – | | – | |
| (क) अतिशोध्य | | | | |
| (ख) अन्य | – | | – | |
| 6. अन्य चालू देयताएं | | | | |
| क) राज्य सरकारों तथा अन्य को रॉयल्टी का भुगतान | 0 | | 0 | |
| ख) आय कर/टीडीएस/वर्कस कॉन्ट्रेक्ट देय कर | 9 | | 3 | |
| ग) ठेकेदारों को भुगतान | 266 | | 257 | |
| घ) अन्य | 81 | | 166 | |
| ड) प्रतिभूति जमा ईएमडी के साथ | 86 | | 29 | |
| च) रूकी हुई राशि मजदूरी उपकर के साथ दर (ठेकेदारों के कारण) | 168 | 610 | 118 | 573 |
| **योग (क) :** | | **610** | | **573** |
| **(ख) प्रावधान** | | | | |
| 1. करों के लिए | | 438 | | 22893 |
| 2. ग्रेच्यूटी | | 0 | | 0 |
| 3. सेवानिवृत्ति /पेंशन | | 0 | | 0 |
| 4. संचित छुट्टी का नकदीकरण | | 77 | | 66 |
| 5. व्यापार वारंटी/ दावे | | – | | – |
| 6. अन्य–लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का प्रावधन | | 4 | | 4 |
| **योग (ख)** | | **519** | | **22963** |
| **योग (क + ख)** | | **1129** | | **23536** |

# तेल उद्योग विकास बोर्ड

## 31.03.2017 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूची

(₹ लाख में)

| अनुसूची 8 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | मूल्यह्रास | | | | निवल ब्लॉक | |
| | 1.4.2016 से आरंभ वर्ष में लागत / मूल्यांकन | वर्ष के दौरान परिवर्धन | वर्ष के दौरान कटौतियॉ | 31.3.2017 वर्ष के अन्त में लागत / मूल्यांकन | 1.4.16 से वर्ष के आरम्भ में | वर्ष के दौरान परिवर्धन | वर्ष के दौरान कटौतियॉ | 31.3.2017 को समाप्त वर्ष के अन्त में कुल योग | 31.3.2017 को चालू वर्ष के अन्त में | 31.3.2016 को पूर्व वर्ष के अन्त में |
| **क स्थाई परिसम्पतियॉ** | | | | | | | | | | |
| 1. भूमि | | | | | | | | | | |
| (क) पूर्ण स्वामित्व | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (ख) पट्टे पर | 995 | 946 | 0 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1941 | 995 |
| 2. भवन | | | | | | | | | | |
| (क) पूर्ण स्वामित्व भूमि पर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (ख) पट्टे वाली भूमि पर | 10248 | 596 | 590 | 10254 | 3937 | 572 | 356 | 4153 | 6101 | 6311 |
| (ग) स्वामित्व मकान / परिक्षेत्र | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (घ) भूमि पर निर्माण जो संगठन से संबंधित नही है | 32 | 0 | 0 | 32 | 19 | 1 | 0 | 20 | 12 | 13 |
| 3. प्लॉट मशीनरी एवं उपकरण | 2936 | 34 | 0 | 2970 | 1499 | 218 | 0 | 1717 | 1253 | 1437 |
| 4. वाहन | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 5. फर्नीचर, फीक्सर्च | 2962 | 209 | 0 | 3171 | 1132 | 182 | 0 | 1314 | 1857 | 1830 |
| 6. कार्यालय उपस्कर | 51 | 4 | 0 | 55 | 41 | 2 | 0 | 43 | 12 | 10 |
| 7. कम्प्यूटर / बाह्य उपकरण | 52 | 4 | 0 | 56 | 50 | 2 | 0 | 52 | 4 | 2 |
| 8. विद्युत संस्थापन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. पुस्तकालय की पुस्तके | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. ट्यूब वैल तथा पानी की आपूर्ति | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. अन्य स्थिर परिसम्पतियॉ | 23 | 0 | 0 | 23 | 12 | 2 | 0 | 14 | 9 | 11 |
| **चालू वर्ष का योगः** | **17306** | **1793** | **590** | **18509** | **6695** | **979** | **356** | **7318** | **11191** | **10611** |
| **गत वर्ष :** | **17297** | **10** | **1** | **17306** | **5530** | **1165** | **0** | **6695** | **10611** | **11767** |
| **ख पूंजीगत चालू कार्य** | **19** | **30** | **0** | **49** | **0** | **0** | **0** | **0** | **49** | **19** |

| तेल उद्योग विकास बोर्ड | | |
|---|---|---|
| **31.3.2017 की यथास्थिति को तुलनपत्र का हिस्सा बनी अनुसूची** | | |
| | | (₹ लाख में) |
| | **चालू वर्ष** | **गत वर्ष** |
| **अनुसूची 9 चिन्हित / अक्षय निधि से निवेश** | | |
| 1. सरकारी प्रतिभूतियॉ | **शून्य** | |
| 2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियॉ | | |
| 3. शेयर | | |
| 4. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र | | |
| 5. नियंत्रित तथा सयुंक्त उद्यम | | |
| 6. अन्य (उल्लेख करें) | | |
| **योग :** | – | – |
| | **चालू वर्ष** | **गत वर्ष** |
| **अनुसूची 10 – अन्य निवेश** | | |
| 1. सरकारी प्रतिभूतियॉ | – | – |
| 2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियॉ | – | – |
| 3. शेयर | – | – |
| बीको लॉरी लिमिटेड | 5034 | 5034 |
| 4. ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र | – | – |
| 5. नियंत्रित तथा संयुक्त उद्यम आई एस पी आर एल | 354001 | 329682 |
| 6. अन्य (उल्लेख करें) | – | – |
| **योग :** | **359035** | **334716** |
| | | **0** |

## तेल उद्योग विकास बोर्ड

### 31.3.2017 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियॉ

(₹ लाख में)

| | चालू वर्ष | | गत वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची 11 – चालू परिसम्पत्तियॉ, ऋण, अग्रिम आदि** | | | | |
| **क. चालू परिसम्पत्तियॉ** | | | – | |
| 1. इन्वेनटरी | | | | |
| क) स्टोर एवं स्पेयर | – | | | |
| ख) खुले उपकरण | – | | | |
| ग) स्टॉक–इन–ट्रेड | | | | |
| तैयार माल | – | | | |
| प्रगतित कार्य | – | | | |
| कच्चा माल | – | | | |
| 2. फुटकर देनदारी | | | | |
| क) छ महीने से ज्यादा बकाया देनदारियॉ | – | – | | – |
| ख) अन्य | – | | – | |
| 3. कुल नकद शेष (इसमें चैक/ड्राफ्ट/अग्रदाय सहित) | | 0 | | 0 |
| 4. बैंक शेष | | | | |
| क) अधिसूचित बैंको के पास | | | | |
| – चालू खातों पर | – | | – | |
| – जमा खातों पर | 193100 | | 0 | |
| – बचत खातों पर | 4296 | 197396 | 35510 | 35510 |
| ख) अनाधिसूचित बैंको के पास | | | | |
| – चालू खातों पर | – | – | – | |
| – जमा खातों पर | – | – | – | |
| – बचत खातों पर | – | – | – | |
| 5. डाक घर–बचत खाते | – | – | | – |
| **योग (क) :** | | **197396** | | **35510** |

## तेल उद्योग विकास बोर्ड

### 31.3.2017 की यथास्थिति को तुलन पत्र का हिस्सा बनी अनुसूचियॉ

(₹ लाख में)

| ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियॉ | चालू वर्ष | | गत वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| 1. ऋण | | | | |
| क) स्टाफ | 17 | | 22 | |
| ख) तेल क्षेत्र की सार्वजनिक इकाईयॉ (अनुलग्नक II) | 534509 | | 722909 | |
| ग) अन्य (स्पष्ट करें) | – | | – | |
| | | **534526** | | **722931** |
| 2. अग्रिम एवं अन्य राशियॉ जो कि नकद या अन्य प्रकार से प्राप्य है | | | | |
| क) पूंजीगत खातों पर (आईएसपीआरएल को अग्रिम) | 4698 | | 15963 | |
| ख) अग्रिम किराया | 225 | | 228 | |
| ग) अन्य (इसमें अग्रिम कर, टीडीएस तथा एम एम सैल, प्रतिभूति जमा तथा सीएचटी को दिया गया अग्रिम शामिल है) | 21426 | **26350** | 31677 | **47868** |
| 3. उपार्जित आय | | | | |
| क) चिन्हित / अक्षय निधि में निवेश | – | | – | |
| ख) अन्य – निवेश | 1841 | | 23 | |
| ग) ऋण एवं अग्रिम | 6280 | | 6930 | |
| घटाएं: संदिग्ध ऋणों का प्रावधान (पूर्व वर्षों में किया) | 2711 | | 2711 | |
| घ) अन्य (डीजीएच से डेटा बिक्री) | 2 | **5411** | 1 | **4243** |
| 4. वसूली योग्य दावे | | | | |
| (I) (विरोध के तहत भुगतान किया गया कर) | 12895 | | 12895 | |
| (II) प्राप्य राशि | 80 | **12975** | 42 | **12937** |
| **योग (ख) :** | **0** | **579262** | | **787979** |
| **योग (क + ख) :** | **0** | **776658** | | **823489** |

## तेल उद्योग विकास बोर्ड

### 31.3.2017 को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूची

(₹ लाख में)

| | चालू वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|
| **अनुसूची 12 – बिक्री / सेवाओं से आय** | शून्य | |
| 1. बिक्री से आय | | |
| a) तैयार माल की बिक्री | | |
| b) कच्चे माल की बिक्री | | |
| c) खंडित माल की बिक्री | | |
| 2. सेवाओं से आय | | |
| क) मजदूरी एवं प्रक्रिया प्रभार | | |
| ख) व्यावसायिक / परामर्शी सेवाएं | | |
| ग) ऐजेंसी कमीशन तथा दलाली | | |
| घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण / सम्पत्ति) | | |
| ड.) अन्य (उल्लेख करें) | | |
| **योग :** | | |

| | चालू वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|
| **अनुसूची 13 – अनुदान / सहायता** | शून्य | |
| (अवसूलीय अनुदान तथा प्राप्त सहायता | | |
| 1) केंद्रीय सरकार | | |
| 2) राज्य सरकारें | | |
| 3) सरकारी एंजेंसियॉ | | |
| 4) संस्थान / कल्याणकारी निकाय | | |
| 5) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन | | |
| 6) अन्य (उल्लेख करें) | | |
| **योग :** | | |

| तेल उद्योग विकास बोर्ड | | |
|---|---|---|
| **31.3.2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूचियॉ** | | |
| | | (₹ लाख में) |
| | चालू वर्ष | गत वर्ष |
| **अनुसूची 14 – शुल्क / अभिदान** | शून्य | |
| 1. प्रवेश शुल्क | | |
| 2. वार्षिक शुल्क / अंशदान | | |
| 3. सेमीनार / कार्यक्रम शुल्क | | |
| 4. परामर्शदाता शुल्क | | |
| 5. अन्य (उल्लेख करें) | | |
| **योग :** | | |

| तेल उद्योग विकास बोर्ड | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **31.3.2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूचियॉ** | | | | |
| | | | | (₹ लाख में) |
| | चिन्हित निधियों से निवेश | | निवेश– अन्य | |
| | चालू वर्ष | गत वर्ष | चालू वर्ष | गत वर्ष |
| अनुसूची 15 – निवेशों से आय | | | | |
| (चिन्हित / अक्षय निधियों से निवेश पर आय) | | | | |
| 1. ब्याज | शून्य | | | |
| क) सरकारी प्रतिभूतियों पर | | | | |
| ख) अन्य ऋण पत्र एवं बन्ध पत्र | | | | |
| 2. लाभांश | | | | |
| क) शेयरों पर | | | | |
| ख) मयूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर | | | | |
| 3. किराया | | | | |
| 4. अन्य – एन आर एल इक्विटी की बिक्री से पूंजीगत लाभांश | | | | |
| योग : | | | | |
| चिन्हित / अक्षय निधियों में अंतरण | | | | |

## तेल उद्योग विकास बोर्ड

### दिनांक 31.3.2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूचियॉ

(₹ लाख में)

| | चालू वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|
| **अनुसूची 16** | | |
| **रायल्टी, प्रकाशन, डीजीएच द्वारा डेटा बिक्री आदि से आय** | | |
| 1. रायल्टी से आय | – | – |
| 2. प्रकाशनों से आय | – | – |
| 3. अन्य – डीजीएच द्वारा डेटा बिक्री से आय | 514 | 207 |
| **योग :** | **514** | **207** |
| | **चालू वर्ष** | **गत वर्ष** |
| **अनुसूची – 17 अर्जित ब्याज** | | |
| 1. सावधि जमा पर : | | |
| क) अधिसूचित बैंको के पास (सावधि जमा) | 7210 | 4417 |
| ख) अनाधिसूचित बैंको के पास | – | – |
| ग) संस्थानो के पास | – | – |
| घ) अन्य | – | – |
| 2. बचत खातो पर | 0 | 0 |
| क) अधिसूचित बैंको के पास | 244 | 75 |
| ख) अनाधिसूचित बैंको के पास | – | – |
| ग) डाक घर बचत खाते | – | – |
| घ) अन्य | – | – |
| 3. ऋणों पर | | |
| क) कर्मचारी / स्टॉफ | 1 | 1 |
| ख) तेल कम्पनियॉ | 51519 | 61132 |
| 4. देनदारी तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज | | |
| (क) चल अग्रिम पर ब्याज | 0 | 75 |
| (ख) आय कर विवरणी पर ब्याज | 0 | 0 |
| **योग :** | **58974** | **65700** |
| | **5578** | **6608** |
| टिप्पणी – स्रोत पर कर कटौती का उल्लेख करें। | | |

## तेल उद्योग विकास बोर्ड

### 31.3.2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूची

(₹ लाख में)

| | चालू वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|
| **अनुसूची 18 – अन्य आय** | | |
| 1. परिसम्पत्तियों के बिक्री/ निपटान पर लाभ | | |
| क) स्वयं खरीदी गई परिससम्पतियॉ | – | – |
| ख) प्राप्त अनुदान से खरीदी गई या मुफ्त में प्राप्त परिसम्पत्तियां | | |
| 2. निर्यात प्रोत्साहन | – | – |
| 3. पूर्व अवधि की आय | 3 | 848 |
| 4. विविध आय | 1289 | 177 |
| **योग :** | **1292** | **1025** |
| | **चालू वर्ष** | **गत वर्ष** |
| **अनुसूची 19 – तैयार माल या चालू कार्यों के भंडार मे वृद्धि /कमी** | | |
| क) अन्तिम स्टॉक | **शून्य** | |
| – तैयार माल | | |
| – कार्यगत राशि | | |
| ख) घटाएं : आरम्भिक स्टॉल | | |
| – तैयार माल | | |
| – कार्यगत राशि | | |
| निवल जमा (घटा) (क + ख) | – | – |
| | **चालू वर्ष** | **गत वर्ष** |
| **अनुसूची 20 – स्थापना खर्चे** | | |
| क) वेतन एवं मजदूरी | 209 | 203 |
| ख) भत्ते एवं बोनस | 26 | 23 |
| ग) भविष्य निधि में अंशदान | 0 | 0 |
| घ) तेउविबो कर्मचारी ग्रुप ग्रेच्यूटी तथा पेंशन निधि में अंशदान | 20 | 19 |
| ड.) चिकित्सा खर्चो सहित कर्मचारी कल्याण खर्चे | 17 | 18 |
| च) कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति तथा सेवान्त लाभ | 11 | 8 |
| छ) अन्य (इसमें संविदा प्रकोष्ठ सम्मलित है) | 2 | 1 |
| **योग :** | **284** | **272** |

## तेल उद्योग विकास बोर्ड

### 31.3.2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूचियॉ

(₹ लाख में)

| | | चालू वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय आदि** | | | |
| क) क्रय | | 0 | 0 |
| ख) मजदूरी तथा संसाधित खर्चे | | 0 | 0 |
| ग) गाड़ी तथा भाड़ा | | 0 | 0 |
| घ) विद्युत तथा बिजली | | 398 | 315 |
| ड) जल प्रभार | | 1 | 1 |
| च) बीमा | | 2 | 2 |
| छ) मरम्मत एवं रखरखाव | | 166 | 156 |
| ज) उत्पाद कर | | 0 | 0 |
| झ) किराया, दरें तथा कर | | 25 | 25 |
| त्र) गाडियों का चालन एवं रखरखाव | | 13 | 5 |
| ट) डाक, तार एवं दूरभाष प्रभार | | 5 | 6 |
| ठ) मुद्रण तथा लेखा सामग्री | | 11 | 8 |
| ड्) विविध खर्चे | | 8 | 2 |
| ढ) सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं पर खर्चे | | 3 | 1 |
| ण) अभिदान खर्चे | | 0 | 0 |
| त) शुल्क पर खर्चे | | 0 | 0 |
| थ) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक | | 1 | 4 |
| द) आतिथ्य खर्चा | | 0 | 0 |
| ध) व्यावसायिक प्रभार | | 24 | 23 |
| न) संदिग्ध ऋण/अग्रिम के लिए प्रावधान | | 0 | 0 |
| प) बट्टे खाते में डाले गए अवसूलीय खर्चे | | 0 | 0 |
| फ) पैकिंग प्रभार | | 0 | 0 |
| ब) माल भाड़ा तथा अग्रेषण खर्चे | | 0 | 0 |
| भ) संवितरण खर्चे | | 0 | 0 |
| म) विज्ञापन तथा प्रचार | | 4 | 3 |
| अन्य (एफएमएस कार्य खर्चे तथा तेउविबो भवन का रखरखाव) | **235** | **280** | **734** |
| पूर्व अवधि व्यय | **45** | **941** | **1285** |
| **योग :** | **280** | | |

## तेल उद्योग विकास बोर्ड

### 31.3.2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूचियॉ

(₹ लाख में)

| | चालू वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|
| **अनुसूची 22 – अनुदान, सहायता आदि पर व्यय** | | |
| क) संस्थानो/ संगठनों को दिया गया अनुदान (अनुलग्नक ।।।–ए) | 57638 | 25459 |
| ख) सरकार/ ते.उ.वि.बोर्ड द्वारा प्रायोजित योजना एवं परियोजनाओं के लिए सहायता (अनुलग्नक ।।।–बी) | 0 | 2064 |
| | 0 | 0 |
| **योग :** | **57638** | **27523** |

**टिप्पणी – अनुलग्नक ।।। (ए) तथा (बी) में कंपनी का नाम, उन्हें दी गई अनुदान/सब्सीडी राशि इंगित की गई है।**

## तेल उद्योग विकास बोर्ड

### 31.3.2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूचियॉ

| | चालू वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|
| **अनुसूची 23 – भुगतान किया गया ब्याज** | | |
| क) स्थाई ऋणों पर | 0 | 0 |
| ख) अन्य ऋणो पर (बैंक प्रभार के साथ) | 0 | 0 |
| ग) अन्य | 0 | 0 |
| **योग** | **0** | **0** |

## तेल उद्योग विकास बोर्ड

### 31.3.2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खातों का हिस्सा बनी अनुसूचियॉ

(₹ लाख में)

| | चालू वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|
| **अनुसूची 24 राज्य सरकारों को रॉयल्टी का भुगतान** | | |
| अरूणाचल प्रदेश सरकार | 0 | 0 |
| गुजरात सरकार | 0 | 0 |
| **कुल** | **0** | **0** |

# तेल उद्योग विकास बोर्ड

## मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष की यथास्थिति को लेखों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

### अनुसूची–25 – महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

**1. लेखाकरण व्यावहारिक रीति**

वित्तीय विवरणपत्र सिर्फ अनुदान सहायता को छोड़कर प्रोद्भवन आधार पर बनाये जाते हैं। अनुदानों का जिस वर्ष में भुगतान किया जाता है, उसी में इन्हें खर्च किया गया समझा जाता है और तदानुसार इन्हें राजस्व खर्चों में दर्शाया जाता है।

**2. निवेश**

दीर्घावधि निवेश लागत मूल्य पर लिए गए हैं। इन निवेशों की लागत दर्शाते समय उनमें अस्थाई आधार पर छोड़कर, मूल्यों में कमी का प्रावधान किया जाता है।

**3. स्थाई परिसम्पत्तियाँ**

स्थाई परिसम्पत्तियाँ के मूल्य में अभिग्रहण की लागत जिसमें अधिभार तथा कर तथा अभिग्रहण से संबंधित आकस्मिक एवं प्रत्यक्ष खर्चे सम्मिलित हैं। निर्माण संबंधित परियोजनाओं में पूर्व–प्रचालित खर्चे पूंजीगत की जाने वाली आस्तियों के अंग बनते हैं।

**4. मूल्यह्रास**

मूल्यह्रास आयकर अधिनियम 1961 में उल्लिखित दरों के आधार "मूल्यह्रास पद्धति" के अनुसार किया जाता है। स्थाई आस्तियों में वर्ष के दौरान हुई बढ़ोतरी/कमी के लिए मूल्यह्रास, आयकर नियमों के आधार पर लिया जाता है। रूपये 5,000 या उससे कम कीमत की आस्तियों को पूर्ण रूप से समायोजित कर किया गया है।

**5. सरकारी अनुदान/सब्सिडी –**

अनुदान विभिन्न राज्य सरकारों/प्रचालकों/को देय रायल्टी को छोड़कर जिसका भुगतान सरकार के आदेशानुसार किया जाता है, नकद के आधार पर लेखागत किया जाता है।

**6. आय**

व्यवहार्य परिसम्पतियों पर ब्याज एवं अन्य आय की गणना देय आधार पर होती है जबकि अव्यवहार्य परिसम्पत्तियों पर यह गणना उनकी प्राप्ति आधार पर होती है। व्यवहार्य परिसम्पतियाँ वह हैं जिन पर आय 90 दिन के बाद अदेय नहीं रहती है।

**7. विदेशी मुद्रा विनिमय**

विदेशी मुद्रा में किये गये लेन देन का लेखीकरण भुगतान किये जाने वाले दिन की विनिमय दर के आधार पर किया जाता है।

**8. लीज़**

लीज़ शर्तों के सन्दर्भ में लीज़ किराये को व्यय में दर्शाया जाता है।

**9. सेवानिवृत्ति लाभ**

9.1 तेउवि बोर्ड ने अपने वर्तमान कार्मिकों की पिछली सेवाओं की देयताओं के संरक्षण के लिए दो ट्रस्ट नामतः "तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रुप ग्रेज्यूटी योजना" तथा "तेउवि बोर्ड कर्मचारी सेवा निवृत्ति योजना" की स्थापना की। योजनाओं के लिए निधियों की व्यवस्था ट्रस्ट के माध्यम से वास्तविक मूल्याकंन के आधार पर की जा रही है।

9.1 कर्मचारियों द्वारा संचित छुट्टियों के एवज में भुगतान की जाने वाली राशि का प्रावधान किया जाता है तथा इसकी गणना इस अवधारणा पर की जाती है कि कर्मचारी हर वर्ष के अन्त में उसका लाभ–प्राप्त करने का हकदार है।

# तेल उद्योग विकास बोर्ड

## मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष की यथास्थिति को लेखों का हिस्सा बनी अनुसूचियाँ

### अनुसूची–26 – आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियाँ

**1. आकस्मिक देयताएं:–**

(क) वर्ष 2015–16 के दौरान, 10.80 लाख रूपये टीडीएस के दावों के प्रकटन के परिणामस्वरूप/टीआरएसीईएस (आय कर विभाग) से डाउनलोड डिफॉल्ट सारांश के आधार पर वर्ष 2015–16 के लिए टीडीएस खातों के दावों को संशोधित कर 10.80 लाख रूपये किया गया। वर्ष 2008–09 से वर्ष 2016–17 से संबधित दावे निम्नानुसार हैं:–

| निर्धारण वर्ष | राशि (लाख रूपये में) |
|---|---|
| 2008–09 | 2.76 |
| 2009–10 | 0.05 |
| 2010–11 | 3.66 |
| 2011–12 | 2.53 |
| 2013–14 | 0.25 |
| 2014–15 | 0.17 |
| 2015–16 | 1.06 |
| 2016–17 | 0.32 |
| कुल | 10.88 |

उपरोक्त दावों को खातों में नहीं दर्शाया गया है जैसाकि तेउविबा, लेखा अधिकारी (टीडीएस) के समक्ष अपील दायर करने पर विचार कर रही है।

(ख) तेउविबो तथा मैसर्स गोदरेज एण्ड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के बीच तेउविबो भवन के जी+3 ब्लॉक के आंतरिक कार्य के निष्पादन से उत्पन्न एक आर्बिट्रेशन मामला था। आरबीट्रेटर द्वारा फैसला मैसर्स गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के पक्ष में दिया गया तथा उनके दावे रू0. 180.41 लाख के बदले में रू0. 62.78 लाख की राशि देय करने का निर्णय दिया। तेउविबो ने माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में आरबीट्रेटर के फैसले के विरूद्ध एक याचिका दायर की। इसे ध्यान में रखते हुए, इस प्रावधान को खातों में शामिल नहीं किया गया है।

(ग) एक अन्य आर्बिट्रेशन मामला तेउविबो तथा मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड के मध्य है, जो तेउविबो भवन के निर्माण हेतु सिविल और स्ट्रक्चरल कार्य निष्पादन से उत्पन्न हुआ, जिसमें ईपीआईएल द्वारा विभिन्न दावों हेतु तेउविबो पर 37.59 करोड़ रूपये का दावा प्रस्तुत किया है। तेउविबो द्वारा 2.59 करोड़ रूपये का मुआवजा देने पर मामले का पूर्ण और अंतिम निपदान किया गया। यह राशि वर्ष 2016–17 के दौरान भुगतान की गई। इसके अलावा खातों में दर्शायी गई ईपीआईएल से वसूली योग्य और पिछले वर्षो के समायोजन को इस वर्ष के दौरान कर के लिए समायोजित किया गया है।

(घ) तेउविबो द्वारा विभिन्न मूल्यांकन वर्षो के लिए आयकर विभाग द्वारा लगाए गए दंड स्वरूप राशि जमा कर दी गई है जिसके विरूद्ध विभिन्न प्राधिकरणों के पास लंबित अपीलों का विवरण नीचे दिया गया है।

| क्र.स. | निर्धारण वर्ष | धारा 271(1) (सी) के तहत लंबित अपील में शामिल राशि (रूपये करोड़ में) | मामले की स्थिति | धारा 143(3) के तहत लंबित अपील में शामिल राशि (रूपये करोड़ में) | मामले की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005–06 | 1.76 | आईटीएटी के समक्ष लंबित अपील | – | |
| 2 | 2006–07 | 1.85 | आईटीएटी के समक्ष लंबित अपील | – | |
| 3 | 2007–08 | 1.40 | आईटीएटी के समक्ष लंबित अपील | – | |
| 4 | 2008–09 | 4.52 | सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित अपील | 5.63 | आईटीएटी के समक्ष लंबित अपील |
| 5 | 2010–11 | 22.77 | सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित अपील | 28.97 | आईटीएटी के समक्ष लंबित अपील |
| 6 | 2011–12 | | | 28.54 | आईटीएटी के समक्ष लंबित अपील |
| 7 | 2012–13 | | | 20.51 | आईटीएटी के समक्ष लंबित अपील |
| 8 | 2013–14 | | | 3.85 | सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित अपील |
| 9 | 2014–15 | | | 14.71 | सीआईटी (ए) के समक्ष लंबित अपील |
| | **कुल** | **32.30** | | **115.20** | |

आगे, 2009–10 के लिए, टैक्स विभाग ने आईटीएटी के समक्ष अपील की है इसलिए 17.74 करोड़ रूपये की इस राशि को आकस्मिक देयताओं की राशि बनाया जायेगा।

(ड) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) जिसने तेउविबो भवन नोएडा के निर्माण के लिए सिविल और संरचनात्मक कार्य के निष्पादन के लिए अपनी परामर्श सेवाएं प्रदान की थी, उसने तेउविबो पर, 32 महीने के लगभग अनुबंध की अवधि से अधिक परामर्श सेवाएं रोकने के लिए 4.22 करोड़ रूपये की राशि का दावा प्रस्तुत किया है। तेउविबो ने दावा स्वीकार नहीं किया, लेकिन ईपीआईएल के खिलाफ मध्यस्था में लंबित मामले में प्रस्तुत दावा दायर करने के लिए समाधान करने के लिए शामिल किया है। अब जबकि मामले का ईपीआईएल के साथ निपटान कर दिया गया है। उक्त राशि के लिए आकस्मिकता बनाया जाना आवश्यक है।

**2. वचन बद्धताएँ**

**पूंजीगत**

क) भुगतान के लिए अन्तिम बिलों का मूल्य जो कि रूपये 331 लाख (लगभग) है, पीएमसी और ठेकेदारों से स्पष्टीकरण के अभाव में उनपर विचार नहीं किया गया है।

ख) (i) इंडियन स्टैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) द्वारा बनाए जा रहे कार्यनीतिक कच्चे तेल भण्डारण के निर्माण हेतु सरकार के निर्देशानुसार परियोजना के लिए रूपये 383256 लाख

तेउविबो द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे तथा शेष राशि रूपये 26579 लाख आनुपातिक लागत के अपने भाग के रूप में एचपीसीएल द्वारा दी जाएगी।

(ii) तेउविबो ने मार्च 2017 के अंत तक मैसर्स इंडियन स्टैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को रूपये 358700 लाख (गत वर्ष 345645 लाख) इक्विटी के रूप में निवेश के लिए दिये। कंपनी पहले ही रूपये 354001 लाख के 3540010000 शेयर, 10/– रूपये प्रति प्रमाणपत्र आबंटित कर शेयर प्रमाण जारी कर चुकी है। शेष रूपये 4698.43 लाख की राशि 31 मार्च 2017 तक शेयरों के आबंटन के लिए लंबित है।

## 3. चालू परिसम्पतियाँ, ऋण तथा अग्रिम

क) सरकार के निर्देशानुसार, बीको लारी लिमिटेड को दिये गये रूपये 32.76 करोड़ के ऋण को कंपनी में तेउविबो की इक्विटी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। शेयर प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जा चुका है। इस ऋण को इक्विटी में परिवर्तन के पश्चात् बीको लॉरी लिमिटेड में तेउविबो की कुल इक्विटी रूपये 17.58 करोड़ से बढकर रूपये 50.34 करोड़ हो गई है, जो कि कंपनी की कुल इक्विटी का 67.33% है।

सीसीईए ने रूपये 59.60 करोड़ के संचित घाटे को समाहित करने की मंजूरी द्वारा बीएलएल की इक्विटी की पूंजी को रूपये 74.76 करोड़ से घटाकर रूपये 15.16 करोड़ करने की स्वीकृति दी है। बीएलएल की इक्विटी में कमी से तेउविबो को रूपये 40.13 करोड़ का नुक्सान होगा क्योंकि रूपये 50.34 करोड़ रूपये की तेउविबो की इक्विटी 4.93:1 के अनुपात में घटकर रूपये 10.21 करोड़ हो जाएगी।

बीएलएल द्वारा कंपनी अधिनियम के तहत मामले को संकलित कर लेने के पश्चात् तेउविबो, बीएलएल में इक्विटी पूंजी की कमी के कारण तेउविबो के घाटे को बट्टे खाते में डालने को तेउविबो/केन्द्रीय सरकार के समक्ष ले जाएगा। केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति के पश्चात् हानि को आईसीएआई के लेखा मानक–13 के अनुसार तेउविबो के लेखा खातों में दर्शा दिया जाएगा।

ख) केनफिना तथा बीको लॉरी लिमिटेड से वसूले जाने वाले ब्याज क्रमशः रूपये 2443 लाख रूपये तथा रूपये 268 लाख था। यूटीआई 1964 योजना यूनिट के तहत प्रतिभूतियों से संबंधित मामला पर मुकदमेंबाजी चल रही है। चूंकि इस राशि की वसूली संदिग्ध है, अतः लेखों में इसे पहले ही संदिग्ध कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

ग) तेउविबो द्वारा निर्णय लिया गया है कि अपने अनुदानी संस्थानों से कोई किराया तथा रखरखाव प्रभार नहीं लिया जाएगा इसलिए अनुदानी संस्थानों से न तो कोई वसूली की गई और न ही अनुदानी संस्थानों से किराया या रखरखाव प्रभार के अन्तर्गत लेखों में वसूली योग्य राशि दर्शायी गई है। चूंकि आईएसपीआरएल, तेउविबो की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, इसलिए आईएसपीआरएल से कोई किराया, रखरखाव नहीं लिया जाता है।

## 4. कर निर्धारण

(क) चूँकि तेउविबो आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत एक आयकर भुगतान वाली कंपनी है अतः आयकर के लिए प्रावधान करना आवश्यक समझा गया है। संलग्न लाभ तथा हानि लेखे (अनुलग्नक–I) आयकर विभाग को देय आयकर की गणना करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 36 (1) (xii) के तहत आयकर कटौती के लिए प्राधिकृत संस्थान के रूप में अधिसूचित करने के पश्चात तैयार किए गए हैं।

(ख) तुलनपत्र में अनुसूची–2 आरक्षित और अधिशेष निधियों में दर्शाए गए अधिशेष 350 लाख रूपये की राशि निर्धारण वर्ष 2015–16 और निर्धारण वर्ष 2016–17 से संबंधित कर प्रावधानों का समायोजन है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, आय कर विभाग ने धारा 143 (3) के अन्तर्गत मूल्याकंन वर्ष 2014–15 के लिए 14.71 करोड़ रूपये की मांग की है और उसे निर्धारण वर्ष 2015–16 में कर वापसी के समक्ष समायोजित कर

लिया गया है। हालांकि, निर्धारण वर्ष 2014–15 के लिए विभाग द्वारा किए गए संशोधन पर सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की गई है।

5. बोर्ड, वर्ष के दौरान 44.95 लाख रूपये 3 समयपूर्व खर्चे का दावा कर रहा है।

6. वर्ष के दौरान, बोर्ड ने अचल सम्पत्तियों को फिर से संगठित किया और मूल्यह्रास के उद्देश्य से बिल्डिंग के ह्रासित मूल्य को जमीन के मूल्य से असंबद्ध कर दिया है। और उसी के हिसाब से कर प्रभाव को आकंलित किया गया है।

7. तेउविबो द्वारा वर्ष के दौरान किए गए दूरभाष, इन्टरनेट सुविधा प्रबंधन, विद्युत भार तथा डीजल प्रभार आदि की समानुपातिक लागत आईएसपीआरएल को डेबिट की जा चुकी है।

8. (i) आईसीएआई द्वारा जारी AS-15 के प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यमान कर्मचारियों की सेवानिवृत्त लाभ के लिए पेंशन तथा ग्रेज्यूटी निधि के लिए बोर्ड ने दो विभिन्न ट्रस्टों (न्यासों) नामतः "तेउवि बोर्ड कर्मचारी सेवानिवृत्ति योजना" तथा तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रेज्यूटी योजना का गठन किया।

(ii) तेउवि बोर्ड ने आयकर विभाग में आयकर अधिनियम 1961 की चौथी अनुसूची के भाग बी तथा भाग सी के तहत अपनी दो योजनाओं क्रमशः "तेउविबो कर्मचारी ग्रेज्यूटी योजना" तथा "तेउवि बोर्ड कर्मचारी ग्रेज्यूटी योजना के लिए कर में छूट के लिए आवेदन दिया है। उत्तर की प्रतीक्षा है।

(iii) तेउविबो कर्मचारी सेवानिवृत्ति योजना और तेउविबो कर्मचारी ग्रेच्यूटी योजना के संबंध में एलआईसी के नवीनतम संदेश के अनुसार, बोर्ड ने भारतीय जीवन बीमा निगम को पहले ही अधिक राशि का भुगतान कर दिया है इसलिए इस वर्ष के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया जाना है।

बीमांकित मूल्याकंन के आधार पर देयताओं के संबंध में यह प्रस्तुत है कि, तेउविबो के लिए बिना एल आई सी के मांग के, देयतायें प्रदान करना संभव नहीं है क्योंकि यह बीमाकिंत मूल्यांकन पर आधारित हैं।

8. चार्टर्ड एकांउट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानक लेखाकरणों का जहां लागू हो अनुपालन किया गया है।

9. 1 से 26 तक अनुसूचियां संलग्न हैं तथा ये दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखे तथा तुलनपत्र का अन्तरिम भाग है।

10. तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा, लाभ तथा हानि लेखा, तथा सूचियों के आँकडे को निकटतम लाख रूपये के गुणांक में दर्शाया गया है। पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार सुव्यवस्थित/सुगठित किया गया है।

तेउविबो के लिए और तेउविबो की ओर से

**ह/–** **ह/–**

**(अजय श्रीवास्तव)** **(आशीष चटर्जी)**

**वित्तीय सलाहकार एवं मु0ले0अधिकारी** **सचिव**

**दिनांकः**

**स्थानः नई दिल्ली**

अनुलग्नक–1
(सन्दर्भः अनुसूची 26, नोट सं 4(क))

## तेल उद्योग विकास बोर्ड

## 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ एवं हानि खाता

राशि (लाख रूपये में)

| विवरण | अनुसूची सं0 | चालू वर्ष | गत वर्ष |
|---|---|---|---|
| **आय** | | | |
| ब्याज आय | 17 | 58974 | 65700 |
| निवेश से आय | 15 | 0 | 0 |
| अन्य आय | 16 और 18 | 1806 | 1232 |
| **योग** | | **60780** | **66932** |
| **खर्चे** | | | |
| प्रत्यक्ष कार्यकलापों पर व्यय | 22 और 24 | 57638 | 27523 |
| कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते | 20 | 284 | 272 |
| प्रशासनिक खर्चे | 21 | 941 | 1285 |
| अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास | 8 | 623 | 1165 |
| **योग** | | **59487** | **30245** |
| वर्ष के लिए लाभ | | **1293** | **36687** |
| कर पूर्व शुद्ध लाभ | | **1293** | **36687** |
| घटाएं: कर के लिए प्रावधान | | **438** | **12471** |
| कर पश्चात् शुद्ध लाभ, तुलनपत्र में स्थानान्तरित | | **855** | **24216** |
| विशेष लेखानीतियां एवं लेखों पर टिप्पणी | 25 और 26 | | |

तेउविबो के लि, और तेउविबो की ओर से

ह/–
अजय श्रीवास्तव
वित्त सलाहकार एवं लेखा अधिकारी

ह/–
आशीष चटर्जी
सचिव

दिनांक :
स्थान नई दिल्ली

अनुलग्नक ।।
(सन्दर्भ : अनुसूची 11(बी)

## सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों से 31 मार्च 2017 तक ऋणों के बकाये का विवरण

(₹ लाख में)

| क्रम संय | कम्पनी का नाम | 1.4.2016 को आरंभिक शेष | वर्ष 2016–17 के दौरान संवितरित ऋण | तेल उपक्रमों द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान वापस किए गए ऋण | 31.03.2017 को अंतिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गेल | 114500 | 0 | 114500 | 0 |
| 2 | आईओसीएल | 211025 | 0 | 53550 | 157475 |
| 3 | बीपीसीएल | 172525 | 34600 | 27613 | 179513 |
| 4 | एचपीसीएल | 47325 | 0 | 18950 | 28375 |
| 5 | सीपीसीएल | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | एलआरएल | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | बीसीपीएल | 116162 | 24312 | 11395 | 129074 |
| 8 | डीएनपी लिमिटेड | 1200 | 0 | 0 | 1200 |
| 9 | एमआरएल | 52500 | 0 | 27500 | 25000 |
| 10 | गेल गैस लिमिटेड | 7672 | 8735 | 2540 | 13867 |
| | **कुल** | **722909** | **67647** | **256047** | **534509** |

अनुलग्नक – ।।। ए
सन्दर्भ अनुसूची 22

## वर्ष 2016–2017 के दौरान दिए गए अनुदान को दर्शाने वाली तालिका

(₹ लाख में)

| क्रम सं. | | संस्थान का नाम | 2016–17 | 2015–16 |
|---|---|---|---|---|
| | क | **नियमित अनुदानी संस्थान** | | |
| 1 | | हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय | 12153 | 12151 |
| 2 | | पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन | 4125 | 4113 |
| 3 | | उच्च प्रोद्योगिकी संस्थान | 1982 | 1959 |
| 4 | | पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ | 2082 | 1777 |
| 5 | | तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय | 1606 | 1505 |
| | | **योग (क)** | **21948** | **21505** |
| | ख | **अनुसंधान एवं विकास अनुदान** | | |
| 6 | | एनजीएचपी–।। | | |
| 7 | | आईओसीएल (INDA Depts) अनु0एवंवि0 केन्द्र,फरीदाबाद | 32102 | 104 |
| 8 | | राजस्थान सरकार, पंट्रोलियम विभाग | 3588 | 3850 |
| 9 | | आई आई टी, मुंबई | 0 | 0 |
| | | **योग (ख)** | **0** | **0** |
| | | **योग (क + ख)** | **35690** | **3954** |
| | | | **57638** | **25459** |

अनुलग्नक – ।।। बी
(सन्दर्भ अनुसूची 22)

## भारत सरकार/ते.उ.वि.बो द्वारा प्रायोजित योजनाओं/परियोजनाओं पर वर्ष 2016–2017 के दौरान व्यय

| संस्थान का नाम | 2016–17 | 2015–16 |
|---|---|---|
| राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान,रायबरेली | 0 | 2064 |
| **कुल योग (सी)** | **0** | **2064** |

# अध्याय 8

## भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

## 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड, नोएडा के लेखों पर भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखा परीक्षक का पृथक लेखा प्रतिवेदन।

1. हमने, तेल उद्योग विकास बोर्ड के दिनांक 31 मार्च 2017 तक के तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के आय तथा व्यय लेखों की लेखा परीक्षा, भारत के नियत्रंक और महालेखा परीक्षक द्वारा तेल उद्योग विकास अधिनियम 1971 की धारा 20(2) के साथ पठित नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियॉ तथा सेवा की शर्तो) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत लेखा परीक्षा की है। जिसे तेल उद्योग विकास अधिनियम 1974 (तेउविबो नियम 1974) की धारा 20(2) के साथ पढ़ा जाए। इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व ते.उ.वि.बो. के प्रबंधन का है हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों पर लेखा परीक्षा के आधार पर अपना मत प्रस्तुत करना है।

2. इस पृथक, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में केवल वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण प्रथाओं के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों और प्रकटन मानकों आदि के संबंध में केवल लेखाकरण व्यवहार पर नियन्त्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमित्तता) तथा दक्षता एवं निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन–देन पर लेखा परीक्षा अभियुक्तियां यदि कोई हो, निरीक्षण/प्रतिवेदनों/सीएंडएजी के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से अलग से सूचित की जाती है।

3. हमने, अपने लेखा परीक्षण, भारत में सामान्य रूप से लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर किए हैं। इन मानकों के अनुसार हम लेखा परीक्षण इस प्रकार योजित एवं निष्पादित करते हैं ताकि इस बात से आश्वासित किया जा सके कि लेखा परीक्षण में कोई भी अयथार्थ विवरण नहीं है। एक लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच मूल्यों से संबंधित प्रमाण तथा तालिका में उनका प्रकटन होना चाहिए। लेखा परीक्षण में प्रयुक्त लेखा परीक्षणों के सिद्धान्तों का मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों तथा वित्तीय कथनों के सम्पूर्ण प्रदर्शन का मूल्यांकन करना शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षण हमारी राय को एक उचित आधार प्रदान करते हैं।

लेखा परीक्षणों के आधार पर हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

(i) हमने, वह सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक थी।

(ii) इस रिपोर्ट द्वारा विचारित तुलन–पत्र, आय एवं व्यय लेखा वर्ष 2007 में भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित किए गए सामान्य प्रारूप के अंतर्गत तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय में जैसाकि हमारे निरीक्षण में लगा कि तेउविबो द्वारा उचित लेखा पुस्तिकाएं तथा संबंधित रिकार्ड अद्यतन किए जा रहे हैं।

(iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

## (क) लेखों पर टिप्पणियॉ

**क) तुलनपत्र : देयताएं : चालू देयताएं और प्रावधान : 1129 लाख रूपये (अनुसूची 7)**

उपरोक्त उल्लिखित में 2906.10 लाख रूपये की कमी निम्नलिखित कारण से है :

(i) भारत में तलछटी बेसिन के अप्रयुक्त क्षेत्र के मूल्यांकन के लिए तेल और प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) द्वारा किया गया व्यय 2764 लाख रूपये का प्रावधान नहीं किया गया हांलाकि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय से प्रासंगिक निर्देश हो गये थे।

(ii) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा निर्धारित हाइड्रोजन क्षेत्रीय कौशल परिषद की स्थापना के लिए, आंरभिक कापर्स निधि का भुगतान रूपये 80 लाख की राशि का प्रावधान नहीं किया गया।

(iii) के जी बेसिन में केजी–डीडब्ल्यूएन 98/2 और केजी–डीडब्ल्यूएन 98/3 ब्लॉक में ओएनजीसी और रियलाइंस (ओआईएल) द्वारा गठित समिति की स्थापना पर हुए 32 लाख रूपये के खर्चे का प्रावधान नहीं किया।

(iv) 1 जनवरी, 2016 से सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों को देय वेतन बकाया राशि के लिए 30.10 लाख का प्रावधान नहीं किया।

उपरोक्त प्रावधानों के न होने के कारण "व्ययों से आय की अधिकता" 2966.10 लाख रूपये हो गई।

**(ख) निवेश – अन्य : 359035 लाख – (अनुसूची 10)**

आर्थिक मामलों की केबिनेट समिति के निर्णय के अनुसार मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड में इक्विटी निवेश में कटौती न करने के कारण उपरोक्त में 4013 लाख रूपये अधिकतर हो गए हैं जिस कारण "आय की व्यय से अधिकता" इस राशि के बराबर है।

**(ग) चालू देयताएं, ऋण, अग्रिम आदि : 77658 लाख रूपये (अनुसूची 11)**

उपरोक्त बीको लॉरी लिमिटेड को दिए गए ब्रिज लोन पर ब्याज आय के प्रावधान को न करने के कारण से 95.83 लाख रूपये अधिक हो गये हैं, हालांकि, ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता था। बीएलएल की खराब आर्थिक हालत को देखते हुए कोई भी तर्कसंगत उम्मीद इस राशि को वापस करने की नहीं थी। इस कारण से "आय की व्यय से अधिकता" इस राशि के बराबर है।

**(घ) सामान्य**

(i) भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक के स्वायत निकायों की लेखा परीक्षा मैनुअल में जारी निर्देश के पैरा 7.01 के अनुसार 'भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकायों, अपने खातों को एक समरूप प्रारूप में संकलित करेंगे।' स्वायत निकायों के लिए निर्धारित खातों के प्रारूप में, तुलन पत्र, आय एवं व्यय खाता, वित्तीय तालिकाओं की अनुसूची, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, 'लेखों पर टिप्पणियों' के माध्यम से अन्य सूचनाओं का प्रकटीकरण तथा प्राप्ति एवं भुगतान तालिका शामिल है। हालांकि, सीएंडएजी की पृथक लेखा परीक्षा वर्ष 2014–15 और 20115–16 में टिप्पणियों के बावजूद प्राप्ति एवं भुगतान तालिका को तैयार नहीं किया गया।

(ii) 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का अनुमोदन लेते हुए 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2017 तक बढ़ी हुई ग्रेच्युटी और छुट्टियों के नकदीकरण की देयताओं का लेखीकरण 2016–17 के लेखों में नहीं किया गया।

(iii) आईएसपीआरएल का पूंजीगत निवेश तेउविबो द्वारा किया जाता है। जिसके बदले में आईएसपीआरएल, तेउविबो को इक्विटी शेयर जारी करता है। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पूंजीगत निवेश का अंशदान/प्राप्तियों, जारी किए गए शेयर तथा जारी किए जाने वाले शेयरों में आईएसपीआरएल और तेउविबो के 31 मार्च 2017 तक के खातों में नीचे बताई असमानताएं हैं।

| विवरण | पूंजीगत अंशदान (रू. करोड़ में) | शेयरों की सख्या (रू. लाख में) | जारी शेयर का मूल्य (रू. करोड़ में) | जारी किए जाने के लिए लंबित शयेर (रू. करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|
| तेउविबो के लेखों के अनुसार | 3587.00 | 35400 | 3540.01 | 46.98 |
| आईएसपीआरएल के लेखों के अनुसार | 3574.37 | 35743 | 3574.37 | शून्य |
| अंतर | 12.63 | 343 | 34.36 | 46.98 |

उपरोक्त अंतर का मिलान आवश्यक है।

## ख. अनुदान सहायता

वर्ष 2016–17 के दौरान तेल उद्योग विकास बोर्ड को सरकार या सरकारी संस्थाओं से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई।

## (घ) प्रबंधन पत्र

वो कमियां जिन्हें लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है उन्हें ठीक करने/उन पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उसे सचिव, तेल उद्योग विकास बोर्ड को एक पृथक प्रबंधन पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया है।

(v) पिछले अनुच्छेदों में, हमारे अवलोकन के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि रिपोर्ट के साथ तुलन पत्र एवं आय एवं व्यय लेखा तैयार किए हैं और लेखों की पुस्तिकाओं के अनुसार हैं।

(vi) हमारी राय में व हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर कथित वित्तीय विवरणिकाओं जिन्हें उन पर दिए गए लेखा नीतियों व नोट के साथ पढ़ा जाए तथा इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनुलग्नंक–I में उल्लिखित विषय भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुरूप है, और एक सत्य व निष्पक्ष राय प्रदान करते हैं।

(क) जहां तक यह दिनांक 31 मार्च 2017 को तेल उद्योग विकास बोर्ड के कार्यों पर आधारित तुलन पत्र से संबंधित हैं; और

(ख) जहां तक यह उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय लेखों से है, उस दिन समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय से अधिक व्यय के संबंध में है।

**ह0/–**

**(तनुजा मित्तल)**

स्थान : मुम्बई

दिनांक : 20 नवम्बर, 2017

**प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा**

**तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–II, मुम्बई**

## अनुसूची–I
## (संदर्भ अनुच्छेद 4(iv) के संदर्भ में)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता** | तेल उद्योग विकास बोर्ड की वर्ष 2016–2017 की आंतरिक लेखा परीक्षा बाहरी चार्टर एकांटेंट्स फर्मों द्वारा कराई गई। आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2016–2017 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा पृथक रूप से अप्रैल 2016 से सितम्बर 2017 तक की रिपोर्ट 20 जून 2017 को तथा अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 तक की रिपोर्ट 12 जून 2017 को प्रस्तुत की जा चुकी है। प्रतिवेदनों पर प्रबंधन के समक्ष विचार किया जा रहा है। |
| 2. | **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता** | अनुदानी संगठनों द्वारा किए गए कार्य की वास्तविक प्रगति प्राप्त करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और सुदृढ़ व औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए। अनुदान जारी करने के पश्चात तेउविबो अनुदानी संस्थानों से वार्षिक आधार पर परियोजना की वास्तविक प्रगति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाणपत्र लेता है। हालांकि कार्य, की वास्तविक प्रगति बोर्ड द्वारा न तो सत्यापित नहीं की जाती और न ही बोर्ड के पास कोई ऐसी प्रभावी प्रणाली है, जिससे अनुदान के उचित उपयोग को मॉनिटर किया जा सके। |
| 3. | **अचल संपत्तियों के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली** | स्थाई संपत्ति रजिस्टर, जिसमें सम्पतिवार पूर्ण और अद्तन विवरण जैसाकि–खरीद की तिथि/संपत्ति का अधिग्रहण, संपत्ति का वास्तविक मूल्य, संपत्ति का स्थान, संपत्ति का जोड़ना/घटाना/खरीदना, मूल्यह्रास, संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों, वाहन, फर्नीचर और फिक्सचर, कम्प्यूटरों/उससे संबंधित उपकरण, बिजली, संस्थापन आदि होते हैं, को उचित तरीके से नहीं बनाया गया है। |
| 4. | **सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता** | जैसाकि बताया व सूचित किया गया, कि तेउविबो द्वारा सभी करों तथा सांविधिक देयताओं का भुगतान समय पर किया गया था। |

# वित्तीय वर्ष 2016–17 के ओआईडीबी के लेखों पर सीएजी के ऑडिट पैरा और ओआईडीबी के उत्तर

| लेखा परीक्षक की टिप्पणी | तेल उद्योग विकास बोर्ड के उत्तर |
|---|---|
| **क) तुलनपत्र :**<br><br>क) देयताएं : चालू देयताएं और प्रावधान : 1129 लाख रूपये (अनुसूची 7) | |
| i) भारत में तलछटी बेसिन के अप्रयुक्त क्षेत्र के मूल्यांकन के लिए तेल और प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) द्वारा किया गया व्यय 2764 लाख रूपये का प्रावधान नहीं किया गया हांलाकि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय से प्रासंगिक निर्देश हो गये थे। | इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि इस परियोजना के लिए तेउविबोर्ड या पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कोई मंजूरी नहीं थी इसलिए इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसके अलावा, तेउविबो लेन देन लेखाकंन नीति के अनुसार, केवल सरकारी अनुदान और सब्सिडी के लिए ही लेन देन नकद आधार पर बुक किए जाते हैं। |
| ii) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा निर्धारित हाइड्रोजन क्षेत्रीय कौशल परिषद की स्थापना के लिए, आंरभिक कापर्स निधि का भुगतान रूपये 80 लाख की राशि का प्रावधान नहीं किया गया। | यह सूचित किया जाता है कि एचएससीसी की दूसरी सामान्य निकाय की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसर तेउविबो को एचएसएससी द्वारा उनकी मांग के आधार पर 3.00 करोड़ रूपये का अंशदान तीन समान किश्तों में करना था। तदानुसार, एचएससीसी ने 3 करोड़ रूपये के अनुमोदित अंशदान में से 1.00 करोड़ रूपये के रूप में पहली किस्त की मांग की। एचएसएससी को 1.00 करोड़ रूपये की पहली किश्त में से 20 लाख रूपये जो उनके प्रतिदिन के खर्चे के लिए अग्रिम दिया गया, उसे समायोजन के पश्चात जारी करने के सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए तेउविबो की दिनांक 23.7.2017 को आयोजित 94 वीं बैठक में इस मामले को विचार हेतु रखा गया।<br>हालांकि, बोर्ड ने 1.00 करोड़ रूपये की पहली किश्त जारी करने के लिए मंजूरी दे दी, लेकिन यह राशि बीई/आरई 2016–17 में बजटीय प्रावधान न होने के कारण उन्हें जारी नहीं की जा सकी।<br>इसके अलावा, तेउविबो (अनुसूची 25) की महत्वपूर्ण लेखा नीति के अनुच्छेद 5 (सरकारी अनुदान/सब्सिडी) के अनुसार अनुदान केवल नकद आधार पर किया जाता है। इसे देखते हुए वर्ष 2016–17 के वार्षिक लेखों में इस मद में कोई प्रावधान नहीं किया गया। |

| लेखा परीक्षक की टिप्पणी | | तेल उद्योग विकास बोर्ड के उत्तर |
|---|---|---|
| iii) | के जी बेसिन में केजी–डीडब्ल्यूएन 98/2 और केजी–डीडब्ल्यूएन 98/3 ब्लॉक में ओएनजीसी और रियलाइंस (ओआईएल) द्वारा गठित समिति की स्थापना पर हुए 32 लाख रूपये के खर्चे का प्रावधान नहीं किया। | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित समिति को पारिश्रमिक के भुगतान के कारण ऑयल इंडिया लिमिटेड को व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 32 लाख रूपये की राशि का बजटीय प्रावधान "अनुदान 2016–17 (बीई)" के मुख्य शीर्ष के तहत किया गया। जहां तक वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वार्षिक लेखे में उक्त राशि का प्रावधान है, यह सूचित किया जाता है कि (अनुसूची 25) की महत्वपूर्ण लेखा नीति के अनुच्छेद 5 (सरकारी अनुदान/ सबिसडी) के अनुसार अनुदान केवल नकद आधार पर ही किया जाता है। इसे देखते हुए वर्ष 2016–17 के वार्षिक लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया |
| iv) | 1 जनवरी, 2016 से सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों को देय वेतन बकाया राशि के लिए 30.10 लाख का प्रावधान नहीं किया।<br>उपरोक्त प्रावधानों के न होने के कारण "व्ययों से आय की अधिकता" 2966.10 लाख रूपये हो गई | बोर्ड ने दिनांक 22 अगस्त 2016 को हुई अपनी 93वीं बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन नियम 2016 को अधिसूचित करने तथा तेउविबो के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के वेतनमान और भत्ते को पैकेज के रूप में अपनाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की और तेउविबो को निर्देश दिया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संशोधित वेतनमान को शामिल कर तेउविबो कर्मचारी (सेवा की सामान्य शर्तें) की राजपत्र अधिसूचना के बाद ही संशोधित वेतन के अनुसार भुगतान वितरित किया जाए। |
| **(ख)** | **निवेश–अन्यः 359035 लाख रुपये – (अनुसूची 10)**<br>आर्थिक मामलों की केबिनेट समिति के निर्णय के अनुसार मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड में इक्विटी निवेश में कटौती न करने के कारण उपरोक्त में 4013 लाख रूपये अधिकतर हो गए हैं जिस कारण "आय की व्यय से अधिकता" इस राशि के बराबर है। | मैसर्स बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) ने अपने पत्र सं0 बीएलएल/एमडी/डीसीओ /2015–16 / 017 दिनांक 17.6.2015 में सूचित किया है कि कंपनी को रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 की धारा 3 (1) (6) के तहत अक्टूबर 2015 में रूग्ण कंपनी घोषित किया जा चुका है और कथित विकास को देखते हुए कंपनी की कम होती पूंजी को स्थगन में रखा गया है। |
| **(ग)** | **चालू देयताएं, ऋण, अग्रिम आदि : 77658 लाख रूपये (अनुसूची 11)**<br>उपरोक्त बीको लॉरी लिमिटेड को दिए गए ब्रिज लोन पर ब्याज आय के प्रावधान को न करने के कारण से 95.83 लाख रूपये अधिक हो गये हैं, हालांकि, ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता था। बीएलएल की खराब आर्थिक हालत को देखते हुए कोई भी तर्कसंगत उम्मीद इस राशि को वापस करने की नहीं थी। इस कारण से "आय की व्यय से अधिकता" इस राशि के बराबर है। | तेउबिबो (अनुसूची 25) अनुच्छेद 6 (आयकर) की महत्वपूर्ण लेखा नीति के अनुसार, निष्पादित परिसंपत्तियों के मामले में ब्याज और अन्य आय का निर्धारण देय आधार पर और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के मामले में अर्जन आधार पर किया जाता है। वर्तमान में, इसे अनुसूची 11 ( बी) में दर्शाया गया है। |

| लेखा परीक्षक की टिप्पणी | तेल उद्योग विकास बोर्ड के उत्तर |
|---|---|
| (घ) सामान्य | |
| i) भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक के स्वायत निकायों की लेखा परीक्षा मैनुअल में जारी निर्दश के पैरा 7.01 के अनुसार 'भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकायों, अपने खातों को एक समरूप प्रारूप में संकलित करेंगे।' स्वायत निकायों के लिए निर्धारित खातों के प्रारूप में, तुलन पत्र, आय एवं व्यय खाता, वित्तीय तालिकाओं की अनुसूची, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, 'लेखों पर टिप्पणियों' के माध्यम से अन्य सूचनाओं का प्रकटीकरण तथा प्राप्ति एवं भुगतान तालिका शामिल है। हालांकि, सीएंडएजी की पृथक लेखा परीक्षा वर्ष 2014–15 और 20115–16 में टिप्पणियों के बावजूद प्राप्ति एवं भुगतान तालिका को तैयार नहीं किया गया। | तेउविबो, तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय है जिसे तेल उद्योग के विकास के लिए, तेल उद्योग को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से गठित किया गया है। इसलिए यहां लाभ की कोई मंशा सम्मिलित नहीं है। अधिनियम के अनुसार सहायता ऋण और अग्रिम, अनुदान और इक्विटी में भागीदारी के माध्यम से अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की जाती है। मुख्य रूप से ब्याज आय दिए गए ऋण से प्राप्त होती है और उसे अनुदान देने में प्रयोग किया जाता है। जिसे आय और व्यय खाते में दर्शाया गया है। लाभ और हानि खाते आयकर गणना करने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं। उपरोक्त को देखते हुए पावती एवं भुगतान तालिका तैयार नहीं की जाती है। |
| ii) 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का अनुमोदन लेते हुए 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2017 तक बढ़ी हुई ग्रेच्युटी और छुट्टियों के नकदीकरण की देयताओं का लेखीकरण 2016–17 के लेखों में नहीं किया गया। | बोर्ड ने दिनांक 22 अगस्त 2016 को हुई अपनी 93वीं बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन नियम 2016 को अधिसूचित करने तथा, तेउविबो के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के वेतनमान और भत्ते को पैकेज के रूप में अपनाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की है और तेउविबो को निर्देश दिया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संशोधित वेतनमान को शामिल कर तेउविबो कर्मचारी (सेवा की सामान्य शर्तें) की राजपत्र अधिसूचना के बाद ही संशोधित वेतन के अनुसार भुगतान वितरित किया जाए।<br>उपरोक्त के अनुसार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से तेउविबो कर्मचारी (सेवा की सामान्य शर्तें) नियमों में पूर्वव्यापी संशोधन के लिए अधिसूचना ज्ञापन जारी करने का अनुरोध किया गया मामला अभी भी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास विचाराधीन है।<br>चूंकि, बोर्ड ने सैद्धांतिक रूप से, राजपत्र अधिसूचना जारी करने के बाद ही सैद्धांतिक रूप से सातवें वेतन आयोग के वेतनमान को लागू करने के लिए अनुमोदित किया था, जो कि अभी जारी किया जाना है, अतः इस खाते में वेतन और भत्ते के बकाया के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया। |

| लेखा परीक्षक की टिप्पणी | तेल उद्योग विकास बोर्ड के उत्तर |
|---|---|
| iii) आईएसपीआरएल का पूंजीगत निवेश तेउविबो द्वारा किया जाता है। जिसके बदले में आईएसपीआरएल, तेउविबो को इक्विटी शेयर जारी करता है। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पूंजीगत निवेश का अंशदान/प्राप्तियों, जारी किए गए शेयर तथा जारी किए जाने वाले शेयरों में आईएसपीआरएल और तेउविबो के 31 मार्च 2017 तक के खातों में नीचे बताई असमानताएं हैं। | यह प्रमाणित है कि तेउविबो के खाता–बही के आधार पर 31.10.2017 को आईएसपीआरएल के संबंध में बकाया शेष निम्नानुसार हैं:– |

| विवरण | पूंजीगत अंशदान (रू. करोड़ में) | शेयरों की सख्या (रू. लाख में) | जारी शेयर का मूल्य (रू. करोड़ में) | जारी किए जाने के लिए लंबित शयेर (रू. करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|
| तेउविबो के लेखों के अनुसार | 3587.00 | 35400 | 3540.01 | 46.98 |
| आईएसपी. आरएल के लेखों के अनुसार | 3574.37 | 35743 | 3574.37 | शून्य |
| अंतर | 12.63 | 343 | 34.36 | 46.98 |

| क्रम संख्या | विवरण | राशि (रू. करोड़) |
|---|---|---|
| 1. | 31.03.2017 को जारी इक्विटी | 3586.99 |
| 2. | आईएसपीआरएल द्वारा आबंटित शेयर | 3540.01 |
| 3. | 31.03.2017 को देय शेयर | 46.98 |

उपरोक्त अन्तर का मिलान किया जा रहा है।

**ख. अनुदान सहायता**

वर्ष 2016–17 के दौरान तेल उद्योग विकास बोर्ड को सरकार या सरकारी संस्थाओं से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई।

तेउविबो को और उपकर देने के मामले को सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सचिव, वित्त मंत्रालय को पत्र दिनांक 8.1.2012 के माध्यम से भेजा गया था। इसे माननीय मंत्री, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के स्तर पर दिनांक 9.4.2014 को माननीय वित्त मंत्री को एक अर्ध–शाषित पत्र दिनांक 6.4.2015 द्वारा आगे बढ़ाया गया। जिसमें वित्त मंत्री से अनुरोध किया गया कि वे तेउविबो को 4811 करोड़ रूपये की राशि विशिष्ट परियोजनाओं/कार्यक्रमों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तत्काल आधार पर जारी करें। हालांकि, वित्त मंत्रालय से उत्तर की अभी भी प्रतीक्षा है।

# अनुसूची–I
## (संदर्भ अनुच्छेद 4(iv) के संदर्भ में)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**<br>तेल उद्योग विकास बोर्ड की वर्ष 2016–2017 की आंतरिक लेखा परीक्षा बाहरी चार्टर एकांटेंट्स फर्मों द्वारा कराई गई। आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2016–2017 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा पृथक रूप से अप्रैल 2016 से सितम्बर 2017 तक की रिपोर्ट 20 जून 2017 को तथा अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 तक की 12 जून 2017 को प्रस्तुत की जा चुकी है। प्रतिवेदनों पर प्रबंधन के समक्ष विचार किया जा रहा है। | कोई टिप्पणी नहीं |
| 2. | **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता**<br>अनुदानी संगठनों द्वारा किए गए कार्य की वास्तविक प्रगति प्राप्त करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और सुदृढ़ व औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए। अनुदान जारी करने के पश्चात तेउविबो अनुदानी संस्थानों से वार्षिक आधार पर परियोजना की वास्तविक प्रगति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाणपत्र लेता है। हालांकि कार्य, की वास्तविक प्रगति बोर्ड द्वारा न तो सत्यापित नहीं की जाती और न ही बोर्ड के पास कोई ऐसी प्रभावी प्रणाली है, जिससे अनुदान के उचित उपयोग को मॉनिटर किया जा सके। | तेउविबो द्वारा दिए जाने वाले अनुदान का ज्यादातर हिस्सा मजदूरी और वेतन, कार्यालय तथा अन्य प्रशासनिक खर्चों पर वहन किया जाता है। इस अनुदान से कोई परिसंपत्ति नहीं खरीदी जाती सिवाय कार्यालय उपकरण जैसे कम्प्यूटर, फैक्स, मशीन, फोटोकॉपी मशीन आदि और इनकी भी एक सीमित कार्य अवधि होती है। इन वस्तुओं से संबंधित परिसंपत्ति रजिस्टर का रखरखाव अनुदानी संस्थाओं द्वारा किया जाता है।<br>जहॉ तक अनुदान के मॉनीटरिंग का सवाल है, बोर्ड ने अपनी विभिन्न बैठकों में अनुदान के उपयोग की स्थिति के बारे में अवगत कराया है। इसके अलावा, तेउविबो ने एक प्रोफार्मा बनाया है। जिसमें शीर्ष–वार स्वीकृत बजट और पिछले महीने तक हुआ व्यय और वर्तमान महीने की मांग शामिल है। सभी प्रस्ताव निर्धारित प्रफार्मा में प्राप्त होते हैं और अनुदान जारी करने से पूर्व अनुमोदित बजट शीर्ष के अनुसार उन प्रस्तावों की जांच की जाती है।<br>इन विवरणों की जांच से तेउविबो यह सुनिश्चित करता है कि किया गया यह व्यय अनुदान के लिए निर्धारित बजट से न तो अधिक हो और न ही निधियां निष्क्रिय हों क्योंकि नया अनुदान पिछले महीने दिए गए अनुदान की प्रगति की उपयोगिता पर निर्भर करता है।<br>वित्तीय वर्ष के अंत में जीएफआर के निर्धारित प्रारूप में, खातों के लेखा–जोखा तालिका के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाता है।<br>उपरोक्त यह सुनिश्चित करता है कि तेउविबो अनुमोदित गतिविधियों के लिए स्वीकृत बजट और निधियों के उचित उपयोग पर अपनी निगरानी रखता है। |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | **अचल संपत्तियों के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली**<br>स्थाई संपत्ति रजिस्टर, जिसमें सम्पतिवार पूर्ण और अद्तन विवरण जैसाकि–खरीद की तिथि/संपत्ति का अधिग्रहण, संपत्ति का वास्तविक मूल्य, संपत्ति का स्थान, संपत्ति का जोड़ना/घटाना/खरीदना, मूल्यह्रास, संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों, वाहन, फर्नीचर और फिक्सचर, कम्प्यूटरों/उससे संबंधित उपकरण, बिजली, संस्थापन आदि होते हैं, को उचित तरीके से नहीं बनाया गया है। | वर्तमान में परिसम्पत्तियों का लेखा जोखा कम्प्यूटरीकृत प्रारूप में संकलित किया जाता है। जिसमें, फर्नीचर और फिक्सचर का विवरण शामिल हैं।<br>लेखा परीक्षा द्वारा दी गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए जीएफआर–22 (जीएफआर–2017), स्थाई परिसम्पत्तियों हेतु रजिस्टर प्राप्त कर लिया गया है और रिकॉर्ड को निर्धारित प्रारूप में बनाया जाएगा। |
| 4. | **सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता**<br>जैसाकि बताया व सूचित किया गया, कि तेउविबो द्वारा सभी करों तथा सांविधिक देयताओं का भुगतान समय पर किया गया था। | सभी सांविधिक देयताओं का भुगतान समय पर कर दिया गया। |

# अध्याय 9

## परिशिष्ट

## परिशिष्ट – 1

## तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974 की धारा–6 बोर्ड के कृत्य

6(1) इस अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धो के अधीन रहते हुए, बोर्ड ऐसी रीति से, ऐसे विस्तार तक और ऐसी शर्तो और निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, ऐसे सभी अध्युपायों के संप्रवर्तन के लिए जो उसकी राय में तेल उद्योग के विकास में साधक हों, वित्तीय और अन्य सहायता देगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड उस उपधारा के अधीन निम्नलिखित रीति से सहायता दे सकता है, अर्थात् :–

(क) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति को जो धारा 2 के खण्ड (ट) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों में लगा हुआ है या लगने वाला है, अनुदान या उधार देना;

(ख) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा लिए गए ऐसे उधारों की, जो पच्चीस वर्ष से अनाधिक अवधि के भीतर प्रतिसंदेय हों और बाजार में चालू किए गए हों या किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे बैंक से, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथा परिभाषित अनुसूचित बैंक या राज्य सहकारी बैंक हैं, लिए गए उधारों की ऐसी शर्तो और निबन्धनों पर जो करार पाए जाएं, प्रत्याभूति देना;

(ग) भारत के बाहर से पूंजी माल के आयात के संबंध में किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति से अथवा भारत के भीतर पूंजी माल के क्रय के संबंध में ऐसे समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा शोध्य आसीमित संदायों की, ऐसी शर्तो और निबन्धनों पर जो करार पाए जाएं, प्रत्याभूति देना;

(घ) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किसी देश में, किसी बैंक या वित्तीय संस्था से विदेशाी करेंसी में लिए गए उधारों की या किए गए प्रत्यय ठहरावों की, ऐसी शर्तो और निबंधनों पर जो करार पाएं जाए, प्रत्याभूति देना। परन्तु ऐसी कोई प्रत्याभूति केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं दी जाएगी;

ड.) किसी तेल उद्योग समुत्थान के स्टॉक, शेयरों, बंधपत्रों या डिवेंचरों के पुरोधरण की हामीदारी करना और उनके संबंध में अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में जिन स्टॉक, शेयरों, बंधपत्रों या डिवेंचरों को उसे लेना पड़े उन्हें अपनी आस्तियों के भाग रूप रखे रहना;

(च) केन्द्रीय सरकार या किसी विदेशी वित्तीय संगठन या प्रत्यक्ष अभिकरण द्वारा दिए गए उधार या अग्रिम धन के या अभिदाय किए गए डिबेंचरों के संबंध में, किसी तेल उद्योग समुत्थान के साथ किसी कारोबार के संव्यवहार में, केन्द्रीय सरकार के या उसके अनुमोदन से, ऐसे संगठन या अभिकरण के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना;

(छ) किसी तेल उद्योग समुत्थान के स्टॉक या शेयरों के लिए अभिदाय करना;

(ज) किसी तेल उद्योग समुत्थान के ऐसे डिबेचरों के लिए अभिदाय करना जो अभिदाय की तारीख से 25 वर्ष से अनाधिक अवधि के भीतर प्रतिसंदेय हैः

परन्तु इस खंड की कोई बात बोर्ड को किसी तेल उद्योग समुत्थान के ऐसे डिवेंचरों के लिए अभिदाय करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी जिन पर परादेय रकम बोर्ड के विकल्प पर उस अवधि के भीतर जिसमें डिवेंचर प्रतिसंदेय हैं, उस समुत्थान के स्टॉक या शेयरों में संपरिवर्तनीय है।

**स्पष्टीकरण** :– इस खण्ड में, किसी उधार या अग्रिम धन के संबंध में "जिन पर परादेय रकम" पद से ऐसे उधार या अग्रिम धन पर उस समय संदेय मूलधन, ब्याज और अन्य प्रभार अभिप्रेत है जब उन रकमों को स्टॉक या शेयरों में संपरिवर्तित किया जाना है।

(3) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन अध्युपायों के अन्तर्गत, जिनके संप्रवर्तन के लिए बोर्ड उस उपधारा के अधीन सहायता दे सकता है, निम्नलिखित के लिए या के रूप में अध्युपाय भी हैं, अर्थात :–

(क) भारत के भीतर (जिनके अन्तर्गत भारत का कॉन्टीनेन्टल शेल्फ भी है) या भारत के बाहर तेल का पूर्वेक्षण और खोज;

(ख) कच्चे तेल के उत्पादन, हैंडलिंग, भण्डारकरण और परिवहन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था;

(ग) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का परिष्करण और विपणन;

(ध) पेट्रो–रसायनों और उर्वरकों का विनिर्माण और विपणन;

(ड.) वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान जो तेल उद्योग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी हो सके;

(च) तेल उद्योग के किसी क्षेत्र में प्रयोगात्मक या आरम्भिक अध्ययन;

(छ) तेल उद्योग के किसी क्षेत्र में लगे हुए या लगने वाले कार्मिकों का भारत के भीतर या भारत के बाहर प्रशिक्षण और ऐसे अन्य अध्युपाय जो विहित किए जाए।

(4) बोर्ड अपने कृत्यों के प्रयोग में अपने द्वारा दी गई सेवाओं के लिए ऐसी फीस ले सकता है या ऐसा कमीशन प्राप्त कर सकता है जो वह समुचित समझे।

(5) बोर्ड किसी तेल उद्योग समुत्थान को या अन्य व्यक्ति के द्वारा दिए गए उधार या अग्रिम धन के संबंध में किसी लिखित को प्रतिफल के लिए अंतरित कर सकता है।

(6) बोर्ड वे सभी बाते कर सकता है जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के आनुवंगिक या पारिणामिक हों।

# परिशिष्ट–2

## वित्त, लेखा और संपरीक्षा

## तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा–15

15(1) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, अनुसूची के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक मद पर जो भारत में (जिसके अन्तर्गत भारत का कॉटिनेंटल शेल्फ भी है) उत्पादित की जाती है और जो :–

(क) किसी परीक्षणशाला या कारखाने के लिए हटाई जाती है, या

(ख) उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा मद उत्पादित की जाती है, किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित की जाती है,

उस अनुसूची के स्तम्भ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई दर में अनधिक ऐसी दर पर जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, उत्पाद–शुल्क उपकर के रूप में उदग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा,

परन्तु जब तक केन्द्रीय सरकार कच्चे तेल की बाबत (जो उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट मद है) ऐसी अधिसूचना द्वारा उत्पाद–शुल्क की दर विनिर्दिष्ट नहीं करती है तब तक इस उपधारा के अधीन कच्चे तेल पर उत्पाद शुल्क 60 रूपये प्रति टन की दर से उदगृहीत और संग्रहीत किया जायेगा (दिनांक 1.3.2016 से 20 प्रतिशत यथा मूल्य)।

(2) किसी मद पर उपधारा (1) के अधीन उदगृहणीय प्रत्येक उत्पाद–शुल्क उस व्यक्ति द्वारा संदेय होगा जो उस मद का उत्पादक करता है और कच्चे तेल की दशा में उत्पाद–शुल्क परीक्षणशाला में प्राप्त मात्रा पर संग्रहीत किया जायेगा।

(3) अनुसूची में विनिर्दिष्ट मदों पर उपधारा 9(1) के अधीन उत्पाद शुल्क तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उन मदों पर उदग्रहणीय उपकर या शुल्क के अतिरिक्त होगा।

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध जिसके अन्तर्गत प्रतिदाय और शुल्क में छूट से संबंधित उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन उदग्रहणीय उत्पाद शुल्क के उदग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होंगे और इस प्रयोजन के लिए उस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानों यह अधिनियम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी मदों पर उत्पाद–शुल्क के उदग्रहण के लिए उपबंध करता है।

तेल उद्योग (विकास)अधिनियम, 1974 की धारा – 16–शुल्क के आगमों का भारत की संचित निधि में जमा किया जाना।

धारा–15 के अधिन उद्गृहीत उत्पाद–शुल्क के आगम पहले भारत की संचित निधि में जमा किए जायेंगे और केन्द्रीय सरकार, यदि संसद इस निमित्त बनाई गई विधि द्वारा विनियोग द्वारा इस प्रकार उपबंधित करे तो, बोर्ड को समय–समय पर ऐसे आगमों में से संग्रहण के खर्चो की कटौती करने के पश्चात इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनत्यतः उपयोग के लिए इतनी धनराशियां दे सकती है, जो यह ठीक समझे।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा–17– केंन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और उधार

केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यकृत विनियोग किए जाने के पश्चात बोर्ड को अनुदान या उधार के रूप में ऐसी धनराशियां दे सकती है जो केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा–18–तेल उद्योग विकास निधि

18(1) तेल उद्योग विकास निधि के नाम से एक निधि बनाई जायेगी उस निधि में निम्नलिखित धनराशियां जमा की जायेंगी, अर्थात् :–

(क) धारा–16 या 17 के अधीन भुगतान की गई राशि;

(ख) वे अनुदान जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिए जाये;

(ग) बोर्ड द्वारा लिये गए उधार;

(ध) वे राशियां, यदि कोई हों, जो बोर्ड द्वारा अपने कार्यो के निष्पादन अथवा इस अधिनियम के प्रशासन में वसूल की जाएं।

(2) निधियों को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जायेगाः–

क) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों और उसके सलाहकारों, परामर्शदाताओं या अन्य अभिकरणों को, जिनकी बोर्ड सेवाएं प्राप्त करे, वेतन, भत्ते, मानदेय तथा अन्य परिश्रमिक देने के लिए;

(ख) बोर्ड के अन्य प्रशासनिक खर्चो को पूरा करने के लिए;

(ग) धारा–6 के अन्तर्गत सहायता देने के लिए,

(ध) बोर्ड द्वारा लिए गए उधारों के प्रतिसंदाय या इस अधिनियम के अधीन अन्य देयताओं को पूरा करने के लिए।